सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 मार्च, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना ।

सप्तदश विधान सभा | सोमवार, तिथि 24 मार्च, 2025 ई०
चतुर्दश सत्र | 03 चैत्र, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

शून्यकाल में प्रश्न उठाइएगा न, शून्यकाल में उठाइएगा । सुनेंगे न, जरूर सुनेंगे शून्यकाल में । बैठिये । उठाइएगा न, शून्यकाल में सुनेंगे, कहां कह रहे हैं कि नहीं सुनेंगे ? बैठ जाइए । समय पर उठाइएगा न । बैठ जाइए ।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए न । प्रश्नोत्तर हो रहा है ।

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्न सं0–''क''–1138 (श्री अखतरूल ईमान, अमौर)

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर ऑनलाईन दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, उत्तर नहीं मिल पाया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ दीजिए ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(इस अवसर पर सी0पी0आई (एम0एल0) (एल0) के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान जारी)

आपको मैंने कहा कि मैं उठाने दूंगा, शून्यकाल में बताइएगा । बिल्कुल सुनेंगे । बैठिये । मैंने कहा है कि सुनूंगा, मैंने कहा है कि मैं जरूर बोलने के लिए अवसर दूंगा प्रश्नोत्तर के बाद ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– स्वीकारात्मक है ।

2– स्वीकरात्मक है ।

3– वस्तुस्थिति यह है कि वक्फ अधिनियम–1995 की धारा 54 के अन्तर्गत अतिक्रमणकारियों को नोटिस निर्गत कर दिया गया है ।

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–52 सहपठित्त बिहार वक्फ रूल 2020 के नियम–65 के अंतर्गत निर्गत अधियाचना के आलोक में समाहर्ता पटना द्वारा वक्फ भूमि के रिकवरी हेतु दिनांक–07.12.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध ब्रजबल्लभ प्रसाद एवं अन्य पीड़ित पक्षों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० 20–13617/2023 दायर किया गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मामले सभी गंभीर हैं, प्रश्नोत्तर काल के बाद अपनी बात कहने का अवसर दूंगा । प्रश्नोत्तर के बाद अपनी बात कहिएगा, मैं अवसर दूंगा । बैठिये । बैठ जाइए न, अवसर दूंगा आपको । वेल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : उक्त बाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–20. 04.2024 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मामले पर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है ।

उक्त आदेश के उपरान्त पटना व्यवहार न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय का उक्त मामले से संबंधित किसी वाद का नोटिस बोर्ड कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः बोर्ड द्वारा इस मामले पर अधिवक्ता से Legal Opinion लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये पूरक ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछता हूं कि न्यायालय में जो है, उस मामले में हमारी कोई बात नहीं है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पढ़ने का अवसर देंगे, मैंने कहा है । मैंने कहा है आपको अवसर दूंगा । बैठ जाइए न । यह सब आप ही लोगों का क्वेश्चन है । क्वेश्चन भी आप ही लोगों का है, बैठ जाइए ।

श्री अखतरूल ईमान : लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 128 खाता नंबर और प्लॉट नंबर–219 में कोई झगड़ा, कोई लफड़ा नहीं है, उस पर जो नाजायज कब्जा है, इसके संबंध में 23.01.2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी को लेटर दिया गया और मैंने पुनः 10.09.2024 को अपने लेटर के जरिये से माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी को दिया है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, माननीय मंत्री जी मामले को घूमा रहे हैं, मेरा साफ मामला है खाता नंबर–128...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अखतरूल ईमान : खाता नंबर–128, खेसरा नंबर–219 में कोई लिटिगेशन नहीं है, उस पर अवैध कब्जा है और अफसोस की बात है कोई और नहीं..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये पूरक ।

श्री अखतरूल ईमान : कहा जाता है कि अंगरक्षक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्हीं का कब्जा है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अखतरूल ईमान : जिसका नाम श्री विष्णु कुमार है । मैं कह रहा हूं कि खाता नंबर–128, खेसरा नंबर–219 जिसमें न्यायालय का कोई मामला नहीं है, इसपर नाजायज कब्जा अब तक क्यों नहीं हटा और कब तक वह हटाएंगे ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइए न । जीरो ऑवर में आपको मौका देंगे बोलने का । मैंने कहा है कि मौका देंगे । मैं अवसर दूंगा आपको बोलने के लिए, आप बैठ जाइए न।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना द्वारा अधिवक्ता से इस मामले पर विधिक मंतव्य/लिगल ओपिनियन प्राप्त किया गया है जिसमें दिये गये परामर्श...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइए न, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए । यह आपका ही है सारा प्रश्नोत्तर काल ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : ...के आलोक में वक्फ स्टेट की भूमि खाता संख्या–128, खेसरा संख्या–219, रकवा–12 डिसमिल व खेसरा संख्या–199, रकवा–2 डिसमिल की नापी एवं अतिक्रमणकारियों की कुल विवरणी उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना से कार्यालय पत्रांक–1434, दिनांक–19.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है । मापी प्रतिवेदन एवं अतिक्रमणकारियों को पूर्ण विवरणी उपलब्ध होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी । अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : जवाब हो गया ।

श्री अखतरूल ईमान : एक अंतिम सवाल पूछूंगा महोदय ।

अध्यक्ष : कलेक्टर को आदेश दिया है ।

श्री अखतरूल ईमान : इन मामलात के लिए सदन नहीं है, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेदारी है कि यह मामला 2021 में भी उनके संज्ञान में दिया गया और मैंने खुद नवंबर के महीने में, अक्टूबर में लिखकर दिया है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी और...

अध्यक्ष : अब हो गया न, कलेक्टर को उन्होंने दिया है 19 तारीख को । जांच के लिए उन्होंने कलेक्टर को दिया है, जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ करेंगे न ।

श्री अखतरूल ईमान : कब तक कब्जा हटा देंगे, समय बता दें ? महोदय, धार्मिक मामला है, वक्फ का मामला है, वक्फ पर तलवार चल रही है, कब तक करा देंगे माननीय मंत्री जी जवाब दे दें ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं उसको करवा लूंगा । बात हो गई है, वह हो जाएगा ।

श्री अखतरूल ईमान : कब तक हो जाएगी ?

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : बहुत जल्द, बहुत जल्द करवा लूंगा ।

तारांकित प्रश्न सं0–''ख''–1273 (श्री मुरारी मोहन झा, केवटी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रणव कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0–''अ''–840 (श्री प्रणव कुमार, मुंगेर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–''ब''–1664 (श्री रणविजय साहू, मोरवा)

अध्यक्ष : श्री रणविजय साहू । रणविजय जी पूरक पूछिये, आपका प्रश्न है ।

(व्यवधान जारी)

रणविजय जी, प्रश्न नहीं पूछना है ?

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0–1975 (श्रीमती मनोरमा देवी, बेलागंज)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठिये न । मैंने कहा है कि मैं शून्यकाल में अवसर दूंगा, बैठ जाइए ।

(व्यवधान जारी)

कहा तो है मैंने । हाँ, बैठ जाइए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान बैठ गए)

(इस अवसर पर सी0पी0आई (एम0एल0) (एल0) के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर चले गए)

तारांकित प्रश्न सं0–1976 (श्री राम सिंह, बगहा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1– वस्तुस्थिति यह है कि वादी प्रकाश कुमार, पे०–स्व० रामचन्द्र प्रसाद के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. आत्मा यादव 2. साहेब यादव दोनों पे०–रामचंद्र यादव 3. होस्टल एव खेलकूद इनचार्ज

शिक्षक प्रभात एवं आर०सी० इन्टरनेशनल विद्यालय के प्रबंधक एवं उसके सभी शिक्षक एवं कर्मचारी के विरूद्ध वादी के पुत्र साहिल राज उम्र 9 वर्ष की मारपीट कर हत्या कर देने के आरोप में चौतरवा थाना कांड स0–09/25, दिनांक–10.02.2025, धारा–103/3(5) बी०एन०एस० के अन्तर्गत दर्ज कराया गया है ।

2– स्वीकारात्मक है ।

3– वस्तुस्थिति यह है कि पर्यवेक्षण के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी है कि थानाध्यक्ष, चौतरवा को दिनांक–09.01.2025 को समय करीब 17:30 बजे जानकारी हुई कि आर०सी० इण्टरनेशनल विद्यालय, चौतरवा के एक छात्र की मृत्यु अनुमंडल अस्पताल में इलाज के क्रम में हो गयी है। तदोपरांत चौतरवा थानाध्यक्ष सनहा सं0–360/25, दिनांक 09.01.2025 दर्ज करते हुए थाना के अन्य पदाधिकारी के साथ घटनास्थल पर पहुँचे तथा इस सबंध में एफ०एस०एल० टीम को सूचित किया गया । घटनास्थल पर पहुँचने के कुछ देर बाद समय करीब 08:30 बजे एफ०एस०एल० टीम घटनास्थल पर पहुँच कर घटनास्थल का जायजा लेते हुए अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया । घटनास्थल पर होस्टल के बच्चों से पुछताछ के क्रम में पता मृतक के पिता प्रकाश कुमार के द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया तथा कांड में बनाये गये प्राथमिकी अभियुक्त आत्मा यादव को बगहा थाना से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । कांड के मृतक बच्चा साहिल राज का अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन चिकित्सक से प्राप्त किया गया है, चिकित्सक द्वारा अपने मतव्य में Neuro haemorrhage shock due to above mentioned injuries weapon hard and blunt substance दिया गया है । पर्यवेक्षण के दौरान स्कूल के खेल मैदान पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित तथा एक XYLO जिसका रजि0नं0–BR22P–1805 है, लगा हुआ पाया गया । जबकि उक्त विद्यालय में होस्टल की सुविधा है और बच्चों के खेलने के मैदान पर ट्रैक्टर और कार लगाया जाना कतई उचित नहीं है । उक्त मैदान पर लगाये गये वाहन से स्कूल प्रबंधक व वाहन के चालक की लापरवाही इंगित करता है । यह घटना मुख्य रूप से खेल मैदान पर लापरवाही से ट्रैक्टर को पार्क किया जाना पाया गया। स्कूल प्रबंधक, कर्मी एवं ट्रैक्टर के मालिक व चालक की लापरवाही पायी गयी ।

4– वस्तुस्थिति यह है कि अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग के पत्रांक–51 के माध्यम से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एस०आई०टी० टीम का गठन/एफ०एस०एल० टीम की सहायता से अनुसंधान/सी०आई०डी० (डब्लू०एस०) टीम के साथ करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक, बगहा को दिया गया है। काड अनुसंधानान्तर्गत है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक विद्यालय है जिसका कांड संख्या अंकित है इसमें । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिला शिक्षा

पदाधिकारी के ज्ञापांक–12, दिनांक–25.01.2025 के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को 06.01.2025 से 11.01.2025 तक पठन–पाठन स्थगित रहेगा । ऐसे में विद्यालय खोलने का क्या औचित्य रहा ? विद्यालय से चौतरवा थाना की दूरी लगभग 400 मीटर है फिर भी थाना को इस घटना की जानकारी 5:30 बजे क्यों हुई ? जनवरी के महीने में साढ़े 5 बजे काफी शाम हो जाती है, शीतलहरी का दिन था, तीसरा मेरा पूरक है विद्यालय में होस्टल की सुविधा हेतु खेल के मैदान में ट्रैक्टर...

अध्यक्ष : राम जी, पूरक पूछिये न ।

श्री राम सिंह : पूरक ही पूछ रहा हूं महोदय ।

अध्यक्ष : क्या है पूरक, पूछिये । बोलिए ।

श्री राम सिंह : महोदय, विद्यालय में होस्टल की सुविधा है तो खेल के मैदान में ट्रैक्टरों और जाइलो गाड़ी लगाने का कहां तक औचित्य है ? मैं यह भी आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें यह स्पष्ट किया जाय कि 9 वर्ष के बच्चे का दौड़ की स्पीड क्या हो सकती है जो ट्रैक्टर ट्रॉली में लगकर उसका जबड़ा टूट जाय, दांत टूट जाय, चेहरा बिगड़ा जाय या सिर फट जाय और शरीर में 23 जगह गंभीर चोट के निशान हैं । एफ0एस0एल0 मुख्य केंद्र मुजफ्फरपुर से जांच कराया जाना चाहिए । चूंकि बच्चों का यह मामला है ।

अध्यक्ष : बैठिएगा तभी न जवाब होगा, आप ही बोले जा रहे हैं । बैठिएगा तभी न जवाब होगा । आप जब तक बैठिएगा नहीं जवाब कैसे होगा ? माननीय मंत्री जी, प्रभारी गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : किनका प्रश्न है ?

अध्यक्ष : श्री राम सिंह जी का है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग के पत्रांक–51 के माध्यम से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एस0आई0टी0 टीम का गठन/एफ0एस0एल0 टीम की सहायता से अनुसंधान/सी0आई0डी0 की टीम के साथ कराने का निर्देश पुलिस अधीक्षक, बगहा को दिया गया है । कांड अनुसंधानान्तर्गत है महोदय ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं सरकार से कि आज 33 से 34 दिन हो गए हैं घटना घटे, कब तक न्याय मिलेगा उस बच्चे के परिवार को, ऐसी घटना को अंजाम देने वाले, निश्चित ही संदिग्ध स्थिति में है चूंकि वहां से होस्टल की दूरी...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, राम सिंह जी ।

श्री राम सिंह : महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूं । वहां से हॉस्पिटल की दूरी 2 किलोमीटर है, थाना की दूरी 4 किलोमीटर है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये राम सिंह जी ।

श्री राम सिंह : दरोगा पर, पुलिस प्रशासन पर कब तक कार्रवाई होगी ?

अध्यक्ष : क्या पूछना चाहते हैं बोलिए ?

श्री राम सिंह : थाना प्रभारी पर, पुलिस प्रशासन पर कब तक कार्रवाई होगी ? आज तक उस पर कोई कोई कार्रवाई नहीं हुआ है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बिना अनुसंधान के कोई कार्रवाई संभव नहीं है और अनुसंधानान्तर्गत है ।

अध्यक्ष : डी0एस0पी0, बगहा को आदेश किया गया है पूरा जांच करने के लिए, कार्रवाई जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसपर कार्रवाई भी की जाएगी...

श्री राम सिंह : महोदय, मैं चाहता हूं कि उचित टीम...

अध्यक्ष : और आपने जो टीम का हवाला दिया है, एफ0एस0एल0 की टीम भी वहां गई है, वह भी पहुंची है ।

श्री राम सिंह : वहां तो जिला की भी टीम है । मैं चाहता हूं कि मुख्यालय के अंदर जो मुजफ्फरपुर है वहां से टीम जाकर जांच करें और उचित जांच करके उसपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री आनंद शंकर सिंह ।

(व्यवधान)

अब क्या पूरक है ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि वहां पुलिस ने जब अपनी रिपोर्ट दी है कि ट्रैक्टर से बालक लगकर घायल था और उसको इलाज कराने के दौरान मौत हुई है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि एक ही बजे उसका डेथ हुआ है और उसके बाद से लाश, अनुमंडल अस्पताल का जो स्लिप है वह बता रहा है कि 5 बजे उसका डेडबॉडी पहुंचा है तो महोदय, पूरा पुलिस इसमें लिप्त है...

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, हम यह पूरक करना चाहते हैं कि सरकार इसकी राज्य स्तरीय जांच टीम से ये कार्रवाई करावें और वहां जो आपराधिक गिरोह का संचालनकर्त्ता जो पूर्व में रहा है उसी के स्कूल में यह घटना हुई है, तो राज्य स्तरीय टीम बनाने का सरकार फैसला करती है कि नहीं करती है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब क्या है पूरक ? आपका कहां है इसमें ? आप कहां चले गए वहां ? पूरक पूछिये ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, पुलिस इंवाल्व है पूरे घटना में । हमारी डी0आई0जी0 से भी बात हुई है वहां जाकर के,..

अध्यक्ष : बैठ जाइए । आप बैठिएगा तब न जवाब होगा ।

श्री सुर्यकांत पासवान : इसकी जांच हो, सरकार उच्च स्तरीय जांच कब तक कराना चाहती है ?

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बता दीजिए न खड़ा होकर ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सी0आई0डी0 को जांच दी गई है, जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा कर के अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जुड़ा हुआ नहीं होगा न । नहीं–नहीं वह नहीं ।

टर्न–2 / आजाद / 24.03.2025

तारांकित प्रश्न सं0–1977(श्री आनन्द शंकर सिंह, औरंगाबाद)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आनन्द शंकर सिंह जी, पूरक पूछिए ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : पूछता हूँ । जवाब नहीं मिला है सर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आनन्द शंकर जी का सवाल पढ़ दीजिए, नहीं मिला है । बैठ जाईए न, कहां विषय को घुमा रहे हैं, बैठ जाईए न ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद सदर प्रखंड के बेलग्राम पंचायत के जर्माखाप गांव में स्थित कब्रिस्तान औरंगाबाद जिला की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, यह तो रटा–रटाया जवाब है ......

अध्यक्ष : जो सही होगा, वही जवाब न होगा । जवाब सही न देना चाहिए ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : शहर के बीचों–बीच यह कब्रिस्तान है और बराबर आशंका रहती है कि झगड़ा–फसाद की, इसको प्राथमिकता में लेकर करा देते तो हमलोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1978(श्री अजीत शर्मा, भागलपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2025 जारी किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि में 18 प्रमुख भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति का व्यापक मूल्यांकन पांच प्रमुख उप–सूचकांकों के आधार पर किया गया है । ये उप–सूचकांक व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक एवं ऋण स्थिरता है ।

2. 18 प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार का एफ.एच.आई. स्कोर 27.8 (Performer) है एवं स्थान 13वां है ।

3. व्यय की गुणवत्ता के सूचकांक के आधार पर पूरे देश में बिहार राज्य का दूसरा स्थान (56.1, Front Runner) है । उल्लेखनीय है कि इस उप सूचकांक में दीर्घकालिक विकास (विकासात्मक) बनाम नियमित परिचालन (गैर–विकासात्मक) पर किये गये व्यय के अनुपात को मापा जाता है । इसमें आर्थिक उत्पादन के हिस्से के रूप में पूँजी निवेश का आकलन किया जाता है ।

4. राजस्व जुटाना (संग्रहण) सूचकांक के आधार पर बिहार राज्य का 18वां स्थान (5.3, Aspirational) है । राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में पिछले पॉच वर्षों में 8.4 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हो रही है । राज्य के अपने कर राजस्व में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो प्रमुख राज्यों की तुलना में बेहतर वृद्धि दर है ।

5. राजकोषीय विवेक सूचकांक के आधार पर बिहार का 17वां (11.5 Aspirational) है । इसमें आर्थिक उत्पादन के सापेक्ष घाटे (राजकोषीय और राजस्व) तथा उधारी का आकलन किया जाता है । विदित है कि किसी भी राज्य द्वारा ऋण उगाही की अधिसीमा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक रूप से निर्धारित की जाती है और निर्धारित अधिसीमा में ही राज्य द्वारा ऋण की उगाही की जाती है ।

6. ऋण सूचकांक के आधार पर पूरे देश में बिहार का 11वां स्थान (47.2, Front Runner) है । ऋण सूचकांक के अन्तर्गत आर्थिक आकार के सापेक्ष ब्याज भुगतान और देनदारियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राज्य के ऋण बोझ का आकलन किया जाता है ।

7. ऋण स्थिरता के आधार पर पूरे देश में बिहार का 10वां स्थान (18. 8, Aspirational) है ।

8. विदित है कि कुल राजस्व प्राप्ति अन्तर्गत राज्य के अपने कर एवं गैर कर राजस्व, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा तथा केन्द्र से प्राप्त होने वाले अनुदानों को शामिल किया जाता है ।

9. केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा मद में प्राप्त होने वाली राशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों में एक बड़ा हिस्सा संवैधानिक संस्था केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर सभी राज्यों को प्राप्त होता है ।

10. राज्य के संसाधन में दूसरा हिस्सा पूंजीगत प्राप्ति का होता है, जिसमें मुख्यतः ऋण उगाही आती है । किसी भी राज्य द्वारा ऋण उगाही की अधिसीमा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के FRBM

Act के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक रूप से निर्धारित की जाती है । निर्धारित अधिसीमा में ही राज्य द्वारा ऋण की उगाही की जाती है ।

11. वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक राज्य के अपने राजस्व प्राप्तियों की वास्तविकी निम्नवत् है :–

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व प्राप्ति	प्रतिशत वृद्धि
2020–21	36543.05	
2021–22	38838.88	6.28
2022–23	48152.63	23.98
2023–24	53614.74	11.35

12. किसी भी राज्य द्वारा अपनी आय के आधार पर ही उसके व्यय का निर्धारण किया जाता है और यह आय की सीमा के अधीन ही होता है ।

13. राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए कर एवं गैर–कर राजस्वों की उगाही करने वाले संबंधित विभागों का विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाता है ।

14. इस प्रकार राज्य के राजस्व प्राप्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । उल्लेखनीय है कि विकासात्मक व्यय में वृद्धि के कारण राज्य के खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित होती है । विकासात्मक व्यय में हुई इस वृद्धि से पूंजीगत निर्माण को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे भविष्य के लिए राजस्व प्राप्ति के नये स्रोत सृजित होंगे ।

उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : श्री अजीत शर्मा, पूरक पूछिए ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो उत्तर दिया गया है, वह गोल–गोल घुमाने का प्रयास किया है । हमने स्पष्ट पूछा है कि क्या यह बात सही है कि नीति आयोग के राजकोषीय घाटे ....

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं कि टेढ़ा–टेढ़ा घुमाया जाय । गोल ही न आदमी घुमाता है ।

श्री अजीत शर्मा : बिहार को तीसरी श्रेणी में रखते हुए नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि बढ़ते कर्ज–खर्च की तुलना में राज्य के राजस्व के स्रोत कम है, मैं केवल एक–एक करके केवल दो पूरक पूछता हूँ, महोदय, मैंने जो पूछा है कि बिहार को तीसरी श्रेणी में रखा है या नहीं, माननीय मंत्री जी कह दें कि नहीं रखा है तो मैं इसपर आगे पूरक नहीं पूछूंगा ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट बताया गया है पूरे विस्तार से, जो नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, उसके विस्तार से मानक

के ऊपर भी बताया गया और राजस्व जुटाना और राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक एवं ऋण स्थिरता इसके उपर पूरे विस्तार से बताया गया है । ठीक है, इनका जो आग्रह है, जो प्रश्न किये हैं, हम जरूर ही कह सकते हैं कि हमें तीसरी श्रेणी में रखा गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है । राजस्व कम है, इससे हम कभी इन्कार कैसे कर सकते हैं ? पिछले तीन वर्षों में जो हमारे राजस्व 2020–21 में थे लगभग बजट में 36543 करोड़ रू0 था और 2023–24 में जहां 2,61,000 करोड़ का बजट था, उसमें मात्र 53617 करोड़ रू0 मेरा था, इसमें कहीं दो मत नहीं है । हमने इसको बढ़ाने के लिए इस बार के बजट का जो स्वरूप हमने किया है, उसमें हमलोगों ने रेवेन्यू को और जेनरेट करने का प्रयास शुरू करेंगे ।

श्री अजीत शर्मा : सर, मैंने पूछा है इनसे पूरक कि नीति आयोग ने बिहार को तीसरी श्रेणी में रखा है या नहीं, माननीय मंत्री जी इसपर जवाब नहीं दिये, दूसरा पूरक मेरा सुन लीजियेगा, तो जवाब दे दीजियेगा । माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि नीति आयोग ने कहा नहीं है कि – बढ़ते कर्ज–खर्च की तुलना में राज्य के राजस्व के स्रोत कम हैं, अगर नहीं कहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है ? यह केवल बता दीजिए कि बिहार को तीसरी श्रेणी में रखा है या नहीं, यह नीति आयोग ने कहा है ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : यह मैंने कहा है कि इसको तीसरी श्रेणी में रखा गया, इसमें कहां दो मत है ।

श्री विजय कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0–1979(श्री विजय कुमार, शेखपुरा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजनान्तर्गत वर्ष 2007 की प्राथमिकता सूची में शेखपुरा जिला अन्तर्गत चयनित सभी 111 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है ।

3. समय–समय पर संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया जाता रहा है ।

4. प्रश्नगत कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए विजय जी ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया है, ये जो 111 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की सूची बता रहे हैं, उसमें दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं कराये हैं । खुले कब्रिस्तानों में सुअर एवं आमजनों द्वारा मल–मूत्र किया जा रहा है । उक्त कब्रिस्तानों की अतिक्रमण भी किये हुए हैं । सरकार कब तक उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का कार्य करेगी, यह मैं सदन के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि यह प्राथमिकता सूची में नहीं है, अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है, कभी–कभी कोई घटना होती है तो उसको खाली कराया जाता है ।

श्री विजय कुमार : महोदय, मेरा पूरक है । क्या सरकार हुसैनाबाद पंचायत के हुसैनाबाद ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य प्राथमिकता सूची में कब तक सूचीबद्ध होगी, समय सीमा बतायें ?

अध्यक्ष : आप भी कुछ पूछ रहे थे, बोलिए ।

श्री मो0 नेहालुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, हमलोग शुरू से देख रहे हैं कि विभाग जब भी जवाब देता है, एक चीज, पूरक पूछते हैं ....

अध्यक्ष : हुसैनाबाद पंचायत के हुसैनाबाद ग्राम के बारे में पूछिए । पूरक पूछिए ।

श्री मो0 नेहालुद्दीन : महोदय, यह कि सरकार 2007 के बाद अब तक कोई सर्वे नहीं करायी गई है नई सूची बनाने के लिए, आप कब तक नई सूची बनाकर के बाकी कब्रिस्तानों को जोड़ना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बाकी सबका नहीं, केवल हुसैनाबाद पंचायत का, आप बैठिए न । यह प्रश्न हुसैनाबाद पंचायत का है, कहां आप विषय उठा रहे हैं, आप अलग से प्रश्न करते, माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

बैठ जाईए । हुसैनाबाद पंचायत का है, कहां से बिहार भर का हो जायेगा, आप राज्यस्तर का अलग से कीजिए । माननीय मंत्री जी, जवाब दीजिए हुसैनाबाद पंचायत का।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार : महोदय, जवाब तो दिलवाया जाय ।

अध्यक्ष : क्या करें, आप ही के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं क्या करूं ? हुसैनाबाद पंचायत का जिक्र उन्होंने किया, उसके बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कब तक हो सकता है, क्या स्थिति है यह बताईए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, डी0एम0, एस0पी0 की अध्यक्षता में एक कमिटी है, वह कमिटी ही .....

(व्यवधान)

ऐसा नहीं न होगा कि आप कहियेगा और हो जायेगा । इसकी प्राथमिकता सूची होती है, इसको डी0एम0, एस0पी0 देखेंगे ।

अध्यक्ष : श्री शकील अहमद खॉ, पूरक पूछिए ।

(व्यवधान)

भाई, जो सवाल है, उसका जवाब ही न होगा । आप राज्यस्तरीय सवाल पूछते, उसी हिसाब से जवाब आता । जो सरकार की नीति है, उसके बारे में उन्होंने बताया है।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

बैठ जाईए अपने स्थान जाईए, कांग्रेस विधायक दल के नेता का प्रश्न है, वह होने दीजिए ।

बैठ जाईए । हुसैनाबाद का मामला था, सरकार ने जवाब दे दिया, अब उसमें क्या बचता हैं । आप राज्य का विषय ले आईए, उसका जवाब आयेगा । राज्यस्तरीय प्रश्न करिए न, आप तो राज्यस्तरीय प्रश्न करते नहीं हैं । आप प्रश्न करते हैं अपने कंस्टीच्यूंसी के एक कब्रिस्तान का, जवाब वही न आयेगा । आप राज्यस्तरीय प्रश्न कीजिए, जवाब आयेगा ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाईए, अपने स्थान पर जाईए । अल्पसंख्यक समुदाय के ही नेता हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता का प्रश्न है, उनको आप क्यों रोकना चाहते हैं । कांग्रेस विधायक दल के नेता से क्या झगड़ा आपको है, आप उनका प्रश्न क्यों नहीं होना देना चाहते हैं ? आप अपने स्थान पर जाईए, आप अपने स्थान पर बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

हाउस नहीं चलने देना चाहते हैं, बंद कर दें । यह तरीका नहीं हो सकता है, प्रश्न होगा एक कब्रिस्तान का और बात करेंगे पूरे बिहार का, ऐसा कहीं होता है क्या ? आपलोग अपने स्थान पर जाईए । आप राज्यस्तरीय प्रश्न कीजिए, राज्यस्तरीय प्रश्न करते नहीं हैं, आपलोग अपने–अपने स्थान पर जाईए।

तारांकित प्रश्न सं0–1980 (श्री शकील अहमद खॉ, कदवा)

(लिखित उत्तर)

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक ।

3. 04 मदरसों का भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र मदरसों के नाम से उपलब्ध कराने हेतु मांग किया गया है ।

शेष 05 मदरसों का प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है । वर्ष 2025–26 में निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वित की जा सकेगी।

अध्यक्ष : शकील साहेब, पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, मैं वजीरे तालिम से यह पूछना चाहता हूँ कि वजीरे तालिम मेरे सवाल का जवाब दे दें, मदरसा सुदृढ़ीकरण का ....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष जी, थोड़ा सा कंट्रोल कर दीजिए तो मैं सवाल थोड़ा .....

अध्यक्ष : मैं तो बार–बार कह रहा हूँ, बताईए न । एक पार्टिकुलर कब्रिस्तान के सवाल पर पूरे राज्यस्तर का कैसे हो सकता है, राज्यस्तरीय सवाल करते तो होता । इसमें कहां आपत्ति है ? आप अपने–अपने स्थान पर जाईए, शकील साहेब को बोलने दीजिए । चले जाईए, बैठ जाईए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल से चले गये)

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, मैं वजीरेतालिम से आपका जो जवाब आया है वजीरेतालिम साहेब, मदरसा सुदृढ़ीकरण की पॉलिसी बिहार सरकार की है, भारत सरकार की जो एम0एस0डी0पी0 की पॉलिसी थी, वह आहिस्ते–आहिस्ते कमजोर होते चली गई, मदरसा सुदृढ़ीकरण हो या मदरसा, सरकारी मदरसे में गवर्नमेंट के पॉलिसी का इम्पलीमेंटेशन हो, वह बिहार सरकार करती रहती है और सर्वशिक्षा अभियान के तहत वहां पैसे भी देती है, स्कॉलरशीप का इन्तजाम करती है और मध्याह्न भोजन का भी इन्तजाम करती है । ..... क्रमशः ......

टर्न–3 / पुलकित / 24.03.2025

(क्रमशः)

श्री शकील अहमद खाँ : मेरा प्रश्न यह है कि अगर आपकी यह पॉलिसी है तो पॉलिसी की पैरालाइसिस क्यों हैं ? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अगर यह पौने दो साल पहले का प्रश्न है और उसका जवाब अभी भी जो हमको एक सरकार की तरफ से कॉन्फिडेंस लगना चाहिए, वह आ नहीं आ रहा है । आप यह बताए कि मदरसा सुदृढ़ीकरण किसी एक मदरसा का, किसी एक जिले का है या नहीं ? आप अगर मानते हैं कि यह एक पॉलिसी है तो इसके अंदर बजटीय प्रोविजन क्या है और अगर बजटीय प्रोविजन है तो उसका हम किस तरह से इंप्लीमेंटेशन कितनी जल्दी करवायेंगे । यह मूल प्रश्न है जिससे कि इस सवाल के और लोगों के भी सवाल होंगे, इसी ताल्लुक के सवाल होंगे । उसका हल हो सकता है । मदरसा सुदृढ़ीकरण बिहार सरकार की योजना है, अच्छी योजना है लेकिन योजना का पैरालाइसिस तब हो जाता है जब उसके अंदर बजटीय प्रोविजन नहीं होता है । बजटीय प्रोविजन के बावजूद भी या तो अधिकारी देर करते हैं या फिर सरकार नहीं चाहती है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री शकील अहमद खाँ : इस प्रश्न का मुझे डिटेल में इन्टरवेंशन करके जवाब दीजिए ।

अध्यक्ष : शकील जी, बैठ जाइये ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं अन्य सरकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराये जाने एवं शैक्षणिक सुधार करने हेतु मदरसा एवं सुदृढ़ीकरण योजना की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2018–19 में की गयी थी ।

यह योजना मदरसों में आधारभूत संरचना में कमी तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु अंतरपूर्ति के रूप में प्रारम्भ की गयी है ।

04 मदरसा यथा– मदरसा रूकनुद्दीन ईदगाह पीपल गाछी, मदरसा सानियाँ फलाहुल मुस्लेमीन, दिघौच, प्राणपुर, मदरसा, मदरसतुल बनात जुबैदा दारूल उलूम, बरेता अंसारी टोला बरारी, मदरसा इस्लामियाँ हाजीपुर एवं मदरसा कटिहार का भूस्वामित्व प्रमाण–पत्र (एल0पी0सी0) इन मदरसों के नाम से उपलब्ध कराने की मांग की गयी है ।

02 मदरसा यथा– मदरसा सिद्दिकिया रिजाउल ईस्लामपुर, मदरसा गौसिया साहिदुल इस्लाम जाजा कदवा का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति से स्वीकृत है । तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

03 मदरसा यथा– मदरसा हेशामियाँ फेज आम, बिजैली मदरसा, रहमानियाँ मदरसतुल बनात जन्मघुटी मदरसा नूरूल इस्लाम दखली शाहनगर का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति के समक्ष रखे जाने प्रक्रियाधीन है ।

श्री शकील अहमद खाँ : वजीर–ए–मोहतरम, मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं कि यह आपकी पॉलिसी है । पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में तेजी क्यों नहीं है ? क्या वजह है इसकी? क्या आपके डिपार्टमेंट के पदाधिकारी या सरकार की नीयत इस मामले में साफ नहीं है क्योंकि जब पॉलिसी है और पैसा है।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ?

श्री शकील अहमद खाँ : यही पूरक है तो उसमें जो कमी है या तो इसको स्वीकार कीजिए कि हां, यह कमी हुई है । आपके पास बजट आया उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक समय पर आप नहीं करवा पायें । यह सिर्फ हमारा मामला नहीं है । अगर यह पॉलिसी है तमाम मदरसों के लिए जो सरकारी है उसमें गवर्मेन्ट की पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होना है तो उस काम को तेजी से होना चाहिए । यह आप स्वीकार कीजिए कि यह काम तेजी से नहीं हुआ है ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, तेजी से काम हुआ है । ऐसी बात नहीं है कि अगर कहीं–कहीं है तो हम दिखवा लेते हैं । उसपर बैठकर हम बात कर लेंगे। आपके यहां भी कई जगह हुआ है ।

श्री शकी अहमद खाँ : आप डिपार्टमेंट से पता कीजिए कि 2018 की इस पॉलिसी के बाद कितने मदरसे सुदृढ़ीकरण की योजना में आये और कहां तक कितना काम हुआ।

यह तो आप पांच और छह की बात कह रहे हैं । कितने ऐसे आये इसका जवाब बाद में भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम दिखवा लेंगे उसको ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह केवल चार मदरसों का जिक्र कर रहे हैं । इस प्रश्न में कोई पांचवां मदरसा नहीं है ।

(व्यवधान)

बैठिये ।

तारांकित प्रश्न सं0–1981 (श्रीमती नीतु कुमारी, हिसुआ)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1982 (श्री ललित कुमार यादव, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में मनीगाछी थाना एवं आवासीय भवन–02 अद्द के विद्युतीकरण सहित मरम्मती कार्य हेतु 12.50 लाख बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को उपलब्ध कराया गया है । भवन की मरम्मति हेतु अग्रतर कार्रवाई बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा की जा रही है ।

साथ ही वित्तीय वर्ष 2024–25 में पुलिस उप–महानिरीक्षक, मिथिला क्षेत्र, दरभंगा द्वारा मनीगाछी थाना के पदाधिकारी का आवासीय भवन एंव महिला बैरक की मरम्मती हेतु कुल 12.00 लाख का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है । तद्नुसार गृह विभाग के संगत संकल्पों के आलोक में उक्त प्रस्ताव को अग्रतर कार्रवाई हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को उपलब्ध करा दिया गया है ।

गृह विभाग के पत्र सं0–12407, दिनांक–13.10.2023 द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी थाना परिसर में 20 क्षमता के महिला सिपाही बैरक के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है । तद्नुसार बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है ।

नेहरा थाना के भवन के निर्माण के लिए समाहर्त्ता, दरभंगा के पत्रांक–2655, दिनांक–29.06.2024 द्वारा मौजा–नेहरा, थाना नं0–10, खाता सं0–1776, खेसरा सं0–673, रकवा–50 डी0 भूमि निःशुल्क हस्तांतरित की गयी है । तद्नुसार भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन एवं प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त है । माननीय मंत्री जी से हम....

श्री रणविजय साहू : महादेय, आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष : आपका जब नाम पुकारा गया तब आप खड़े नहीं हुए । अब आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

नहीं, शुरू में था । मैंने आपका नाम पुकारा, मैंने आपको कहा भी लेकिन आप खड़े नहीं हुए ।

ललित जी, पूरक पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि इनके उत्तर में महिला बैरक की मरम्मती कार्य के लिए 12 लाख रुपया दिया गया है । फिर इन्हीं के उत्तर में है कि महिला बैरक 20 क्षमता के महिला सिपाही बैरक के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है । महोदय, एक तरफ यह बता रहे हैं कि 12 लाख रूपया मरम्मती में दिया गया है और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि 20 क्षमता के महिला सिपाही बैरक के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी । महोदय, हम यह स्पष्ट जानना चाहते हैं कि क्या वहां भवन बन गया है ? उसके बाद ही तो मरम्मती होगी । दूसरी तरफ मरम्मती भवन निर्माण का भी कह रहे हैं । आप उत्तर में देखिए माननीय मंत्री जी को और हम कहना चाहते हैं कि वर्ष 2021–22 में 12 लाख रुपया मनीगाछी थाना के मरम्मती के लिए दिया गया लेकिन जवाब में पुलिस भवन द्वारा कार्य जारी है । महोदय, तीन साल करीब हो गया है, यह थोड़ा उत्तर में भेद लग रहा है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, तीन साल से मरम्मती कार्य चल रहा है । दूसरा महिला बैरक के बारे में एक तरफ कह रहे हैं कि निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मरम्मती महिला बैरक की गयी । महिला बैरक निर्माण है या नहीं ? थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें ।

अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, वित्तीय वर्ष 2024...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । पहले जवाब होने दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, स्पष्ट उत्तर है । लगता है माननीय सदस्य उत्तर ठीक से नहीं पढ़े हैं । वस्तुस्थिति यह है कि....

(व्यवधान)

महोदय, ऐसे कोई चीज नहीं चलेगी । आपसे कम जानकार हैं क्या ये ? आप ज्यादा इनसे जानकार हैं ? यही आप समता पार्टी में थे तो क्या–क्या नारा लगाते थे, हम देखे नहीं हैं ? जहां थे आप, जहां हैं आप उसी के खिलाफ बोलते थे । इनके मामले में भी आप नारा लगाये थे ।

(व्यवधान)

चुप रहिये ।

अध्यक्ष : इन बातों को जाने दीजिए, सब भेद मत खोलिये ।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में...

(व्यवधान)

उत्तर सुना जाए ।

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 2021–22 में मनीगाछी थाना एवं आवासीय भवन–02 अदद के विद्युतीकरण सहित मरम्मती कार्य हेतु 12.50 लाख बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को उपलब्ध कराया गया है । भवन की मरम्मति हेतु अग्रतर कार्रवाई बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा की जा रही है । महोदय, टेन्डर हो रहा है । एक बार टेन्डर हुआ तो उसमें कोई नहीं आया । फिर से टेन्डर किया जा रहा है । अंतिम में है कि भूमि उपलब्ध कराकर के थाना भवन के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । जल्दी–जल्दी निर्देश दिया गया है, कार्रवाई करने का ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, संरक्षण दिया जाए ।

अध्यक्ष : क्या संरक्षण दें ? मैंने आपको पुकारा । मैंने आपका नाम पुकारा, आप उस समय हमको बोलते ।

(व्यवधान)

मैं अब आगे बढ़ गया । अब नहीं ।

तारांकित प्रश्न सं0–1983 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, नवीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : 1–अंशतः स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत दिनांक–13.03.2025 तक 3291 परियोजनाओं को स्टेज–1 क्लियरेन्स (प्रारम्भिक स्वीकृति) प्रदान किया गया, जिसमें 105067.84 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है तथा कुल 1078 परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स प्रदान किया गया, जिसमें निवेश राशि 11963.88 करोड़ रूपये मात्र प्रस्तावित है । उक्त में 861 इकाईयां कार्यरत हुई जिसमें निवेश राशि 9755.80 करोड़ रूपये मात्र है तथा लगभग 38488 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इस नीति के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक–13.03.2025 तक कुल 378 आवेदनों को स्टेज–1 क्लियरेंस प्रदान की गई जिसमें प्रस्तावित निवेश राशि 34420.66 करोड़ रूपये है। कुल 235 इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन हेतु क्लीयरेंस दिया गया, जिसमें निवेश राशि 2730.15 करोड़ रूपये हैं तथा कुल 231 इकाइयाँ कार्यरत हुई, जिसमें निवेश राशि 3481.54 करोड़ रूपये हैं । 231 कार्यरत इकाईयों में लगभग 14027 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ ।

2– वस्तुस्थिति यह है कि बियाडा के अंतर्गत राज्य में वर्तमान में कुल 84 औद्योगिक क्षेत्र है। बियाडा के पास वर्तमान में 1154.2 एकड़ एवं Bihar Integrated Manufacturing Cluster Gaya Limited (BIMCGL), गया में भी 1670

एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी है, जो वर्तमान में रिक्त है । इसके अतिरिक्त नये औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकारी भूमि का उद्योग विभाग को हस्तांतरण एवं रैयती भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है तथा सैकड़ों एकड़ भूमि प्राप्त होने का स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है ।

3– वस्तुस्थिति यह है कि बियाडा के अंतर्गत 40 से अधिक एकड़ वाले भूमि के कई प्लॉट भी उपलब्ध है उदाहरण स्वरूप –

क्र०सं०	औ० क्षे० का नाम	कुल रिक्त भूमि (एकड़ में)
1	औ० क्षे० नावानगर	65.65
2	औ० क्षे० लोहट फेज–1	71.29
3	औ० वि० के० बेगूसराय	53.89
4	औ० क्षे० कुमारबाग	130.46
5	औ० क्षे० बरियारपुर	205.83
6	औ० क्षे० बनमनखी	85.07
7	औ० क्षे० सुपौल	81.04
8	Bihar Integrated Manufacturing Cluster Gaya Limited [BIMCGL] Gaya	1670
9	मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही अंचल में कुल भूमि	460.71 (रैयती)
10	मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल में कुल भूमि	252.23 (रैयती)
11	वैशाली	1243.45 (रैयती)
12	सीतामढ़ी	504.52 (रैयती)
13	नवादा	139.48 (रैयती)
14	अरवल	61.24 (रैयती)
15	नवादा	81.35 (सरकारी भूमि)
16	अरवल	65.95 (सरकारी भूमि)
17	रोहतास	60.05 (सरकारी भूमि)
18	बांका	200 (सरकारी भूमि)
19	मुंगेर	50 (सरकारी भूमि)
20	भागलपुर जिलांतर्गत गोराहीड अंचल में कुल भूमि	117.18 (प्रस्तावित सरकारी भूमि)

इत्यादि ।

4– सरकार उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का सतत् प्रयास कर रही है । किसी भी उद्यमी को भूमि की अनुपलब्धता के कारण उद्योग लगाने से वंचित नहीं होना पड़ा है ।

राज्य सरकार जिन सात जिलों में पूर्व से औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध नहीं थे, उन जिलों में एवं इसके अतिरिक्त 31 अन्य जिलों अर्थात बिहार के सभी 38 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं विकास के लिए भूमि अधिग्रहण तथा सरकारी भूमि हस्तांतरण के माध्यम से भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है ।

इस श्रृंखला में बिहार के कुल 38 जिलों से लगभग 19873 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराए गए हैं । जिसमें अबतक 2692.74 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है तथा शेष भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना द्वारा उपयुक्तता की जाँच की जा रही है ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु उद्योग विभाग को कुल 457.35 एकड़ सरकारी भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण किया गया है । अन्य चिन्हित सरकारी भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।

जब भी निवेशक उद्यमियों द्वारा भू–खंड की आवश्यकतानुरूप आवेदन प्राप्त होगा, बियाडा द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाकर उसे भी आवंटित कराया जायेगा।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक है कि नये उद्योग के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है और सरकार के पास कितनी भूमि उपलब्ध है । दूसरा पूरक है कि भूमि की उपलब्धता के कारण कितने निवेशकों का प्रस्ताव अभी तक लंबित पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष : दो पूरक पूछ लिये हैं आपने । माननीय मंत्री ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के आलोक में तीन पृष्ठों का बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है और इसके बाद भी इनका पूरक है, मैं इनको पुनः यह जानकारी दे दूं कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसे (बियाडा) हम कहते हैं उनके नौ कल्स्टर के तहत 84 इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत है । जो लैंड बैंक शुरूआती दौर में बियाडा के पास था लगभग साढ़े 7 हजार एकड़ का था और जब फिर भूमि आवंटित होते होते हमारा लैंड बैंक कम होता गया । वर्ष 2024 के जुलाई माह में राज्य मंत्री, परिषद ने निर्णय लिया कि हमें लैंड बैंक का विस्तार करना चाहिए जो 31 जिले में इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत है उनमें भी विस्तार करें और सात जिले जहां पर औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत नहीं है वहां भी हम औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करें । उस कड़ी में अभी तक लगभग जो हमारा वित्तीय वर्ष 2024–25 है उसमें हमलोगों ने जो सरकारी भूमि ट्रांसफर

हुई है और जो रैयती भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति हमलोगों ने दी है । लगभग 3100 एकड़ भूमि में नियमित रूप से लैंड बैंक से जुड़ेगा और बिहार के सभी जिलों से कुल लगभग 19,800 एकड़ का प्रस्ताव आया हुआ है जिसको हमलोग क्रमशः अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार या तो हम उसको अधिग्रहण करेंगे या जो सरकारी भूमि है वह ट्रांसफर होगी । जो प्रश्न आपका है कि कितने उद्योग को जमीन की आवश्यकता है । बियाडा के द्वारा नियमित रूप से बैठक की जाती है जिसमें जो प्रोजेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रोजेक्ट को एस0आई0पी0वी0 क्लीयरेंस मिले, सबको भूमि की आवश्यकता है । बहुत जगह उद्यमी अपनी भूमि की व्यवस्था करते हैं लेकिन बियाडा नियमित रूप से बैठक करके भूमि आवंटित करती है और वर्तमान में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, जो भूमि के अभाव में उनका कार्य बाधित है ।

टर्न–4 / अभिनीत / 24.03.2025

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बिहार में औद्योगिक नीति..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, पूरक ही है कि पहले से तैयारी की आवश्यकता है । अक्सर बिहार के बाहर के जो निवेशक हैं वो उद्योग लगाने में देर होने या प्रक्रियात्मक देरी होने की वजह से यहां से लौटकर चले जाते हैं या आने में हिचकिचाते हैं । ऐसी स्थिति में क्या सरकार कोई लैंड एक्वीजिशन पॉलिसी बनाकर और व्यापक स्तर पर लैंड बैंक बनाकर तैयार रखना चाहती है ताकि उद्योगपतियों को किसी स्लैक का सामना नहीं करना पड़े ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया और माननीय सदस्य तो राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं । हमने पूरी प्रक्रिया बताई कि राज्य मंत्री परिषद् से स्वीकृति ले ली है कि हम अपने लैंड बैंक को विस्तारित करें । हरेक जिले से हमलोगों ने प्रस्ताव भी मांगा है जिसमें अभी तक लगभग 19800 एकड़ का प्रस्ताव बिहार के 38 जिलों से हमें प्राप्त हुए हैं । उन प्रस्तावों में कहीं–कहीं लैंड एक्वीजिशन का भी प्रस्ताव है और कहीं सरकारी भूमि ट्रांसफर करने का भी है । प्रथम चरण में हमलोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्रीजी की प्रगति यात्रा हुई उसमें जितने भी नये औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव था उसमें लगभग ढ़ाई हजार एकड़ एक्वॉयर करने के प्रस्ताव को विभाग द्वारा स्वीकृति दी गयी है और लगभग 500 एकड़ जो सरकारी भूमि हैं वे ट्रांसफर हुए हैं । कुल मिलाकर

देखें तो जो हमारा पूर्व से लैंड बैंक था उसमें लगभग 3100 एकड़ अभी हमने जोड़ा है । मंत्री परिषद् का निर्णय जुलाई, 2024 का है, चूंकि बिहार में एक नया औद्योगिक वातावरण बन रहा है और भूमि की हमलोगों को आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आगे की सोचकर हमलोगों ने यह प्रस्ताव मांगा है और अगले वित्तीय वर्ष में बिहार के शेष जिलों में भी, जो प्रस्ताव आये हुए हैं, जो उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त पाये जायेंगे, उनके अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जायेगी और जो सरकारी भूमि उपयुक्त रहेगा उसके हस्तांतरण की भी कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1984 (श्री कुमार शैलेन्द्र, बिहपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1– वस्तुस्थिति यह है कि बिहपुर थाना का भवन पुराना है, जिसका वित्तीय वर्ष 2023–24 में लघु निर्माण के अन्तर्गत शौचालय, रंग रोगन एवं मरम्मति आदि का कार्य कराया गया है।

2– स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर थाना हेतु नया भवन, पुलिस बैरक, आवासीय भवन, कार्यालय के निर्माण कार्य हेतु साईट प्लान सहित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराने के लिए पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–226, दिनांक–21.03.2025 द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को आदेश दिया गया है।

3–उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी, पूरक पूछिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मैंने माननीय मंत्रीजी से पहला प्रश्न किया है भागलपुर जिलांतर्गत बिहपुर प्रखंड के बिहपुर थाना का भवन जर्जर है । उत्तर आया है कि शौचालय, रंग–रोगन एवं मरम्मति कार्य कराया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए । पूरा जवाब पढ़िए और उसके बाद पूरक पूछिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, पूरा जवाब पढ़ लिये हैं । पहले तो यह जर्जर भवन का उत्तर नहीं है, दूसरा प्रश्न है कि नया थाना भवन बनाने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है फिर भी जर्जर भवन में पुलिस पदाधिकारी...

अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी, पूरक पूछिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : एक मिनट महोदय, उन्होंने जमीन के बारे में स्वीकारात्मक कहा है । महोदय, जब मैंने प्रश्न किया है तो 21 मार्च को कहा गया है कि हम तकनीकी अनुमोदन के लिए, साईट प्लान और तकनीकी अनुमोदन के लिए आदेश दिये हैं । महोदय, अभी प्रश्न किये हैं तो ये मधेपुरा और सुपौल थाना बिहपुर के नाम से जाना जाता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अच्छा है न कि आदेश दिया गया है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : जी महोदय । महोदय, वही तो हम जानना चाहते हैं कि ये समय निर्धारण करना चाहते हैं, अभी तकनीकी अनुमोदन के लिए ये केवल आदेश दिए हैं..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : पानी चूता है, जर्जर भवन है और..

अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी, पूरक पूछिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : पुलिस बल पूरे हैं लेकिन, पूरक तो यही पूछ रहे हैं कि कबतक बनाना चाहते हैं ? यह तो केवल आदेश दिए हैं ।

अध्यक्ष : इतना ही एक लाईन पूछना था ।

माननीय मंत्रीजी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 21.03.2025 को, पुलिस भवन निर्माण निगम निर्माण का काम करती है, उनको निर्देश दिया गया है कि स्टीमेट सुपूर्द करें, जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, एक मिनट । आपका संरक्षण चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो तो गया । जल्द कार्रवाई होगी ।

माननीय सदस्य श्री छत्रपति यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या– 1985 (श्री छत्रपति यादव, खगड़िया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : 1–खगड़िया जिला में पूर्व से हवाई अड्डा नहीं है । सरकार के पास खगड़िया जिला में नया हवाई अड्डा निर्माण करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

2– खगड़िया जिला के सीमावर्ती जिलों भागलपुर एवं सहरसा में पूर्व से हवाई अड्डा अवस्थित है ।

भागलपुर जिला में नये ग्रीनफिल्ड हवाई अड्डा के लिए भी Pre-feasibility जांच प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है लेकिन मेरी जो मांग है उसके अनुरूप जवाब नहीं है । हमने कहा की खगड़िया जिला में हवाई अड्डा का निर्माण करने की आवश्यकता है, तो मंत्रीजी जवाब दिए हैं कि खगड़िया जिला में पूर्व से हवाई अड्डा नहीं है । खगड़िया जिला में नया हवाई अड्डा..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री छत्रपति यादव : ..का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । क्यों नहीं है ? यह जानना आवश्यक है । विचार क्यों नहीं है, मंत्री जी बतायें ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्यों नहीं है, यह तो जवाब में लिखा हुआ है ।

श्री छत्रपति यादव : विचार क्यों नहीं खगड़िया जिला में है, 40 साल बने हुए हो गये हैं । सरकार के विचार में क्यों नहीं लाया गया ?

अध्यक्ष : आप पूरा जवाब पढ़िए न, उसमें लिखा हुआ है ।

माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आपने तो उत्तर में क्या–क्या है उनको बता ही दिया है । उन्होंने कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, आपने कहा कि बनाने के लिए तो उसी का न जवाब है कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । दूसरा पूरक आपने पूछा कि क्यों नहीं है, तो उसके लिए भी उसमें दिया हुआ है कि एक बगल भागलपुर में और दूसरी तरफ सहरसा में हवाई अड्डा है । वैसे माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है तो हमने सरकार की तरफ से इनको सूचना दी है और सदन को भी बताना चाहते हैं कि अभी केंद्र सरकार ने भागलपुर के आस–पास एक ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट डेवलप करने का आवश्वासन या योजना बनाई है उसमें हमलोग सर्वेक्षण करा रहे हैं भागलपुर के आस–पास के इलाकों की, खगड़िया में भी क्या संभाव्यता हो सकती है हम उसमें शामिल करा देंगे और अगर वहां उपयुक्तता आयेगी तो उस पर कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1986 (श्री विनय बिहारी, लौरिया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1– वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी थानों में विभिन्न आपराधिक मामलों एवं अन्य मामलों में जप्त वाहनों को थाना परिसर अथवा थाना के आसपास खाली स्थानों में रखा जाता है। कुछ थानों में जिनके पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ किसी दूसरे स्थान पर भी ऐसे वाहनों को रखा जाता है। इन वाहनों को सिल–सिलेवार ढंग से रखा जाता है एवं रखने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित किया जाता है कि इसके कारण यातायात अथवा अन्य कोई समस्या नहीं हो।

2– वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्येक थाना में जप्त गाड़ियों को थाना परिसर में सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। प्रत्येक दिन थाना स्तर से एक पुलिस कर्मी को थाना परिसर में रख सभी प्रकार के सामानों की देख रेख करने हेतु जिम्मेवारी दी जाती है, ताकि उन गाड़ियों तथा पार्ट्स आदि की चोरी नहीं हो सके।

3– वस्तुस्थिति यह है कि थाना में जप्त गाड़ियों को समय–समय पर न्यायालय के आदेशानुसार छोड़ा जाता है।

4– जप्त किए गए वाहनों के उचित एवं सुरक्षित रख–रखाव हेतु सरकार द्वारा पटना जिला में 18 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है। राज्य के अन्य जिलों में भी जप्त वाहनों के रख–रखाव हेतु केन्द्रीकृत यार्ड बनाने के लिए जिला मुख्यालय के आस–पास 2.00 एकड़ से 5.00 एकड़ भूमि चिन्हित करने का आदेश विभागीय पत्रांक–597, दिनांक–12.01.2023 द्वारा सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है।

अध्यक्ष : विनय जी, पूरक पूछिए ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, राजस्व क्षति के लिए सरकार क्या करना चाहती है, यह पूछना चाहता हूं । राजस्व क्षति को रोकने के लिए सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अंत में दिया गया है खंड 4 में कि जप्त किए गए वाहनों के उचित एवं सुरक्षित रख–रखाव हेतु सरकार द्वारा पटना जिला में 18 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है। राज्य के अन्य जिलों में भी जप्त वाहनों के रख–रखाव हेतु केन्द्रीकृत यार्ड बनाने के लिए जिला मुख्यालय के आस–पास 2. 00 एकड़ से 5.00 एकड़ भूमि चिन्हित करने का आदेश विभागीय पत्रांक–597, दिनांक–12.01.2023 द्वारा सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, कुल कितनी जगहों को चिन्हित किया जा चुका है, यह संख्या बताई जाय और पश्चिमी चंपारण में क्या ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, हर जिले में, पटना में ले लिया गया है और हर जिले में डी0एम0 को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द 2.00 से 5.00 एकड़ जिला के इर्द–गिर्द जमीन उपलब्ध करावें, तो जल्दी कार्रवाई होगी ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछ रहा हूं कि पश्चिमी चंपारण में कब किया गया है ? पश्चिमी चंपारण में कोई जगह चिन्हित की गई है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी रिपोर्ट नहीं आयी है, चूंकि जनवरी में तो आदेश ही हुआ है । 12 जनवरी को आदेश हुआ है ।

माननीय सदस्य श्री प्रणव कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1987 (श्री प्रणव कुमार, मुंगेर)

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रश्न कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में ट्रांसफर हुआ है ।

माननीय सदस्य श्री मो0 अफाक आलम ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1988 (श्री मो0 अफाक आलम, कसबा, पूर्णियां)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तु–स्थिति यह है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के मलहरिया पंचायत के देवदा गाँव में स्थित कब्रिस्तान पूर्णियाँ जिला के वर्ष 2007 की जिला स्तरीय प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

अध्यक्ष : आफाक जी, पूरक पूछिए ।

श्री मो0 आफाक आलम : महोदय, पूरक यह है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी कब तक करायी जायेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बार–बार एक ही उत्तर, कलेक्टर, एस0पी0 की अध्यक्षता में कमेटी, संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता तय की जाती है । यह अभी प्राथमिकता सूची में नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ।

श्री मो0 अफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, सुना जाय । यह सवाल मेरा जो है पिछले कई सालों से है और बार–बार यही कहा जा रहा है कि डी0एम0, एस0पी0, जब डी0एम0, एस0पी0 को हमलोग पूछते हैं तो वे बताते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई योजना नहीं है । सर, कोई सूचना नहीं है तो मेरा कहना है कि ये कब्रिस्तान के सवाल तो बार–बार सदन में आते हैं और ये मीटिंग भी नहीं करा रहे हैं, 2017 से मीटिंग भी नहीं हुई है, तो हम माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहते हैं कि मीटिंग की समय–सीमा बतायी जाय और उसको चिन्हित किया जाय कि कबतक करेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह तो स्पष्ट है इसमें कंफ्यूजन की क्या जरूरत है । जहां विवाद होने की संभावना हो वह प्राथमिक सूची में शामिल होता है । आपलोग बहुत शोर मचाते हैं, श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का निर्णय लिया गया । इसके पहले कुछ नहीं था लेकिन हल्ला करते हैं । बारी–बारी से किया जायेगा ।

श्री मो0 अफाक आलम : अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता । पूरक पूछिए, वीरेंद्र जी ।

श्री मो0 अफाक आलम : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : अब हो गया, आफाक जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या– 1989 (श्री वीरेंद प्रसाद गुप्ता, सिकटा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1– अस्वीकारात्मक ।

वस्तु–स्थिति यह है कि विगत 2 वर्षो में वर्ष 2007 की प्राथमिकता सूची से पश्चिम चम्पारण जिला के सिकटा प्रखंड अन्तर्गत सूर्यपुर पंचायत के ग्राम–सूर्यपुर हल्का–3 में थाना–329, खाता–7, खेसरा–275 की घेराबंदी कार्य पूर्ण कराया गया है।

इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में से पश्चिम चम्पारण जिला के मैनाटांड़ प्रखंड के महुअवा सगरौल पंचायत के ग्राम बलिरामपुर के थाना–300, खाता–113, खेसरा–157 एवं लक्ष्मीपुर पंचायत के ग्राम भभड़वा के थाना–294, खाता–104, खेसरा–298 एवं 2992 में कब्रिस्तान घेराबन्दी कार्य पूर्ण कराया गया है।

2– स्वीकारात्मक।

जिला की प्राथमिकता सूची वर्ष 2007 के अनुसार उक्त कब्रिस्तान प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

3– प्राथमिकता सूची के अनुसार पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत चयनित 161 में से 150 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी पूर्ण हो चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन है।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है।

अध्यक्ष : वीरेंद्र जी, पूरक पूछिए ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, जवाब आया है । उस जवाब के आधार पर हम सरकार से जानना चाहते हैं कि 2007 में कब्रिस्तानों की घेराबंदी की सूची बनी थी और उसके बाद आज 18 साल बीत गये । नफरत की राजनीति जो पूरे देश में हो रही है इससे तामम लोगों के कब्रिस्तान संवेदनशील हो गये हैं और जो जवाब में आया है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

टर्न–5/हेमन्त/24.03.2025

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : जी, पूरक ही पूछ रहे हैं । जो जवाब में आया है कि जो 2007 की सूची थी उसमें से बहुत कम बच गया है, बाकी सब काम हो गये हैं । संवेदनशीलता को देखते हुए, नफरत की राजनीति को देखते हुए जिला प्रशासन को सरकार कब तक नयी सूची बनाने का आदेश देती है ? पहला पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, निर्देशित किया जायेगा । अगर इमरजेंसी है, तो उसको तुरंत करवा देंगे ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, समय के निर्धारण की मांग कर रहे हैं, जब वहां उस जिले में सूची खत्म हो गयी है ।

अध्यक्ष : शीघ्र करा रहे हैं । शीघ्र कहा उन्होंने ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : शीघ्र नहीं, शीघ्र का टाईम बता दिया जाय । एक माह, दो माह, चार माह, छः माह...

अध्यक्ष : शीघ्र तो दो दिन में भी हो सकता है ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, शीघ्र तो दो दिन में भी हो सकता है न, एक, दो महीने में क्यों चाहते हैं ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : नहीं, यह हम मंत्री जी से सुनना चाहेंगे, सरकार से सुनना चाहेंगे महोदय।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैंने कहा तो, कितनी बार कहें । डीएम को निर्देशित किया गया, अगर वहां जो माननीय सदस्य बता रहे हैं, उसको जल्दी–से–जल्दी दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : श्रीमती अनिता देवी ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, यह स्पष्ट नहीं हुआ । दूसरी बात हम यह कह रहे हैं...

अध्यक्ष : श्रीमती अनिता देवी ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : यह हमारा दूसरा पूरक है...

अध्यक्ष : हो गया ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1990 (श्रीमती अनिता देवी, नोखा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि–

1. रोहतास जिला अन्तर्गत नासरीगंज प्रखंड के ग्राम कछवा के कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है ।

2. ग्राम परसिया एवं पवनी के कब्रिस्तान रोहतास जिला के वर्ष 2007 की जिला स्तरीय प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

अध्यक्ष : अनिता जी, पूरक पूछिये ।

श्रीमती अनिता देवी : सर, मेरा पूरक है, जवाब में आया है कि नासरीगंज, कछवा में कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गयी है, लेकिन यह गलत जवाब है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हो गया । जवाब दिया उन्होंने । बैठ जाइये ।

श्रीमती अनिता देवी : सर मेरा पूरक है, जवाब में आया है कि नासरीगंज प्रखंड के ग्राम कछवा के कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है, लेकिन यह जवाब गलत है । वहां के ग्रामीण लोगों ने निजी सहयोग से थोड़ा बहुत कब्रिस्तान की घेराबंदी करायी है और पवनी और परसिया में, जवाब में आया है कि वहां 2007 से पहले ही सर्वे हो गया जिसमें पवनी और परसिया का कब्रिस्तान नहीं लिया गया । जब डीएम, एसपी से सवाल किया जाता है, तो कहा जाता है कि विभाग से ऑर्डर नहीं आता है और यहां पर कब्रिस्तान की घेराबंदी का आदेश नहीं दिया जाता है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती अनिता देवी : मैं पूछना चाहती हूं कि नासरीगंज प्रखंड में कब कब्रिस्तान की घेराबंदी होगी और यह जो गलत जवाब दिये हैं, आपके अधिकारी..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न ।

श्रीमती अनिता देवी : गलत जवाब के लिए कार्रवाई कब होगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, स्पष्ट है कि प्राथमिक सूची में यह नहीं है । प्राथमिक सूची में जब आयेगा, तो लिया जायेगा ।

श्रीमती अनिता देवी : नहीं, महोदय । जवाब यह मिला है सरकार का कि कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गयी है, लेकिन चंदा के द्वारा हुआ है । यह गलत रिपोर्ट दी गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या का कहना है कि ग्राम कछवा के कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है, यह जो रिपोर्ट है, वह गलत है, यह कह रही हैं । इसकी जांच करवा ली जाय ।

श्रीमती अनिता देवी : सर, इसकी जांच करवा ली जाय ।

अध्यक्ष : जांच करवा लेंगे । बैठिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : लिखकर दे दीजिए ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1991 (श्री सुधांशु शेखर, हरलाखी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अस्वीकारात्मक है ।

मतदाता के मृत्योपरांत संबंधित बी0एल0ओ0 द्वारा सत्यापन कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं Elector Registration Rule, 1960 के तहत विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित करने की कार्रवाई की जाती है ।

अस्वीकारात्मक । मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का जाति/धर्म अंकित नहीं है ।

मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं का नाम दर्ज है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं Elector Registration Rule, 1960 के तहत अर्हता रखते हैं ।

अस्वीकारात्मक ।

नालंदा जिला के राजगीर प्रखंड अन्तर्गत भूई पंचायत में फर्जी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल से संबंधित स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत पूर्व में प्राप्त हुई थी, जिसके उपरांत टीम गठित कर जांच करवायी गयी एवं मृत/पलायित/अयोग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया गया है । वर्तमान में इस तरह का कोई मामला नहीं है ।

उपरोक्त में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : श्री सुधांशु शेखर जी, पूरक पूछिये ।

श्री सुधांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, भूई पंचायत, बूथ नं0–309 और बी0एल0ओ0 के द्वारा 94 लोगों का नाम नहीं हटाया गया, जो मृतक हैं । आवेदन दिया गया है जिला में और एस0डी0ओ0 साहब के पास भी दिया गया है, 2024 में ही आवेदन दिया गया । यह नाम हटाने का विचार कब तक रखती है सरकार ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने तो उत्तर में कहा है कि जांच भी हुई है, कुछ उसमें गलत पाये भी गये थे, उनका नाम हटाया भी गया है । लेकिन अगर माननीय सदस्य को सूचना है कि कोई मतदाता फर्जी ऐसे हैं, जिनका नाम नहीं हटाया गया है, तो वह सूची उपलब्ध करा दें । हम जिलाधिकारी के स्तर से जांच कराकर, अगर फर्जी पाया गया तो निकाल दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1992 (श्री शमीम अहमद, नरकटिया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि–

1. मंदिर चहारदीवारी योजना वर्ष 2016 से प्रारंभ है । दिनांक 19.09.2016 से मंदिरों की चहारदीवारी निर्माण के लिए जिला स्तर पर एक प्राथमिकता सूची जिला स्तरीय दो सदस्यीय समिति जिसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होते हैं, द्वारा तैयार की जाती है ।

गृह विभाग द्वारा बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित एवं जिलास्तरीय प्राथमिकता सूची में शामिल मंदिरों की चहारदीवारी का प्रावधान है ।

2. कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में प्राथमिकता सूची तैयार की गयी । जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर तैयार प्राथमिकता सूची से क्रमबद्ध ढंग से कब्रिस्तानों की घेराबंदी करायी जा रही है ।

कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये शमीम साहब ।

श्री शमीम अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पुस्तिका में लगभग 13 क्वेश्चन सिर्फ कब्रिस्तान की घेराबंदी से हैं । मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि कब तक सूची बनाकर देंगे, पहला पूरक है । दूसरा पूरक यह

है कि अगर सूची नहीं बना पाते हैं, तो विधायक फंड में जो आया है कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए, इस सूची से अलग कर देंगे इसको ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, एक धारणा जो बन रही है, सत्य यह है कि सरकार ने तय किया था कि कब्रिस्तान के चलते हिंदू–मुस्लिम के बीच दंगा हुआ करता था, घटनायें हुआ करती थी । उसको रोकने के लिए ये नीतियां लायी गयी थी, तो जहां इस तरह के विवाद नहीं हैं, वह कलेक्टर, एस0पी0 देखकर प्राथमिकता सूची में नहीं लाते हैं । बारी–बारी से आयेंगे, कार्रवाई होगी, लेकिन प्राथमिकता सूची में वही आता है, जहां विवाद होता है । इसलिए जल्दी–से–जल्दी घेराबंदी कर दी जाती है ।

श्री शमीम अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की अति संवेदनशीलता नहीं होती, तो इतने प्रश्न लाने की क्या आवश्यकता है । इसमें मंदिर की भी जो घेराबंदी है और कब्रिस्तान की भी घेराबंदी है, अगर सरकार अपने फंड से नहीं कराना चाहती है, तो अलग कर दे इस सूची से, विधायक अपने फंड से करा लेंगे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : विधायक का फंड भी तो सरकार का पैसा है । नीतिगत निर्णय के अनुरूप ही कर सकते हैं आप ।

श्री शमीम अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सूची से अलग करा दिया जाय । इस सूची से अलग हो जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने तो दीजिए प्रश्नकर्ता को ।

श्री शमीम अहमद : माननीय मुख्यमंत्री जी भी चार साल पहले इसी विधान सभा में ऐलान किये थे कि मंदिर की घेराबंदी और कब्रिस्तान की घेराबंदी विधायक अपने फंड से करा सकते हैं । महोदय, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बताइये इसमें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उसमें भी प्राथमिकता सूची में रहने पर ही होता है । विधायक फंड से यह करवा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता सूची में रहने पर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप कहां ? पूर्वी चम्पारण का मामला है । बैठिये ।

श्री पवन कुमार यादव ।

(व्यवधान)

हो गया । इतने विस्तार से बात हुई है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1993 (श्री पवन कुमार यादव, कहलगांव)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. वस्तुस्थिति यह है कि कहलगांव थाना भवन काफी पुराना है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आलोक में थाना भवन में बलों के रहने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है । कहलगांव क्षेत्र में अन्य कहीं बलों के रहने की व्यवस्था नहीं रहने के कारण मौजूदा परिस्थिति में विधि–व्यवस्था/सुरक्षा व्यवस्था संधारण हेतु करीब 20 पुलिस कर्मी को शारदा पाठशाला इन्टरस्तरीय विद्यालय परिसर स्थित टाउन हॉल में रहना पड़ रहा है । टाउन हॉल में किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने पर उन पुलिस कर्मियों के द्वारा परिसर को खाली कर दिया जाता है जिससे कि टाउन हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है।

2. वस्तुस्थिति यह है कि कहलागांव थाना भवन काफी पुराना है तथा थाना का कुल रकबा 156.125 डी0 है । थाना के मुख्य भवन से करीब 20 मीटर पश्चिम परित्यक्त भवन (बैरक) है । उक्त पुराने एवं जर्जर परित्यक्त भवन (बैरक) को तोड़कर नया थाना भवन का निर्माण किया जाना अपेक्षित है । उक्त परित्यक्त भवन (बैरक) के विनष्टीकरण हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के पत्रांक–409, दिनांक–09.05.2024 एवं पत्रांक–112, दिनांक–29.01.2025 के द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, भागलपुर से अनुरोध किया गया है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि पुराने एवं जर्जर परित्यक्त भवन (बैरक) का विनष्टीकरण होते ही साईट प्लान तैयार कराकर नया थाना भवन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : पवन जी, पूरक पूछिये ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक है कि कहलगांव थाना कब तक मॉडल थाना भवन बनेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि पत्रांक–409, दिनांक–09.05.2024 एवं पत्रांक–112, दिनांक–29.01.2025 के द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, भागलपुर से अनुरोध किया गया है । जल्दी–से–जल्दी इस्टीमेट तैयार करके अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : जल्दी–से–जल्दी किया जायेगा । बैठिये ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है कि पिछले चार वर्षों से इंटरस्तरीय शारदा पाठशाला के टाउन हॉल में रह रहे पुलिसकर्मियों द्वारा पूर्णरूपेण टाउन हॉल को कब तक खाली कराया जायेगा ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में तो स्पष्ट है जब बन जायेगा, तो खाली करा लिया जायेगा ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा पूरक है कि किन्हीं गरीब–गुरबा को जरूरत पड़ती थी तो प्रतिदिन 5100 रुपया लेकर वह टाउन हॉल बुक किया जाता था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा चार साल से अवैध रूप से उसमें रखा गया और राजस्व की हानि हुई । क्या उस पुलिस पदाधिकारी से सरकार, जितने राजस्व की हानि हुई है, वसूली कब तक करायेगी ?

अध्यक्ष : सरकार तो कह ही रही है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अस्थायी तौर पर पुलिस की भी जरूरत है और टाउन हॉल की जब भी जरूरत होती है, तो उसको खाली कराकर कराया जाता है । ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1994 (डॉ0 संजीव कुमार, परबत्ता)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिलान्तर्गत वीरवास पसराहा थाना अस्थायी पिकेट के रूप में सामुदायिक भवन में संचालित है, जिसमें दो शौचालय एक चापाकल उपलब्ध है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित थानों/ओ0पी0 का ही भवन निर्माण कराया जा रहा है । खगड़िया जिलान्तर्गत गोगरी प्रखंड में पैंकात पंचायत के वीरवास में पुलिस ओ0पी0 अधिसूचित नहीं होने के कारण वर्तमान में उक्त ओ0पी0 की चहारदीवारी एवं शौचालय निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है उससे असंतुष्ट हूं और जवाब भी गलत दिया गया है । यहां पर दिया गया है कि जो वीरवास में है, पसराहा थाना के अंतर्गत अस्थाई पिकेट है, जबकि पिछले दस साल से वहां पर ओ0पी0 के नाम पर भवन भी बना है और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का लेटर भी है जिससे वह भवन बना है ओ0पी0 के नाम पर और जवाब में आ रहा है कि वह पिकेट है । यह भी जवाब दिया गया कि अभी वह पिकेट है, ओ0पी0 के लिए ही भवन निर्माण होता है, तो जवाब ही गलत है । अगर ऐसा गृह विभाग में है कि ओ0पी है, तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह पिकेट है, तो ओ0पी0 का दर्जा देकर उसकी चहारदीवारी करें, क्योंकि एक दर्जन वहां पुलिसकर्मी रहते हैं, असुरक्षित हैं, कोसी नदी के किनारे का एरियाा है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, स्पष्ट है कि ओ0पी0 का कोई प्रावधान नहीं है । फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं, तो लिखकर भिजवा दें हम इसको देख लेंगे ।

डॉ संजीव कुमार : धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह जवाब गलत है । ओ0पी0 पर ही भवन बना है ।

अध्यक्ष : हां तो वह दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1995 (श्री तारकिशोर प्रसाद, कटिहार)

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत कटिहार जिले के लिये 118 लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से रैण्डमाईजेशन के द्वारा 105 लाभुकों को चयनित किया गया । स्क्रूटनी एवं प्रशिक्षणोपरांत 93 लाभुकों को प्रथम किस्त 90 लाभुकों को द्वितीय किस्त एवं 56 लाभुकों तृतीय किस्त के रूप में 8 करोड़ 44 लाख रूपये सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है ।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चारों अवयवों यथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, युवा एवं महिला उद्यमी योजना के लिये कटिहार जिले का लक्ष्य 454 था । जिसमें से अंतिम रूप

से चयनित लाभुकों में से 394 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 220 लाभुकों को तृतीय किस्त के रूप में 35 करोड़ 32 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये ।

उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिले में अंतिम रूप से चयनित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के 105 लाभुकों में से जिन लाभुकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं उद्यम लगाने हेतु इच्छुक वैसे 93 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी गयी है । प्रथम किस्त प्राप्त करने वाले वैसे 90 लाभुक जिन्होंने प्रथम किस्त की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र पोर्टल पर अपलोड किये और जांच के क्रम में सही पाये गये उन्हें द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गयी । प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्राप्त मात्र 56 लाभुकों का स्थल जांच के क्रम में उनकी इकाई कार्यरत पायी गयी तथा उनके द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गयी । फलस्वरूप उन्हें तृतीय किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गयी । जिन लाभुकों ने अपने उद्यम इकाई का संचालन प्रारंभ नहीं किया अथवा राशि का निर्धारित प्रयोजन में उपयोग नहीं किये उन्हें 30 सितम्बर, 2023 तक का समय दिया गया था। निर्धारित तिथि तक विहित औपचारिकताएं नहीं करने पर एवं प्रस्तावित इकाइयां कार्यरत नहीं रहने की स्थिति में तृतीय किस्त की राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं प्राप्त कर सकें ।

उपरोक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 15 अक्टूबर 2023 के प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये इस योजना को बंद किया जा चुका है ।

अध्यक्ष : अरूण जी, पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उत्तर पढ़ दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री उद्योग विभाग, तारकिशोर जी के प्रश्न का उत्तर पढ़ दीजिए ।

टर्न–6 / धिरेन्द्र / 24.03.2025

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अशंतः स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजनांतर्गत यथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति–जनजाति, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष

2021–22 में कटिहार जिलांतर्गत कुल 394 लाभुकों को प्रथम किस्त, 370 लाभुकों को द्वितीय किस्त एवं 220 लाभुकों को तृतीय किस्त के रूप में कुल 35 करोड़ 32 लाख रूपये की राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में वितरित की गई ।

खंड–ख, वस्तुस्थिति यह है कि इस योजनांतर्गत लाभुक को तीन किस्तों में अधिकतम 10 लाख रुपये यथा–प्रथम किस्त में स्वीकृत परियोजना राशि का 40 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में कुल स्वीकृत परियोजना राशि का 40 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में कुल स्वीकृत परियोजना राशि का 20 प्रतिशत की राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है । प्रत्येक किस्त की राशि का लाभुक द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र पोर्टल पर अपलोड किये जाने के बाद महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जांचोपरांत प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अगली किस्त की राशि दिये जाने का प्रावधान है ।

खंड–ग, वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–07.09.2023 को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षात्मक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 का प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों की स्थलीय जाँच करा कर कार्य करने वाले लाभुकों का प्राप्त राशि पर परियोजना समाप्त की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें तृतीय किस्त बकाया की बात उन्होंने कहीं–न–कहीं स्वीकार्य की है और उसके लिए वर्ष 2023 में ही कमेटी गठित कर विचार हुआ । अभी तक जिन लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान नहीं हुआ है । कब तक माननीय मुख्यमंत्री जी सारी प्रक्रिया पूरी कर तृतीय किस्त का भुगतान करा देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न सिर्फ युवा उद्यमी पर था, हमने विस्तार से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो डिफरेंट कम्पोनेंट्स हैं उसका हमने उत्तर दिया और अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात से अवगत होंगे कि कोई भी योजना की एक लिमिटेशन, कोई एक अवधि ही रहेगी । वित्तीय वर्ष 2021–22 का आज चार वर्ष बीत गया है । विभाग ने कई बार उनको मौका भी दिया, करीब पाँच से छः बार जो निर्धारित तिथि थी उसको भी बढ़ाया गया ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र लाभुक के द्वारा अपलोड किया जा सके, उसके बाद भी अगर कोई लाभुक शेष रह जाते हैं तो वर्तमान में जैसा मैंने कहा कि विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि As is where, जहाँ उनकी परियोजना है उसी पर हम क्लोज करेंगे तो वैसे लाभुक जिनको कई अवसर देने के बाद भी थर्ड किस्त

वे प्राप्त नहीं कर सके हैं उनको तृतीय किस्त वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए देने पर विभाग अभी विचार नहीं कर रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया । स्पष्ट हो गया है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, सहानुभूतिपूर्वक माननीय मंत्री जी को उद्यमियों के ऊपर विचार करना चाहिए और मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आप वर्ष 2021–22 का भले ही है, उसमें विभाग की भी त्रुटियां हैं कि अभी तक उनलोगों की उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय अपलोड नहीं हुआ और अगर उसमें उनकी भी थोड़ी बहुत गलती है तो उन्हें एक अवसर देकर फिर से जो उनकी बकाया राशि है उसे देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । महोदय, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वरोजगार की स्थिति में बिहार को व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि अभी हम शिशु अवस्था में हैं क्योंकि एक पूरा इको सिस्टम बन रहा है कि जहाँ लोग स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कई अवसर दिये और सिर्फ वर्ष 2021–22 में ही नहीं, बाद में भी वित्तीय वर्ष जितने उद्यमी हैं और कहीं–न–कहीं कमी रही कि समय पर वे नहीं कर पायें, उसको विभाग ने महसूस किया इसलिए पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि को भी बढ़ाया गया लेकिन कहीं–न–कहीं जो लाभुक भी राशि लेते हैं उनकी भी जवाबदेही बनती है कि ससमय योजना की जो क्रायटेरिया है, जो अर्हता है उसको वह पूरा करें, डॉक्यूमेंट समय पर दें, कई अवसर उनको दिया गया । महोदय, वर्ष 2021–22 पर विचार करना फिलहाल वह संभव नहीं है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1996 (श्री जनक सिंह, तरैया)</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत नवसृजित पद पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), सारण का आवास–सह–कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है । भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–2924, दिनांक–07.03.2025 के आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक–1100, दिनांक–07.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नवसृजित पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के आवास–सह–कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्रवाई की जा रही है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : जनक जी, पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब प्राप्त है । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि सारण जिलांतर्गत नवसृजित पद पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), सारण का आवास–सह–कार्यालय भवन, सरकार कब तक जमीन उपलब्ध करा कर बनवाना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, दिनांक–07.03.2025 को कलेक्टर को आदेश दिया गया है । जल्द–से–जल्द स्थान और जमीन चिन्हित कर अधिग्रहण करें, अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिलाधिकारी को जमीन चिन्हित कर जमीन अधिग्रहण करने के लिए कहा गया है ।

श्री जनक सिंह : जी महोदय, धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या – 1997 (श्री सउद आलम, ठाकुरगंज)</u>

अध्यक्ष : सउद साहब, पूरक पूछिये ।

श्री सउद आलम : महोदय, जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, निर्वाचन विभाग । सउद आलम जी का उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें यही है कि इस क्षेत्र के मतदाताओं को चूंकि 02 किलोमीटर के अंदर में ही बूथ पड़ता है और चुनाव आयोग का नियम है कि 02 किलोमीटर से अधिक होने पर परिवर्तित करने का विचार किया जाता है क्योंकि यह 02 किलोमीटर के अंदर में है इसलिए इस पर अभी बदलना संभव नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री सउद आलम : महोदय, उत्तर सही नहीं है । 06 किलोमीटर की दूरी है और बीच में कनकई नदी भी पड़ती है, वहाँ के ग्रामीणों को बहुत दुश्वारी होती है 06 किलोमीटर की दूरी तय कर जाने में । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूँ कि आठगाछिया पंचायत के तलवारबंधा वार्ड–05 एवं 06 में अपग्रेड हाई स्कूल में पोलिंग बूथ कब तक बनवायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ये कह रहे हैं कि 06 किलोमीटर दूर है और बीच में कनकई नदी पड़ती है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आप भी बहुत दिनों से चुनाव लड़ते हैं । छः किलोमीटर की दूरी पर और इसमें भी यह कोई बहुत पहाड़ी या जंगली इलाका नहीं है, यह समझिये कि इनका क्षेत्र नेपाल के बॉर्डर पर है । वहाँ पर इतनी दूरी तो है नहीं, हमको तो सूचना है जो जिलाधिकारी से आयी है कि दो किलोमीटर के अंदर में है और ये कह रहे हैं कि छः किलोमीटर है तो अगर छः मिलोमीटर है तो जाँच करा लेते हैं । छः किलोमीटर होगा तो हम जरूर बदल देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1998 (श्री राजेश कुमार गुप्ता, सासाराम)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1– स्वीकारात्मक है ।

2– अस्वीकारात्मक है ।

3– दिवंगत महानुभावों की प्रतिमा स्थापना हेतु अनुशंसा देने के लिए विभागीय संकल्प संख्या–730, दिनांक–30.04.2007 द्वारा राज्य स्तर पर राज्य अंतर्विभागीय समिति एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थल चयन समिति गठित है । स्थल चयन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाती है ।

स्व० डॉ० दुखन राम की प्रतिमा सदर अस्पताल, सासाराम में स्थापित किये जाने के संबंध में सम्प्रति कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : राजेश जी, पूरक पूछिये ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि डॉ॰ दुखन राम एक भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, विधायक और बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति थे । वे भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे और दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्यसमाज......

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, मेरा पूरक ही है । वे आर्य संगठन प्रदेशी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने समय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद जी के आँख का ऑपरेशन किये थे....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, हमारा पूरक है कि उनकी प्रतिमा सासाराम सदर अस्पताल में स्थापित करने की हम माँग किये हैं लेकिन जवाब असंतोष आया है और ऐसे महानुभाव का....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, मेरा वही पूरक है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहाँ पूछे ?

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, सरकार दिवंगत महानुभाव की प्रतिमा सासाराम सदर अस्पताल में स्थापित करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अंत में वही निकला, जो सवाल है वही पूरक है क्योंकि सवाल से अलग कोई पूरक है नहीं । हमने डॉ॰ दुखन राम जी के व्यक्तित्व या उनकी उपलब्धियों को इसमें नकारा नहीं है और सरकार उससे इत्तेफाक भी रखती है । हम तो सिर्फ यह कहे हैं कि नामाकरण की जो प्रक्रिया है, वह अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से कीजिये । जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वह बातों की जाँच करती है, फिर यहाँ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वह निर्णय लेती है, फिर सरकार निर्णय ले लेती है । विधिवत प्रस्ताव आप लाइयेगा तो उस पर विचार होगा ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अगर प्रतिमा आप स्थापित नहीं कर सकते हैं तो केवल जगह उपलब्ध करा दीजिये । डॉ॰ दुखन राम वैश्य समाज से आते थे और उनको पद्मभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया । सरकार ने आपको विस्तार से बताया ।

(व्यवधान)

हो गया, अब कहाँ ? डॉ॰ दुखन राम जी के व्यक्तित्व के बारे में कहाँ कोई विषय आया है ।

(व्यवधान)

वास्तव में बड़े आदमी थे, महान आदमी थे । हमलोग सबका सम्मान करते हैं । बैठ जाइये । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जाइये, समय हो गया । 12 बज गया । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें । अब कार्यस्थगत प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, एक सूचना है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिये ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, सिवान जिला हमारे जीरादेई विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत. ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माईक पर बोलिये ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, जीरादेई विधान सभा के मैरवा थाना अंतर्गत रात में ही दो–दो हत्या की घटनाएं हुई हैं । एक, विशाल यादव को घर से उठाकर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई और सेवतापुर गाँव के प्रमोद यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सरकार संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करे....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लिखकर दे दीजिये ।

टर्न–7 / संगीता / 24.03.2025

श्री अमरजीत कुशवाह : महोदय, एक दूसरी घटना कि हमारे जीरादेई विधान सभा के अंतर्गत ही 3 जिला मिलाकर के एक बालिका गृह है जहां से 13 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, फरार हैं, भाग गई हैं क्या हुआ है, एक बरामद हुई है और वहां जांच में मैं गया था मुझे जांच करने नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया इसका जवाब भी सरकार दे...

अध्यक्ष : जवाब अभी कैसे हो सकता है, आप लिखकर के दे दीजिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : दूसरी बात महोदय, उस घटना की न्यायिक जांच हो, उनकी बरामदगी हो...

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : और दोषियों पर कार्रवाई हो ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक– 24 मार्च, 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है :–

1. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0, श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0, श्री महानंद सिंह, स0वि0स0, श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0, श्री अरूण सिंह, स0वि0स0, श्री सउद आलम, स0वि0स0, श्री शिवप्रकाश रंजन, स0वि0स0, श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0, श्री अजीत कुमार सिंह, स0वि0स0, श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0, श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0, श्री मोहम्मद अंजार नईमी, स0वि0स0 एवं श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0 ।

2. श्री अख्तरूल ईमान, स0वि0स0 ।

3. श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0, श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0, श्री रणविजय साहू, स0वि0स0, डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0 एवं श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 24 मार्च, 2025 को सदन में राजकीय...

(व्यवधान)

नहीं पढ़ें ? बिना मेरे पढ़े हुए आप खड़े हो गए, बैठिए ।

(व्यवधान)

पूरी बात तो सुन लीजिए भाई, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं ?

(व्यवधान)

उतावले नहीं होइए, बैठ जाइए न...

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप क्यों उतावले हो गए, आप पहले बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

पहले बैठ जाइए ।

आज दिनांक– 24 मार्च, 2025 को सदन में राजकीय (वित्तीय) विधेयक ''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025'' निर्धारित है । अतः बिहार विधान

सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

एक साथ इतने आदमी कैसे खड़े हो गए, एक साथ इतने लोग कैसे खड़े हो गए ?

(व्यवधान)

एक बार में एक आदमी खड़े होइए तो बात करें ।

(व्यवधान)

एक बार में एक आदमी खड़े होइए न । क्या है वीरेन्द्र जी, बोलिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, 50 वर्ष से अधिक पुरानी बागमती बांध परियोजना के औचित्य को लेकर बार–बार सवाल खड़े होते रहे हैं । जनांदोलनों के दबाव में बिहार सरकार ने 2018 में रिव्यू कमिटी का गठन किया था, जिसे एक महीने के भीतर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ सकी है और एक बार फिर से बांध बनाने के काम में हाथ लगा दिया गया है जो पूरी तरह अव्यावहारिक व उत्तर बिहार के बड़े इलाके में तबाही का कारण बनेगा । उसी तरह सिकरहना नदी पर बांध बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है जिसके कारण 250 से अधिक गांव डूब क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे । आंदोलन के दबाव में फिलहाल यह योजना रूकी हुई है । महानंदा फेज–2 के तहत बनाए जा रहे बांध के कारण पूर्णिया, कटिहार व किशनगंज के लगभग 200 गांवों में तबाही मचेगी और नदियों की जीवंतता भी खत्म हो जाएगी । बांध की बजाए जरूरत इस बात की है कि यह पैसा कटाव निरोधक कार्य में लगाया जाए ।

इन तमाम बांध परियोजनाओं की नए सिरे से समीक्षा और फिलहाल उस पर रोक लगाने की जरूरत है । अतः राज्य की बड़ी आबादी के जीवन को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण मसले पर सदन का कार्य स्थगित कर बहस की मांग करते हैं ।

अध्यक्ष : श्री अख्तरूल ईमान ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए, बैठ जाइए वीरेन्द्र जी ।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम–97/98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्य–स्थगन की सूचना देता हूं ।

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मोटर वाहनों से दुर्घटना होने के कारण लोगों के घायल होने पर फौरी तौर पर उपचार एवं सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है जिस कारण दुर्घटना ग्रस्त गरीबों के उपचार के अभाव में मृत्यु हो जाती है या कुछ लोग अपंग हो जाते हैं । विशेष कर गरीब एवं लाचार दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों की हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है । ऐसी स्थिति में वे जमीन बेचकर अथवा कर्ज लेकर उपचार कराने के लिए विवश होते हैं । वहीं दूसरी ओर गाड़ी मालिक बीमा का लाभ उठाकर दुर्घटना ग्रस्त लोगों की खैरियत भी नहीं पूछते हैं ।

अतः मैं दुर्घटना से घायल व्यक्तियों को फौरी तौर पर सरकारी स्तर से उपचार कराने अथवा उपचार में हुए खर्च की सरकारी तौर पर भुगतान करने हेतु सरकार से वक्तव्य देने के लिए सदन का कार्य स्थगन प्रस्ताव देता हूं ।

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम–98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्य–स्थगन की सूचना देता हूं ।

बिहार में महागठबंधन की सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना का कार्य कराया गया था । जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आलोक में विभिन्न जातियों की जनसंख्या एवं उसकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ष 2023 में विधेयक पारित कर आरक्षण की सीमा 65 प्रतिशत किया गया था इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिये गये 10 प्रतिशत आरक्षण के फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरी एवं संस्थानों में नामांकन के लिए कुल 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था । महागठबंधन की सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का लाभ समाज के पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित एवं दबे–कुचले कमजोर वर्गों के साथ–साथ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी मिल रहा था ।

महागठबंधन की सरकार द्वारा बिहार विधान सभा में 09 नवम्बर, 2023 को इसके लिए विधेयक लाया गया था तथा दोनों सदनों से पारित कराकर इसे

कानून का रूप दे दिया गया था । लेकिन इस कानून को भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किये जाने के कारण रद्द कर दिया गया है जबकि तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण पिछले 35 सालों से लोगों को मिल रहा है । तमिलनाडु की सरकार द्वारा विधान सभा से पारित प्रस्ताव के आलोक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी0वी0 नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल दिया था, जिसके कारण वहां आज भी बढ़ा हुआ आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है । बिहार में पुनः नये आरक्षण विधेयक पारित करा कम से कम कुल 85% आरक्षण का प्रावधान कर संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना राज्यहित में आवश्यक है ।

अतः दिनांक–24.03.2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर बिहार में इस आरक्षण कानून को पारित करा के नौवीं अनुसूची में शामिल करने जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के परिणाम बजट; बाल कल्याण बजट; जेन्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक–एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखा का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरि नारायण सिंह, सभापति (सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–211 के तहत बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का 226वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा, सभापति (प्रत्यायुक्त विधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–211 के तहत प्रत्यायुक्त विधान समिति का पथ निर्माण विभाग से संबंधित अष्टम प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

<u>शून्यकाल</u>

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त संसदीय समिति 1967 के अनुशंसा को संसद द्वारा पारित कर ''पान–ताँती–ततवा'' जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने हेतु बिहार सरकार को केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, ग्रामीण विकास सहित अधिकांश विभागों में विभिन्न पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा कार्यरत मानव बलों से सर्विस शुल्क के अलावा मानदेय से अत्यधिक कटौती कर शोषण किया जा रहा है । विभिन्न विभागों में कार्यरत मानव बलों को मानदेय भुगतान खाता में DBT के माध्यम से करे ।

टर्न–8 / सुरज / 24.03.2025

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाली भागलपुर हंसडीहा एन0एच0–133 ई पर सड़क दुर्घटनाएं होने पर लोगों को भागलपुर भेजा जाता है, जिसकी दूरी 70 कि0मी0 है । इस दौरान लोगों की मृत्यु हो जाती है ।

अतः सरकार से एन0एच0 पर स्थिति बौंसी के पुराने अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनवाने की मांग करती हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 102 एम्बुलेंस के संचालन हेतु अनुबंधित एजेंसी द्वारा एम्बुलेंस कर्मियों को निर्धारित वेतन से कम भुगतान तथा 12 घंटे काम लिया जा रहा है । अनुबंधित एजेंसी पर कार्रवाई करने तथा एम्बुलेंस

कर्मियों को निर्धारित समय तक कार्य व वेतन देने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री महा नंद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग के पत्रांक–3951, दिनांक–13.03.2025 के आदेश में जिला परिषद् के संस्थाओं को 15 लाख रुपये राशि की योजना को निविदा के जरिये कार्य कराने हेतु आदेश दिया गया है ।

सदन के माध्यम से सरकार के पूर्व नियमावली को लागू करने की मांग करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल के लिये भवन बनवाने की मांग करता हूं ।

श्री सउद आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के बरचौंदी हाठ से बाराहमनी होते हुये रसिया पौआखाली को जोड़ने के लिये मेंची नदी पर भोलामारा के निकट या मुगींगेदी धार में उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी कर्मचारी को कर्मचारी नियमावली एवं श्रम कानून के तहत 60 वर्ष नियमित, सेवा–पुस्तिका, न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षा कीट एवं योग्यता के आधार पर परिचारी/निम्नवर्गीय लिपिक में समायोजन की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला के काको प्रखंड अंतर्गत फिरोजी गांव से पूरब कड़रूआ नाला में स्लूईस गेट तथा सुरक्षा बांध का निर्माण कार्य सरकार के आश्वासन के बावजूद अबतक शुरू नहीं किया गया है । शीघ्र निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री सूर्यकांत पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में पान जाति की उपाधि तांती तथा ततमा सामाजिक व आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुये हैं । इनके हक और अधिकार के लिये इनको अनुसूचित जाति का आरक्षण देने तथा संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजापति, नाई, पान, बढ़ई, धानुक, अमान, बिन्द, मल्लाह, तांती, ततमा, नुनीया, नट, मंसूरी, राईन, अंसारी, मुस्लिम–धोवी जाति के लोगों की स्थिति समाज में काफी दयनीय है । इन सभी जाति के लोगों के उत्थान हेतु अनुसूचित जाती की श्रेणी में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज में बिस्कोमान द्वारा पूर्व से निर्मित अतिथिशाला (परिसदन) अवस्थित है, जिसकी स्थिति अत्यंत ही जर्जर व जीर्णशीर्ण अवस्था में है ।

अतः मैं उक्त अतिथिशाला (परिसदन) का जीर्णोद्धार/मरम्मति कार्य कराने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयनगर प्रखंड में दुल्लीपट्टी गांव एन0एच0–527 बी0 सड़क के किनारे अवस्थित 20 वर्ष पूर्व निर्मित नाला ध्वस्त हो जाने के कारण जल–जमाव की समस्या बनी रहती है । बरसात के समय सड़क पर यातायात बाधित हो जाता है । सरकार ध्वस्त नाला की जगह शीघ्र आर0सी0सी0 नाला का निर्माण करावे ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बगहा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम चौतरवा, परसौनी एवं मझौआ सहित राज्य के अन्य बंगाली कॉलोनी के विद्यालयों में बंगाली शिक्षक का पदस्थापन नहीं है ।

बंगाली कॉलोनियों में विद्यार्थियों को अपने मूल भाषा बंगाली शिक्षा हेतु बंगाली शिक्षक की नियुक्ति करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती भगीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर एवं प्रखंड गौनाहा के विभिन्न विभागों में लंबित पड़े अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र बांटने की सरकार से मैं मांग करती हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भौआड़ा की नारकीय स्थिति को देखते हुये सभी गलियों में नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण जनहित में अविलंब कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बी0आर0ए0, बिहार विश्वविद्यालय के वोकेशनल कोर्स में 23 वर्षों से तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी सेवारत हैं । हाईकोर्ट द्वारा उक्त कर्मी की सेवा नियमित करने के आदेश के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया गया है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त कर्मी की सेवा नियमित करने की मांग करती हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला के भैसाखाल में स्थित प्रमंडल स्तरीय बालिका गृह से 20 मार्च को 13 लड़कियां गायब हो गयी हैं । इस मामले की न्यायिक जांच कराने, लड़कियों को सकुशल बरामद कराने तथा दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सहदेई प्रखंड के मनरेगा पी0ओ0 द्वारा जॉब कार्ड बनाने हेतु राशियों की उगाही की जा रही है, जिससे लाभुक को जॉब कार्ड बनवाने में काफी कठिनाई हो रही है ।

अतः सदन के माध्यम से जांचोपरांत कार्रवाई की सरकार से मांग करती हूं ।

श्री संदीप सौरभ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पालीगंज विधान सभा अंतर्गत करहरा व ढिबरा गांव में 16.03.2025 को पुलिस पर हमला के नाम पर ग्रामीणों का बर्बर दमन किया गया । रात में पुलिस ने निजी लोगों के साथ घरों के दरवाजे तोड़े तथा सैकड़ों निर्दोष ग्रामीणों व महिलाओं की पिटाई की ।

न्यायिक जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई हो ।

अध्यक्ष : रेखा जी पढ़िये ।

श्रीमती रेखा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी अनुमंडल में अवस्थित अनुमंडलीय अस्पताल मसौढ़ी में ट्रॉमा सेंटर नहीं होने से आमजनों को चिकित्सा कराने में कठिनाई होती है ।

अतः अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी में ट्रॉमा सेंटर खोलवाने की मांग सदन के माध्यम से करती हूं ।

श्रीमती नीतु कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हिसुआ अंतर्गत बिहार राज्य पथ निर्माण द्वारा मंझवे–गोविंदपुर पथ के पार्ट–1 और पार्ट–2 निविदा अंतर्गत निर्माण–कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं हुआ । मानक विपरीत घटिया सामग्रियों से चल रहे पथ निर्माण कार्य की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से करवाने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के नाथनगर सहित अन्य इलाकों में लाखों हस्तकरघा बुनकर, कपड़ा बुनाई का काम करते हैं । इनके बनाये हुये वस्त्र के लिये न तो, बाजार उपलब्ध है और न ही सस्ती दर पर बिजली ।

मैं सरकार से बुनकरों के लिये बाजार उपलब्ध कराने एवं 80 परसेंट सब्सिडी दर पर बिजली देने की मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, बनिया समाज के उपजाति पोद्दार समाज का सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है ।

अतः पोद्दार समाज के उत्थान हेतु मैं सदन के माध्यम से इस जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग करता हूं ।

टर्न–9 / राहुल / 24.03.2025

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज विधान सभा के फारबिसगंज नगर स्थित बड़ा शिवालय मंदिर जो सैकड़ों वर्ष पूर्व महान तपस्वी नाथेश्वरनाथ नागा बाबा के द्वारा स्थापित किया गया था जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, बड़ा शिवालय का सौंदर्यीकरण कर ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में बिना निविदा बड़ी राशि विभिन्न योजनाओं में राजनेताओं, अधिकारियों के रिश्तेदारों को दी जा रही है । इस संदर्भ में वित्त विभाग के क्लाइमेट फाइनेंस सेल के जरिये 25 करोड़ रुपये बिना

कैबिनेट की स्वीकृति के बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड को दिये गये हैं, इसकी जांच हो ।

श्री मिश्री लाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड अंतर्गत स्व0 श्री नारायण लाल दास, ग्राम–पोस्ट केवटी, दरभंगा लोक सभा क्षेत्र से प्रथम सांसद एवं स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं । उनके पैतृक ग्राम केवटी के प्रखंड मुख्यालय परिसर में आदमकद मूर्ति लगाने की मांग सरकार से करता हूं ।

मोहम्मद अनजार नईमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वृद्धा एवं विधवा पेंशनधारियों को मात्र 400 रुपया पेंशन दी जाती है जिससे इस कमरतोड़ महंगाई में जीवनयापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है । ऐसे में पेंशनधारियों को 1500 रुपये पेंशन देने, 500 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने तथा 200 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2025–26 के बजट में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है । अतः बेगुसराय जिला के वीरपुर प्रखंड में अतिशीघ्र डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री छत्रपति यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला के एन0एच0–31 गंडक पुल रहीमपुर के बांये एवं दांये होते हुए हीराटोल तक रिंग बांध निर्माण हेतु मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर के पत्रांक–1128, दिनांक 16.03.2022 द्वारा निर्देश दिया है । गंडक पुल के दांये एवं बांये तरफ हीराटोल तक रिंग बांध निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, साहेबगंज मुख्य बाजार, जिला–मुजफ्फरपुर में दिनांक 18.03.2025 को अपराधियों ने यू–ट्यूबर मो0 सैफूल अंसारी पर जानलेवा हमला किया और बीस राउंड गोलियों चलाई जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया । पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है । अतः मैं अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिलांतर्गत हाजीपुर नगर परिषद् के वार्ड नं0–05, वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या दिनांक–20.08.2024 को हो गयी थी लेकिन सात माह बीतने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है । उक्त वार्ड पार्षद को समुचित न्याय दिलाने एवं दोषियों को सजा हेतु मांग करता हूं ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक वन संपदा के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत, लौरिया तथा मच्छरगांवा में विद्युतीय शवदाहगृह हेतु जमीन उपलब्ध है । सदन के माध्यम से आग्रह है कि लौरिया स्थित सिकरहना नदी के किनारे तथा मच्छरगांवा स्थित सोनमाई के पास सरकारी जमीन पर विद्युतीय शवदाह गृह बनवायें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड के इनाई पंचायत के बारा गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाय ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलांतर्गत जहानाबाद प्रखंड के पंचायत लरसा, ग्राम–गोड़ीहा का धर्मवीर कुमार, उम्र 12 वर्ष, पिता श्री बिरजू दास, 29.12.2024 से लापता है । थाना परस बिगहा कांड संख्या–282/24, दिनांक–30.12.2024 दर्ज है । बच्चा नहीं मिलने से परिजनों का हाल बुरा है । सकुशल वापसी कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित बिहार के निवासी जिनकी मृत्यु कोविड से राज्य के बाहर हुई । उनको सरकार द्वारा अनुदान राशि अब तक नहीं दी गयी है जिससे उनके आश्रितों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मैं उन आश्रित परिवार को सरकारी अनुदान राशि देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री भरत बिन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अन्तर्गत सोन उच्च स्तरीय नहर से कसेर वितरणी से गांव क्रमशः परमालपुर, पढ़ौती, भभुआ पूरब पोखरा, सेमरिया, भरिगावां, मरिचांव, रूपपुर एवं गोराइपुर तक नहर की सफाई एवं मरम्मत की सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री सत्यदेव राम ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री शिवप्रकाश रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के प्रखंड चरपोखरी के गांव बरनी, इटउर, मानसागर के दलित भूमिहीनों को जो जमीन उपलब्ध करायी गयी थी, उसका पर्चा आज तक निर्गत नहीं किया गया है । अतः अविलंब पर्चा निर्गत करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में वैश्य समाज की उपजाति रौनियार, सोनार, कसेरा, कसौंधन एवं मुस्लिम समाज से नानबाई, बावर्ची एवं गद्दी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : आपकी सूचना राज्य सरकार से संबंधित नहीं थी । रेलवे से संबंधित थी इसलिए वह अमान्य की गयी है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य से ही संबंधित है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : खरीक प्रखंड कालूचक विश्वपुरिया कोशी नदी के दाहिने तरफ जीयो बैग गैबियन का काम किया गया था लेकिन पुनः इस बार कटाव निरोधी कार्य नहीं किया गया तो कालूचक गांव कट जायेगा । कोशी नदी के दाहिने तरफ जीयो बैग गैबियन को री–स्टोर करने की सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : डॉ0 रामानुज प्रसाद जी पढ़िये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सारण जिलांतर्गत सोनपुर नगर पंचायत अवस्थित एक मात्र पूर्वोतर रेलवे महाविद्यालय जो रेलवे द्वारा स्थापित एवं बिहार सरकार द्वारा

घाटा अनुदानित महाविद्यालय है जिसका संचालन जे0पी0 विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है जिसे रेलवे प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है । छात्र–छात्राओं के भविष्य हित में खुलवाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी । माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (जल संसाधन विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अंतर्गत चौकिया पहाड़पुर पंचायत में बांध पर बहुत दिनों से गंगा कटाव से विस्थापित परिवार रह रहे हैं । उनको पुनर्वासित करने की आवश्यकता है ।

अतः उन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

टर्न–10/मुकुल/24.03.2025

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या–2156, दिनांक–16.08.2003 द्वारा बाढ़/कटाव से दिनांक–01.01.2003 के पूर्व विस्थापित परिवारों को दो वित्तीय वर्षों में पुनर्वासित करने हेतु नीति का निर्धारण किया गया था । दिनांक– 01.01.2003 के पश्चात् बाढ़/कटाव से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने का कोई नीति वर्तमान में निर्धारित नहीं है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमिहीनों को बसाने हेतु कई योजनाएं क्रियान्वित है ।

अतः आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–1081, दिनांक–21.03.2025 द्वारा विषयांकित ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य देने हेतु प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, अपनी सूचना को पढ़ें ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

डॉ सी0एन0 गुप्ता : राज्य में स्वतंत्र सहायता समूह संस्था द्वारा 50 लाख परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया जिसमें 11 लाख 24 हजार 768 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है, जहाँ परिवार का कोई न कोई सदस्य कुपोषण का शिकार है । इन परिवारों का स्वास्थ्य, पारिवारिक आहार और पोषण के अभाव के कारण कुपोषण का शिकार हुए हैं । जबकि बिहार की जनसंख्या करीब 10 करोड़ से अधिक है ।

अतः राज्य के सभी परिवारों का सर्वेक्षण कराकर कुपोषित परिवारों के स्वास्थ्य, पारिवारिक आहार की व्यवस्था और पोषण के प्रति जागरूकता अभियान चलाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय चाहिए ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–11 / यानपति / 24.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधयेक

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, ''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025 के स्वीकृति के प्रस्ताव पर कतिपय माननीय सदस्यों के द्वारा अपने विचार रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई है । जो भी सदस्य अपनी इच्छा व्यक्त किये हैं वे अलग–अलग दलों से संबद्ध हैं । आज की बैठक की अवधि 4.00 बजे अपराह्न तक ही निर्धारित है । ऐसे में सभी माननीय सदस्य समय के दायरे में अपनी–अपनी बातों को रख सकते हैं । फिर स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर भी होना है । माननीय सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना पक्ष रखें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा लाये गये विनियोग विधेयक के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों ने बिहार बजट को भी देखा, बजट सत्र चल रहा है, महत्वपूर्ण सत्र होता है और चुनाव से पहले यह आखिरी बजट सत्र है । इससे पहले हमलोगों ने भारत सरकार का भी बजट देखने का काम किया लेकिन भारत सरकार का जो बजट था बिहार को लेकर के, पता नहीं क्यों सौतेला व्यवहार लगातार भारत की सरकार बिहार के लोगों के साथ कर रही है और लगातार 20 साल से माननीय मुख्यमत्री जी के नेतृत्व में बिहार का बजट पेश किया जा रहा है और लगातार हर बार एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है, उपलब्धि गिनाई जाती है कि इन्होंने बड़ा भारी काम किया है बजट का आकार जो है बहुत बढ़ा दिया है । अब इन सब बिंदुओं पर आयेंगे, आंकड़ों को लेकर आयेंगे लेकिन अगर देखा जाय तो फिर भी डबल इंजन की सरकार है 11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट देखियेगा तो सबसे गरीब राज्य बिहार है पूरे देश में । सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, प्रति व्यक्ति आय, निवेश जो है सबसे फिसड्डी बिहार है, चाहे किसानों की आय हो, उसमें सबसे फिसड्डी है और अपराध में, भ्रष्टाचार में बिहार की कोई तुलना नहीं है इनके शासनकाल में । महोदय, लगातार हमलोग कह रहे हैं कि सरकार को आत्मचिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है । लगातार एक ही बात रटा–रटाकर के एक ही बात कहने से कोई बिहार आगे बढ़नेवाला नहीं है, बिहारियों की तरक्की होनेवाली नहीं है, यह केवल झूठ का पुलिन्दा यह लोग परोसने का काम करते हैं महोदय ।

युवा को रोजगार नहीं,

बीमारियों का कोई उपचार नहीं,

सुरक्षित कोई परिवार नहीं,

सरकार की सेहत में सुधार नहीं,

सही हाथों में अपना बिहार नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, जब हमने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते वक्त हमने आंकड़े रखे थे तो उसमें सम्राट चौधरी जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जब सरकार की तरफ से उत्तर जब दिया तो हमको नहीं लगता कि इनको हमारी बात और डाटा समझ में आयी होगी । अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं महोदय । अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी होने के बाद हमको लगता था कि दिमाग की बत्ती जागेगी लेकिन फिर भी यह स्थिति है । अब सम्राट चौधरी जी, साक्षरता दर की बात कर रहे थे । मैंने 3.2 स्कूल ड्रॉपआउट रेट की बात की थी, जो 1989 में 11.4 था महोदय और आज बिहार का स्कूल ड्रॉपआउट रेट 41 परसेंट है लेकिन यह कुछ और ही बोले जा रहे थे, इनका जवाब हमलोगों ने देखा । साक्षरता दर में बिहार 1961 में फिसड्डी था और आज 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है । यानी 1961 से लेकर के 2025 में पहले भी फिसड्डी था और आज भी देश में सबसे कम है । 1961 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम थी और आज 2025 में भी सबसे कम है । इन्होंने अपने उत्तर में, अभिभाषण जो राज्यपाल का था उसमें लौंडा नाच का यह जिक्र कर रहे थे, यह उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे, ताली पीटने में और लौंडा नाच महोदय, वह तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है । हम सब लोगों के भिखारी ठाकुर, हमारे धरोहर हैं महोदय । उनका यह लोग मखौल उड़ा रहे थे । भिखारी ठाकुर जी को कौन नहीं जानता । शेक्सपियर औफ भोजपुरी उनको कहा गया है। यह उनको मखौल उड़ा रहे थे, विनय बिहारी जी हैं जरा पूछिए कि क्या हमारी संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है । उसका यह लोग मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं और इन्होंने क्या बोला महोदय । अब ऐसे उप मुख्यमंत्री जो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में असभ्य और तुच्छ तरीके से बोलते हों, हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया उनके बारे में इन्होंने क्या बयान दिया कि टिकट के लिए किडनी दिया । इस तरह की छोटी सोच की मानसिकता के लोगों से महोदय क्या उम्मीद की जा सकती है । ऐसे लोग हर चीज जाति धर्म जोड़ते हैं । जनता द्वारा रिजेक्टेड हैं और लोग सेलेक्टिवली अपराधियों की भी जाति गिन रहे हैं महोदय । कुछ दिन पहले इनका हमने बयान देखा, अपराध हुआ, घटना हुई तो एक पार्टिकुलर जाति से इन्होंने जोड़ा कि फलाना जाति के लोग कर रहे हैं महोदय । अब अपराधियों की

कोई जाति या धर्म नहीं होता है महोदय । अगर इतना ही शौक है इनको जाति ढूढ़ने की तो अपने गृह मंत्रालय में ऑर्डर दे दीजिए डी0जी0पी0 को कि कौन किसको मार रहा है, क्या मार रहा है, नहीं मार रहा है, अपराध कौन कर रहा है उसकी जाति का भी ब्योरा दे, जुड़वा दीजिए वह कैटेगरी । अगर जाति के बारे में आप किसी एक जाति को लेकर के आप कहिएगा और जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वहां तो शादी–ब्याह भी नहीं करता है लोग । कोई नहीं करता है शादी–ब्याह ।

(क्रमशः)

टर्न–12/अंजली/24.03.2025

(क्रमशः)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, बिहार सरकार को चाहिए कि हर अपराध पर अब मरने वाले पीड़ित की भी और मारने वाले हत्यारे की जाति सार्वजनिक करे, पता चल जाएगा, जरा जानें, अगर उसी सोच के हिसाब से अगर आप देखने का काम करते हैं ।

महोदय, हम बजट पर भी बोलना चाहेंगे, थोड़ा देश का 1947 का भी बजट का आकार क्या था, बिहार का क्या था उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे । आज जो लोग सरकार में बैठे हैं इनका तो कोई मतलब नहीं था, उस समय तो कहीं थे नहीं आजादी के समय, आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था । जब 1947 में देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज गए तब देश में खाने को अन्न नहीं था, भुखमरी के हालात थे, जब अंग्रेज गए तब, उस वक्त देश की साक्षरता दर 12 प्रतिशत थी, भारतीयों की औसत आयु 32 साल थी और भारत के पहले बजट का साइज कुल 197 करोड़ था, अब 2025–26 के बजट का साइज 50 लाख करोड़ रुपए है । महोदय, 1952–53 के वित्तीय वर्ष में बिहार विधान सभा में 30 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया गया था, 1952–53 में बिहार का 30 करोड़ का बजट पेश किया गया था । जब गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में तब बिहार का बजट लगभग 3 हजार करोड़ था और 2005–06 में जब सौंप करके गए तब बिहार का कुल आंकड़ा यानी 28 हजार करोड़ करके गए हैं, 3 हजार से 28 हजार करोड़ कर दिए यानी लगभग साढ़े 9 गुणा बजट राजद शासन काल में बढ़ा । 2005 से 2024–2025 विगत वर्ष के आपके शासन में 28 हजार करोड़ से बढ़कर 2 लाख 78 हजार करोड़ हुआ यानी लगभग वही साढ़े 9 ही गुणा बढ़ा तो किस बात का आप पीठ थपथपा रहे हैं, यह तो बढ़ता ही रहेगा, आप रहें या कोई रहें, बजट तो लगातार, यह तो परंपरा

है, यह तो होता ही रहना है, बढ़ता ही रहेगा इसमें आपने कौन सा तीर मार लिया, जो बार–बार आप लोग कहते हैं कि इतना बजट का साइज कर दिया, अब 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपया कर दिया इसी से सब टेप रिकॉर्डर बजाया जा रहा है कि बड़ा विकास किया, इस साल चुनावी वर्ष होने के कारण अचानक से 2024–25 और 2025–26 में यानी एक साल में 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट था यानी एक साल में 39 हजार करोड़ का आपने वृद्धि बना दी । हम जानना चाहते हैं कि एक साल से अंदर 39 हजार करोड़ आप बढ़ा कैसे दिए ? बिहार का रेवेन्यू, इतना फायदा में रहा है बिहार जो आप बढ़ा दिए ये कहां से आंकड़ा लाए हैं, बिहार को कितना फायदा हुआ जरा यह बता दें या बिहार कर्ज में है यह बता दें, चुनावी वर्ष है तो एक साल में आपने 39 हजार करोड़ बना दिया, वृद्धि कर दी गई जिसका कोई आर्थिक या प्रशासनिक आधार ही नहीं है । महोदय, क्या आपका राजस्व 39 हजार करोड़ बढ़ा है, हाँ या न, बताइएगा अपने उत्तर में । 39 हजार करोड़ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है और कहां से बढ़ाया जरा यह भी बताइएगा, स्रोत क्या था अगर बढ़ा है तो ? इतना बजट बना रहे हैं लेकिन महीनों से शिक्षकों, प्रोफेसरों, कर्मचारियों और श्रमिकों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है । सत्ता में आप रहें या कोई रहें इससे कई गुणा अधिक ही बढ़ेगा पीछे जाने वाला नहीं है बजट । हमारे समय में यानी राजद के समय में इंफ्लेटेड बजट नहीं होता था, अब तो सारा इंफ्लेटेड बजट है, ये बनाते हैं, विगत वर्ष में 60 परसेंट बजट का पैसा ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं, 60 परसेंट और आंकड़ों की कलाकारी जोड़ते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, लगातार 20 वर्षों में शासन के बावजूद बिहार आज भी केंद्र सरकार पर आर्थिक रूप से निर्भर है । राज्य का केवल 27 परसेंट राजस्व अपने स्रोत से आता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी पता होना चाहिए बिहार का केवल 27 परसेंट अपना राजस्व से आता है जब कि गुजरात का 73 परसेंट, तमिलनाडु का 76 परसेंट और बगल का पड़ोसी उत्तर प्रदेश का 46 परसेंट है जिसका अपना रेवेन्यू है यह स्थिति है । यह सवाल उठाता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाई है । आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था को तो पहले आत्मनिर्भर कीजिए । अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मंत्री हैं, सरकार में सब लोग बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़बोले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं यहां पर महोदय, लेकिन यह नहीं बताए हैं कि बिहार पर कर्ज कितना है और बिहार के प्रति व्यक्ति लोगों पर कर्ज कितना है ? हम बता दें 2024–2025 का यानी पिछले ही वित्तीय वर्ष तक कितना कर्ज था, बिहार पर कर्ज सुन लीजिए 3 लाख 19 हजार 618 करोड़ रुपए बिहार पर कर्ज है । यानी प्रत्येक एक बिहार पर लगभग 25 हजार का कर्जा है । अब आप बताइए, यह जिक्र करना चाहिए था न, उपलब्धि में आपको गिनाना चाहिए

था न कि कितना कर्जदार आपके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष डबल इंजन की सरकार ने आत्मनिर्भर अभी भी नहीं हो पाए हैं सब बताना चाहिए था कि क्या प्रति व्यक्ति आय है ? आज भी आए, ए0जी0 और राज्य सरकार के ही स्रोतों की मानें तो बिहार देश के सबसे अधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में शामिल हो गया है । बिहार का कर्ज हर साल बढ़ रहा है और बिहार के कुल कर्ज में हर साल की वृद्धि 10 परसेंट की होती है । जबकि बिहार का जो राजस्व है, उसकी बात करें तो 5 परसेंट के आसपास ही इजाफा होता है और दस परसेंट आपलोग कर्ज लेते हैं, आपलोग क्या बना रहे हैं बजट का भाई, कितना कर्ज आपलोगों ने डाल दिया, बिहार के जी0डी0पी0 का कुल कर्ज 38.6 तक पहुंच गया है, बढ़ते कर्ज के कारण हर साल बिहार को सूद के रूप में बड़ी राशि चुकानी पड़ रही है । अपने बिहार पर इतना कर्ज बढ़ा दिया है कि बिहार में कुल बजट का साढ़े 60 फीसदी पैसा ब्याज चुकाने में जा रहा है जो लगभग 20 हजार 526 करोड़ सालाना होता है आप सोचिए हर दिन, प्रतिदिन 56 करोड़ रुपए कर्ज का सूद व्यय यानी ऋण में, ब्याज में बिहार सरकार दे रही है, यह सच्चाई है महोदय और आप यह क्यों नहीं बताते हैं कि 2005 में बिहार का प्रति व्यक्ति कर्ज कितना था और प्रदेश का कुल कर्ज कितना था यह भी जरा बताना चाहिए, ये तो बताए नहीं, लेकिन आप समझिए अध्यक्ष महोदय, यह जो केवल कर्ज हमने बताया है 3 लाख 19 हजार 618 करोड़ का यह पिछले वित्तीय वर्ष का है, इस वित्तीय वर्ष का जोड़िएगा तो हो सकता है इस बार तो बढ़ोत्तरी भी इन्होंने की है 39 हजार करोड़ की तो यह सब देखकर हमको लगता है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया और बढ़ गया होगा इससे ज्यादा । साढ़े तीन लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया होगा यह स्थिति है । अध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें तो यह बताए ही नहीं हैं, हालांकि सम्राट चौधरी जी वित्तमंत्री हैं, हम तो कोई टीका–टिप्पणी, आरोप नहीं करते हैं लेकिन जदयू के एक एम0एल0सी0 ने प्रेस–कांफ्रेंस करके इनके डिग्री पर भी सवाल उठाया था कि असली है कि नकली है उस पर हम कोई टीका–टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट का फेल्योर है महोदय, अजब–अनूठा बिहार का सिस्टम बना दिया, जहां खेतों के बीच में बिना सड़क संपर्क पुल खड़े हैं, शराबबंदी ऐसी कि आदमी तो छोड़िए चूहे भी शराब पी रहे हैं, सी0एम0 जिस रफ्तार से भाजपा के लोगों के चरणों में गिर रहे हैं उसी रफ्तार से लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ हैं, बेकसूर युवाओं पर लाठी बजाई जा रही है ।

(क्रमशः)

टर्न–13 / पुलकित / 24.03.2025

(क्रमशः)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान के सम्मान की भी चिंता नहीं, लेकिन भाजपा को अपनी सरकार की बहुत चिंता है ।

अध्यक्ष महोदय, अपराध के बारे में बता दें अपराध की खबरों को देखियेगा तो अपराध की खबरों से अखबारों का रंग लाल और सरकार का मुंह काला हुआ पड़ा है । एन0सी0आर0बी0 के आंकड़ों को अगर देखें तो वर्ष 2005 के बाद एन0सी0आर0बी0 के अनुसार 20 साल में 65 हजार से अधिक हत्याएं हुई हैं । 20 साल का इनका शासनकाल है । 65 हजार से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, 25 हजार रेप हुए हैं, 01 लाख किडनेपिंग हुई हैं और 03 लाख चोरियां हुई हैं, यह स्थिति अपराध की है । महोदय, पिछले साल कम्यूनल वॉयलेंस में बिहार देश में दूसरे नंबर पर रहा, महाराष्ट्र के बाद । यह आंकड़े एन0सी0आर0बी0 के हैं । बिहार की पुलिस की तो ऐसी स्थिति हो गयी है कि अपराध इतना बढ़ गया है कि इनकी अपनी जो वेबसाइट है biharpolice.nic.in उसमें डाटा अपलोड ही नहीं कर रही है । पुलिस कई सालों से डाटा अपलोड नहीं कर रही है । पता नहीं, किसी चीज का डर है ? आखिर भेद खुल जाएगा क्या ? लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह सारा डाटा हमलोग कम्पाईल करके रखे हुए हैं और आप सबलोग जान रहे हैं कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है । कहीं भी आप चले जाइये बिना घूसखोरी दिये हुए कोई काम नहीं होता, कोई काम हो सबका तय है, थाना हो, ब्लॉक हो, सीनाजोरी से रिश्वत चल रही है, धड़ल्ले से रिश्वत चल रही है । अभी सी0ओ0 के दाखिल–खारिज जमाबंदी संबंधित वर्ष 2008 से अबतक कुल 01 करोड़ 36 लाख वाद दायर किए गए हैं जिसमें से 52 लाख वाद को रिजेक्ट कर दिया गया तथा अभी भी रिश्वत नहीं देने कारण लगभग 02 लाख 29 हजार वाद विभिन्न जिलों में लंबित हैं । सी0ओ0 इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गये हैं कि डी0एम0 की भी नहीं सुनते हैं, क्यों सुनेंगे ? सीधे सी0एम0 आवास से उनकी ट्रान्सफर पोस्टिंग होती है । मतलब एक सी0एम0 का कार्यालय ही ईमानदार है बाकी सब मंत्री और विभाग बेईमान है । रामसूरत राय मंत्री थे, आलोक मेहता मंत्री रहे, दिलीप जायसवाल मंत्री रहे, इन सब ने कितनी ट्रांसफर पोस्टिंग की सबको सी0एम0 हाऊस के अधिकारी, ऑफिस से रोक दिया गया । रोका या नहीं रोका बताइये, सी0ओ0 क्यों सुनेगा ? सी0ओ0 तो डायरेक्ट सी0एम0 ऑफिस से जुड़ा हुआ है, वहीं से ट्रान्सफर पोस्टिंग चल रही है । कहां किसी की सुनाई होती है । बाकी सब भ्रष्ट हैं और एक सी0एम0 हमारे और सी0एम0 के जो अधिकारी चुनिंदा रिटायर्ड है वही लोग सुधरे हुए हैं। महोदय, यह सच्चाई है अब बताइये इकलौते वही लोग हरिशचंद्र हैं । बाकी सब भाजपा का हो, राजद का हो वह सब भ्रष्ट है । यहां बैठे सभी विधायक बताये कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है या नहीं ?

(व्यवधान)

किसी से नहीं छुपा है । बिना रिश्वत दिये दाखिल–खारिज नहीं हो रही है, यह सच्चाई है । लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं कि जब हमारी सरकार आयेगी तो यही अधिकारी बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर बिना रिश्वत लिये आम जनता का काम करेंगे । जिस शासक का इकबाल खत्म हो जाए, तब उसकी तो आदेशपाल और चौकीदार भी नहीं सुनता । मुख्यमंत्री का इकबाल अब खत्म हो चुका है । बिहार में यही हो रहा है ।

आप देखियेगा कि बिल्डिंग मेनटेनेंस के नाम पर हाऊस कीपिंग, रख–रखाव के नाम पर 583 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं । महोदय, समझ रहे हैं खाली रख–रखाव के लिए । विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, सरदार पटेल, नियोजन भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, बापू टावर, राजगीर कन्वेंशन सेंटर, बिहार म्यूजियम, सचिवालय परिसर के साफ–सफाई को लेकर के यानी जी0एस0टी0 18 प्रतिशत मिला दें तो 688 करोड़ रुपये सालाना केवल रख–रखाव और पोंछा, साफ करने के लिए इतना खर्चा किया जा रहा है । यह काम प्राइवेट कम्पनियों को दिया गया है जिसमें इनके अधिकारी और नेताओं का कमीशन है । मैं बताता हूं कि किस भवन पर कितने खर्चे हैं । महोदय, अब आप सुनिये, बिहार म्यूजियम का प्रोजेक्ट कॉस्ट 500 करोड़ रुपया और साल में साफ–सफाई के लिए 30 करोड़ रुपया । सरदार पटेल भवन का प्रोजेक्ट कॉस्ट 305 करोड़ और साफ–सफाई के लिए लगभग 16.5 करोड़ हर साल ।

श्री जयंत राज, मंत्री : ये सारे भवन किस राज्य में बन रहे हैं ? यह बताइये ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आप बैठ जाइये । अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

छोड़िये, मंत्री जी है । अगर इतना नहीं बोलेंगे तो ये मंत्री रहेंगे । थोड़ा बोलने दीजिए । गला इसी में तो साफ होता है, सवाल–जवाब में तो ये चुप रहते हैं । अध्यक्ष महोदय, बापू टावर का प्रोजेक्ट कॉस्ट 129 करोड़ रुपया और सालाना मेनटेनेंस के लिए लगभग 10 करोड़ रुपया है । नियोजन भवन 93 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है और लगभग 7 करोड़ रुपया मेनटेनेंस का है । ऐसे और चले जाइयेगा । समय नहीं है, ज्यादा भंडा फोड़ नहीं करना है, सब निकल ही जायेगा । सब तो आपलोग जानते ही हैं । कुछ बचा है । दुनिया तो खत्म ही होने वाली है ।

महोदय, अस्पतालों में रूई है तो सुई नहीं । सुई है तो रूई नहीं । स्वास्थ्य सेवाओं में अभी 49 फीसदी पद खाली है । मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 20 अगस्त, 2023 को । जरा सुन लीजिए, 20 अगस्त, 2023 और 24 जनवरी, 2024 को 01,31,793 नये पदों का सृजन संबंधी संचिका पर हस्ताक्षर कर नये पद सृजित किये थे लेकिन एक हफ्ते बाद हमारी सरकार गिर गयी और अभी स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग में यह फाईल धूल फांक रही है । पब्लिक हेल्थ

कैडर का देख लीजिये, हम तारीख बता रहे हैं, रिकॉर्ड है । एजुकेशन की बात करते तो जो जाति आधारित गणना हुई, उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम यह बताना चाहते हैं कि आपने 20 साल में क्या किया ? आंकड़े बताते हैं ? वहीं आंकड़ें जो हमारी पहली जाति आधारित गणना, आर्थिक सर्वे के सामने आया शायद आपलोग पढ़ें भी होंगे, नहीं भी पढ़ें होंगे । किसी अधिकारी ने आपको बताया या नहीं बताया हमें नहीं पता । लेकिन अनुसूचित जाति की कुल आबादी का शेष 0.015 परसेंट तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के सिर्फ 0.005 परसेंट ही लोग डॉक्टर हैं । यानी इन वर्गों में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने वालों की संख्या आधे से आधा प्रतिशत भी नहीं है । अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.1 प्रतिशत तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के सिर्फ 0.16 प्रतिशत मात्र इंजीनियर है । यानी इन वर्गों में भी इंजीनियरिंग करने वालों की संख्या आधा प्रतिशत या उनसे भी प्रतिशत में कम है । यह अति पिछड़ा और दलित समाज का यह आंकड़ा है । अब बताइये क्या डॉक्टर, कहां इंजीनियर ? कौन लोग हैं, आधा का आधा प्रतिशत भी नहीं है । जाति आधारित गणना की रिपोर्ट थोड़ी पढ़ लीजियेगा तो जानकारी सबको हो जाएगी । राज्य की सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13 परसेंट तथा अत्यंत पिछड़ों का 0.98 परसेंट ही सरकारी नौकरी में है यानी एक परसेंट में भी नहीं। मेडिकल, एजुकेशन और इंजीनियरिंग छोड़िये सामान्य स्नातक में भी इन वर्गों के बहुत कम लोग हैं और आप एन0डी0ए0 के लोग अमृत काल सेलिब्रेट कर रहे हैं । किसका अमृत काल है ? अगर दम है तो 20 सालों में, 20 सालों वाले पूजनीय मुख्यमंत्री जी एक तो उपलब्धि का नाम उपमुख्यमंत्री जी आपलोग बताइये कि एक उपलब्धि आपने की हो, जिसपर बिहार नंबर 01 हो । एक उपलब्धी बताइये जिसमें बिहार नंबर 01 हो । ये 20 साल आपका बिहार इतिहास में गायब काल के नाम से जाना जायेगा । बी0जे0पी0 के जो लोग हैं वे बार–बार टीका–टिप्पणी करते रहते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–14 / अभिनीत / 24.03.2025

..क्रमशः..

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आपलोग तो पिछलगू ही बनकर रहिएगा, आपलोगों के पास तो कोई चेहरा नहीं है । लटकने बनकर रहिएगा, अटल जी के सपने को आपलोग लायक नहीं हैं कि पूरा कर दें । अगर हैं तो एक बार कभी अकेले–अकेले लड़ लिया जाय चुनाव, हम भी अकेले लड़ लेंगे, देख लिया जायेगा किसकी कितनी जनाधार है, किसमें कितना दम है । जनता किसके साथ है । अब बीजेपी के लोगों को बताओ, यहां डिप्टी सी0एम0 दोनों बैठे हुए हैं, हम

उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार ने जून, 2013 से लेकर जुलाई, 2017 तथा अगस्त, 2022 से लेकर जनवरी, 2024 तक कोई विकास किया ? बताइये, किया कि नहीं किया ? वो बोलेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ऐसी स्थिति है । वो क्या बोलेंगे ? हम ही लोगों का न बजट ये पढ़ रहे थे । सात निश्चय 2015 के चुनाव के बाद शुरू हुआ, जातीय आधारित गणना हमारे वक्त हुई न, नौकरी हम ही लोगों के समय न मिला, कोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी सब हम ही लोगों के टाईम में बना, काम तो हुआ, कि नहीं हुआ । बताइये, आपलोग जब विपक्ष में थे तो काम हुआ कि नहीं । जून, 2013 में, चलिए यह बता दीजिए, जून, 2013 में आपको छोड़ा लेकिन उससे कई महीने पहले सरकार का कामकाज ठप हो गया था, फिर मांझी जी को बनाया गया, उनके हाथ को बांध दिए, इनके मंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते थे, फिर उनको हटाना था तो गवर्नेंस का कामकाज ठप कर दिए, फिर 2017 में हमसे अलगाव करना था तो कामकाज ठप कर दिए, फिर 2022 में आपसे अलगाव करना था तो गवर्नेंस ठप हो गया, फिर 2024 में वही । यह अस्थिर दिल, दीमाग और विचार की निशानी है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और स्वार्थ की पराकाष्ठा है मुख्यमंत्रीजी का, यह समझना पड़ेगा । अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं बिहार से क्या तकलीफ है, एक कारखाना दिया नहीं बजट में और बेगूसराय में जो हमारा मक्का अनुसंधान बीज केंद्र था उसको भी ये लोग भिजवाने का काम कर दिए बाहर कर्नाटक । वह तो हमने मामले को उठाया और वहीं के केन्द्रीय मंत्री हैं, उन्हीं का क्षेत्र है गिरिराज सिंह, पता नहीं दिसम्बर की चिट्ठी है, आप नहीं बोले आप चुप रहे बिहार से बाहर किया गया, दर्जन भर केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं बिहार के वे लोग चुप रहे, सांसद लोग चुप रहे, क्यों चुप थे आपलोग ? एक प्रतिक्रिया नहीं आयी । जब हमने मामला उठाया तो शिवराज चौहान जी ने आनन–फानन में जाकर कहा कि कहीं नहीं जायेगा, कहीं नहीं जायेगा । चिट्ठी नकली थी तो केस करें मेरे पास । जब चिट्ठी नकली थी तो केस करें या माफी मांगे । यानी इनके मन में बिहार के प्रति कितनी घृणा है मोदी जी की और बिहार आयेंगे तो लिट्टी–चोखा खायेंगे । वे आयें और लिट्टी–चोखा खायें, हम तो बोलेंगे कि लालू जी सान कर दे देंगे सत्तु अच्छे से, घोर भी दिया जायेगा कि उनको पिला दिया जाय । अब तो सालभर यही न करेंगे कि एक जायेंगे तो एक आयेंगे, एक जायेंगे तो एक आयेंगे, एक भागेंगे तो एक पकड़ेंगे । हम तो स्वागत करेंगे, हम तो मेहमाननवाजी करेंगे ।

(व्यवधान)

बिहार जो है न नीतीन जी, बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती है । चुनाव के बाद सबको ज्ञान आ जायेगा, अच्छे से विदा किया जायेगा । अज्ञानियों को ज्ञानी बनाकर भेजा जायेगा, चिंता नहीं करनी है । 65 परसेंट आरक्षण से क्यों

आपको दिक्कत है ? क्यों नहीं शेड्यूल लाईन में डाला गया ? हमलोगों की अभी भी मांग है कि सत्र को एक–दो दिन और आगे बढ़ा दीजिए, नया विधेयक लाइये, 65 परसेंट क्या 75 परसेंट करके लाइये हमलोग पास करते हैं, केंद्र को भेजिए और 24 घंटे के अंदर करा दीजिए नौंवी अनुसूचि में तो मान जायें, नहीं तो हम यही सोचेंगे की बीजेपी आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है । मुख्यमंत्री जी तो हैं नहीं लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के अनुयायी लोग बैठे हुए हैं, हम पूछना चाहते हैं विजय चौधरी जी से, बिजेन्द्र यादव जी से, विजय चौधरी जी, बिजेन्द्र यादव जी ये दोनों हमारे अभिभावक हैं । हम पूछना चाहते हैं कि होना चाहिए न स्पेशल रिजर्वेशन, अनुसूची 9 में होना चाहिए था न, 9 महीने क्यों लटका दिए । नहीं तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए । मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए ? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ? होनी चाहिए न ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप पूछ रहे हैं सिर्फ सुनाने के लिए कि हमको सही में पूछ रहे हैं तो हम जवाब दें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आपके जवाब में भी जवाब नहीं रहता है । गोल–गोल जलेबी रहता है ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, केवल पांच मिनट आपका समय बचा है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अगर सवाल इमरती रहेगा तो जवाब जलेबी ही मिलेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : सीधा सवाल था कि विशेष राज्य का दर्जा या जातीय जनगणना देश भर में और आरक्षण 65 परसेंट बस । खैर आपको तो हर चीज वही लगता है इमरती, जलेबी । खैर छोड़िए अब ज्यादा हम लेकिन आप देखिए कि चंद्र बाबू नायडु बताइये लेकर चले गये, कितना लेकर चले गये पैकेज, अनाउंस किये लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पाये । आप देखिए कि 2 लाख करोड़ आन्ध्र प्रदेश के लिए लेकर चले गये चंद्र बाबू नायडु और आपलोग कुछ नहीं कर पाये, सिर्फ थाली बजा रहे हैं । सप्लीमेंट्री बजट में पिछली बार भारत सरकार का 2024 जुलाई में 59 हजार करोड़ की योजनाओं का जिक्र किया वह भी 2015 वाली, नायडु जी हार्ड वार्गिनर हैं तो थोड़ा नायडु जी से सीखना चाहिए था, करना चाहिए था । कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली से लेकर आन्ध्र प्रदेश तक केंद्र से धन लेने की पाईप लाईन शुरू कर दी है, बिछवा दी है, आपलोग कब कीजिएगा । इसका मतलब यह है कि आन्ध्र प्रदेश विकास के लिए चिंतित है, जब मर्जी केंद्र की छाती पर चढ़कर विशेष पैकेज ले जाता है लेकिन एक

हमारे सी0एम0 हैं जो न तो नीति आयोग की बैठक में जाते हैं, न पटना में आये हुए इनवेस्टर मीट अटैंड करते हैं, न निवेशकों से मिलते हैं, दूसरे राज्यों के सी0एम0 निवेश लाने के लिए जेनेवा, दाउस सहित कई जगह विदेशों में जाकर निवेश लाने का काम करते हैं लेकिन हमारे पटना में आये निवेशकों से भी हमारे मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं । क्या इसलिए नहीं जाते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है । ये समुद्र नहीं है का मतलब आपलोग नहीं समझिएगा, मुख्यमंत्री जी का 2020 में यह बयान था, नीतीश बोले बिहार समुद्र किनारे नहीं है इसलिए उद्योग नहीं आते, तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश क्यों बिहार से आगे हैं ? यह मेरा ऑन रिकार्ड है, फालतु बात नहीं करते हैं, रिसर्च करके आते हैं साइंटिफिक ढंग से । मुख्यमंत्री जी..

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आपका समय हो गया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट । महोदय, सुन लीजिए, महोदय, थोड़ा हाउस को ऑर्डर में लाया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : बार–बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया उप मुख्यमंत्री, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 80 बड़ा होता है कि 47 बड़ा होता है, 47 बड़ा होता है कि 80 बड़ा होता है, 71 बड़ा होता है कि 81 बड़ा होता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें । बैठिए, बोलने दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, गजब विडंबना है, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आपकी बड़ी पार्टी है न कि छोटी पार्टी है । आपकी बड़ी पार्टी है कि छोटी पार्टी है, अब हां या न में बताइये । आपकी बड़ी पार्टी, आपकी पार्टी तो बड़ी है आपने बनाया कि सी0एम0 ने बनाया । आपको डिप्टी सी0एम0 मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया । सम्राट चौधरी जी, आपको मोदी जी ने डिप्टी सी0एम0 बनाया कि नीतीश कुमार जी ने बनाया । हमलोग यदि समर्थन पत्र नहीं देते तो इनको गवर्नर बुला लेते क्या ओथ लेने ? हमारा अधिकार है । हम बनाये हैं, हम बनाये हैं, हम बनाये हैं, सृष्टि की संरचना ही 2005 के बाद से हुई है । ये नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जायेगी । मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टेलीफोन, आई0पेड0, कंप्यूटर खत्म करो और बजट पेश कर रहे थे तो दिखाने के लिए आई0पेड0 लाकर दिखा रहे हैं ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, अब संक्षेप कीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम अब ज्यादा नहीं, हमलोगों की हैसियत नहीं है बनाने की, जनता मालिक है जो सबको बनाती है । मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए..

..क्रमशः..

टर्न–15 / हेमन्त / 24.03.2025

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : (क्रमशः) : मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए । मुख्यमंत्री तो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना नजरिया बदल लेते हैं । महोदय, उनके लिए

''उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ,

आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप ।''

अध्यक्ष महोदय, अब मौका आ गया है कि बिहार 2025 में अपने यंगेस्ट स्टेट होने का फायदा उठायेगा और यह मौका बर्बाद नहीं होने देगा । हम बिहार को भारत का मेनुफेक्चरिंग हब बनायेंगे । ये बीजेपी के लोग युवाओं, नौकरी, रोजगार, उद्योग धंधे, AI और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने तथा रिसर्च और इनोवेशन में एंगेज करने के बजाय इन्हें जात, धर्म, नफरत और प्रोपेगेंडा में उलझाकर रखने का काम करते हैं । नया बिहार बनाने के लिए मेरे पास विजन है, स्पेशल मिशन है और अनडाईंग पैशन है । महोदय, बिहार की 58 फीसदी आबादी 50 वर्ष के लोगों से कम की है और उसके सपनों को, आकांक्षाओं को, भविष्य को अपनी कुर्सी के खेल में नहीं जला सकते । मैं युवा हूं, उनकी भावनाओं और सपनों को समझता हूं और हर हाल में बिहार के युवाओं के सपनों को साकार करूंगा । मुझे सरकार नहीं, बल्कि नया बिहार बनाना है ।

अध्यक्ष : समाप्त करिये अब ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, दो मिनट, कन्क्लूड करेंगे । मैं युवाओं की तरफ से इस रूढ़िवादी और आऊटडेटेड सरकार को बस इतना कहकर ही अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा ।

''न दबाओ पांव से घास के तिनके को अदना समझकर,

उड़कर पड़ जाये अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है।''

और आखिर में एक बात जो कहते हैं न कि तेजस्वी बच्चा है । हां है, लेकिन यह नोट कर लीजिए,

''बिहार का यह तेजस्वी बच्चा सोच और ईमान का सच्चा है,

ख्यालों का अच्छा है, इरादे और जुबान का पक्का है ।''

बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : श्री तारकिशोर प्रसाद । आपके पास दस मिनट का समय है तारकिशोर जी ।

(व्यवधान)

बोलिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि इनकी बातों से सरकार को तकलीफ हुई होगी । महोदय, हम नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहते हैं कि सरकार को कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कि

''आपकी मुखालफत से सरकार की शख्सियत संवरती है,

इसीलिए मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शेर कहना है तो कहिए । केवल शेर कहिए । शेर में जवाब हो रहा है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बहुत सही कहा, लेकिन हमको अफसोस है । दो बार हम इस सदन में इस सेशन में भाषण दिये हैं, क्यों आप लोग मुख्यमंत्री जी को हाईजेक करके बंद किये हुए हैं ?

अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आना न चाहिए था । ये बात वह कहते तो और चार चांद लग जाते ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, पिछला वाला जो आप बोले थे गवर्नर एड्रेस पर, उसका वाला याद करा दें ? उस दिन आपने कहा था कि

''चिराग सबके बुझेंगे एक दिन, क्योंकि हवा किसी की सगी नहीं।''

इन्होंने पढ़ा था महोदय । हम तो उस दिन कहना चाहते थे..

अध्यक्ष : बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलने वाला है ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हम तो उसी दिन कहना चाहते थे, लेकिन हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं । ये बोल रहे थे, मैं चुप ही रहा, लेकिन फिर आज उस दिन की चर्चा कर दिये, तो हम आपको यह कहना चाहते हैं कि–

''नीतीश वो चिराग नहीं है, जो हवा के रुख से बदले,

नीतीश तो वो चिराग है, जो हवा का रुख बदल दे।''

अध्यक्ष : तारकिशोर जी ।

(व्यवधान)

बोलिये, बोलिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : रूक जाइये तारकिशोर जी । महबूब साहब, क्या बोल रहे हैं ?

श्री महबूब आलम : महोदय, चौधरी जी के सम्मान में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : रूकिये, शांत रहिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, चौधरी जी के सम्मान में फैज अहमद फैज की नज्म का एक शेर पढ़ना चाहता हूं । महोदय, हम सम्मान करते हैं...

अध्यक्ष : देखो भई, सब लोग शेर कहेंगे, तो हम भी कहने लगेंगे । बोलिये ।

श्री महबूब आलम : चौधरी जी,

''आ कि वाबस्ता हैं हुस्न की यादें तुझसे, जिस ने इस दिल को परी खाना बना रखा था,

जिस की उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था।''

आप कहां फंस गये सर ।

अध्यक्ष : लेकिन एक बात मैं सबको कहना चाहता हूं, किसी एक के लिए नहीं है । जो यहां बैठकर निष्पक्ष आदमी कह सकता है, वह मैं कह रहा हूं ।

''जिसको 'मैं' की हवा लगी, उसे फिर न दुआ लगी, न दवा लगी ।''

तारकिशोर जी ।

(व्यवधान)

अब बैठ जाइये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रस्तावित सकल व्यय 3 लाख 21 हजार 161.63 करोड़ की राशि के समर्थन में एवं विनियोग विधेयक पारित करने के पक्ष में आज मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं ।

महोदय, आज नेता प्रतिपक्ष की बात को भी ध्यान से सुन रहे थे और जिस प्रकार से हमें उम्मीद थी कि विपक्ष सरकार का अंग होता है और बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन 2047 है जिसके बारे में हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी ने अपने बजट भाषण में चर्चा की, उसके संबंध में अपनी बातों को कहेंगे । कहीं–न–कहीं अभी हाल में बिहार दिवस हम सब मनाये हैं, बिहार इनके दिल में होगा, बिहारीपन इनके मन में होगा, लेकिन पूरे भाषण में कहीं–न–कहीं आत्ममुग्धता दिखी ।

बिहार के विकास के लिए जो हमारे माननीय वित्तमंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बजट प्रस्तुत किया, जिसके विनियोग पर आज हम चर्चा कर रहे हैं । उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखी, जो लगे कि बिहार को संवारने में उन शब्दों की कोई भूमिका हो । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 2004–05 या 2005 के पहले के शासनकाल की हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन 2004–05 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें बजट आकार क्या था, यह बताने की जरूरत नहीं है, 23885 करोड़ था और आज बजट आकार क्या है यह भी बताने की जरूरत नहीं है । विस्तार से अनुदान मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, 2005 और अभी जो 20 है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो बिहार की जनता को पता है कि 2020 में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ और वह परिवर्तन कहीं–न–कहीं दिखा भी है और हमारी एनडीए की सरकार ने अपने ही रिकॉर्ड को लगातार तोड़ने का काम किया है । इनके रिकॉर्ड को तो हमने एक बार तोड़ा, लेकिन अपने रिकॉर्ड को हम सब लगातार तोड़ते चले गये और इसलिए तोड़ते चले गये, यह जो बिहार भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, भगवान महावीर का जन्मस्थान, आर्यभट्ट, पाणिनी, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद और लोकनायक जय प्रकाश नारायण जिनके नेतृत्व में आप और हमारे जैसे तमाम कई हमारे साथी बैठे हैं, जो छात्र आंदोलन में हम सबों ने शिरकत की थी और उसके बाद जो व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई और उस व्यवस्था परिवर्तन से उपजे हुए लोग ही 2005 के पहले शासन में थे, लेकिन उन्होंने बिहार की क्या हालत की यह बताने की आवश्यकता नहीं है । हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उनके मन में जो तमन्ना थी, एक विजन था, बिहार को बदलने का जो एक हुनर था, वह हुनर आज 2020 में पूरे

बिहार में एक परिवर्तन के रूप में दिख रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्कूल ड्रॉपिंग की बात की और महोदय आपको पता है कि 2005 और उसके पहले स्कूल ही नहीं था । बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, तो ड्रॉप कहां से होते?

(क्रमशः)

टर्न–16 / धिरेन्द्र / 24.03.2025

....क्रमशः....

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, चरवाहा विद्यालय में कोई डाटा नहीं था और आज जिस प्रकार से हमारी बच्चियां साईकिल को टुनटुनाते हुए स्कूल जाती हैं, यह इस बात की गवाह है कि बिहार ने एक बड़े परिवर्तन को देखा है । तकनीकी दृष्टि से हम कितने पिछड़े थे यह बताने की आवश्यकता नहीं है । जहाँ हमारे बिहार में मेडिकल कॉलेज मात्र 09 थे आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह मेडिकल कॉलेज 34 हो गए हैं । इंजीनियरिंग कॉलेज वर्ष 2005 के पहले मात्र 02 थे भागलपुर और मुजफ्फरपुर, बिहार का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज, आज यह 38 का आँकड़ा छू रहा है । पॉलिटेक्निक उस समय 13 थे आज 46 का आँकड़ा छू रहा है । गंगा पर मात्र 04 पुल थे और आज 10 और 02 माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तावित किया है । गंगा नदी पर आज 12 पुल अवस्थित हैं, 02 और पुलों का निर्माण होना है । अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 16 बनेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो वर्ष 2047 का विजन है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री उस दिशा की ओर आगे बढ़ चुके हैं और ये बात कर रहे थे कि केन्द्र का कोई सहयोग नहीं मिला जबकि महोदय, आपको यह आँकड़ा बताता है कि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को केन्द्रीय मद में 1,38,515.85 करोड़ तथा सहायक अनुदान मद में 54,575.02 करोड़ रुपये की राशि अभी मिलने वाली है और जो कुल 1,93,090 करोड़ रुपये होता है और यह बजट का 61 प्रतिशत है । इनके पास डाटा की भी जानकारी नहीं है और जिस मसखरेपन से बिहार और बिहारीपन को, जिस प्रकार से ये धज्जियां उड़ाना चाह रहे थे बिहार की जनता समझती है । आखिर वर्ष 2005 के बाद क्यों नहीं आप आ पायें ? क्यों लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एन॰डी॰ए॰ की सरकार बनती रही ? कहीं–न–कहीं जनता की ताकत से आज नीतीश कुमार जी सरकार के मुखिया के रूप में बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं । महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन–सी परिस्थितियां बदली कि ये

चाह कर भी सरकार में नहीं आ पा रहे हैं । एक–दो बार आना चाहें, आये लेकिन फिर वापस चले गये, आखिर मुख्यमंत्री जी ने क्यों इनको छोड़ा, क्योंकि ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे, सरकार में आने के बाद इनका फिर वही रवैया शुरू हो गया था जो वर्ष 2005 के पहले ये किया करते थे लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जीवन के हर क्षेत्र को हम सबों ने बदलने का काम किया है । हमारी सरकार पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है और महोदय, यही कारण है कि बिहार की सरकार आज लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजी से अपने बिहार के विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं । महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 तक हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे और इस दिशा में बिहार की सरकार भी एक विकसित बिहार की जो परिकल्पना है, एक विकसित राज्य के जो विभिन्न मल्टी डाइमेंशनल में जो डेवलपमेंट होना है उसकी ओर लगातार हमारी सरकार लगी हुई है लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के नेता अपनी बातों को कह रहे थे, जिस डाटा की बात कर रहे थे लगता ही नहीं है कि वे डाटा कहीं टैली कर के आये हैं या किसी अधिकृत डाटा पर वे बात कर रहे हैं । महोदय, हम नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहते हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप कीजिये । एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, हम नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने, हो सकता है कि उनकी उम्र कम रही होगी लेकिन वर्ष 2005 के पहले के बिहार को अगर वे देखे रहते तो उनको अपनी सरकार पर भी शर्म आती क्योंकि वर्ष 2005 के पहले के बिहार को उन्होंने भी नहीं देखा है । उस समय उनकी उम्र नहीं थी कि वे देख पाते । महोदय, हम बिहार की तरक्की के लिए आने वाले दिनों में भी लगातार जो बजट आकार है, जो उसका संकल्प हमने लिया है, जो हमारे पास संसाधन हैं, शेष संसाधन में जो लगातार भारत सरकार ने सहयोग किया और आगे भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो इस बार आप देख लीजियेगा कि वर्ष 2047 तक कैसे डबल इंजन की सरकार.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक विकसित बिहार को मजबूत की स्थिति में पूरे देश में प्रतिस्थापित करता है । बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा । दो ही घंटे का डिबेट है, संक्षेप में अपनी बात कहनी है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक संख्या–2 पर बोलने का मुझे आपने अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, बजट की मांगें पारित हो चुकी हैं । विनियोग विधेयक भी आज बहुमत के आधार पर पारित हो जायेगा लेकिन सरकार की अधिक धनराशि सदन से स्वीकृत कराने और उसे समय पर खर्च नहीं कर मार्च के अंतिम दिनों में सरेंडर करने से संबंधित एक–दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, 2023–24 में जो मूल बजट प्रस्तुत किया गया वह 02 लाख 61 हजार 885 करोड़ रुपये का था । सदन में दिनांक–10.07.2023 को 43 हजार 775 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट आया । दिनांक–06.11.2023 को सदन में 26 हजार 086 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया और तीसरा अनुपूरक बजट दिनांक–23.02.2024 को 04 हजार 133 करोड़ रुपये का आया । इस तरह से 2023–24 का बजट आकार कुल मिला कर 03 लाख 35 हजार 879 लाख करोड़ का हो गया जबकि सरकार ने कुल व्यय 03 लाख 14 हजार 950 रुपये दर्शाया । इस तरह से 20 हजार 929 करोड़ रुपये व्यय नहीं हो पाये ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2024–25 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया वह मूल रूप में 02 लाख 78 हजार 725 करोड़ रुपये का था । दिनांक–22.07.2024 को सदन में 47 हजार 512 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया । दिनांक–25.11.2024 को सदन में 32 हजार 508 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया और दिनांक–06. 03.2025 को 11 हजार 187 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया गया । इस तरह से कुल मिला कर जो राशि हुई वह 03 लाख 69 हजार 932 करोड़ रुपये हुई परंतु वर्ष 2025–26 के बजट में जो व्यय दर्शाया गया है वह 03 लाख 49 हजार 817 करोड़ ही है । इसका अर्थ है कि 20 हजार 115 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाये ।

अध्यक्ष महोदय, बजट कैसे तैयार किया जाना है, कब राशि सरेंडर की जानी है, बचत और खर्च का आकलन कब किया जाना है यह बजट मैनुअल, 2016 में निर्धारित है । उसी बजट मैनुअल से कुछ उद्धरण मैं देना चाहता हूँ । बजट मैनुअल की कंडिका–17 के अनुसार वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री हर तीन महीने पर बजट अनुमानों के लिहाज से प्राप्तियों और व्ययों के रुझानों की समीक्षा करेगा और विधान मंडल के सदनों के समक्ष ऐसी समीक्षाओं के परिणाम प्रस्तुत करेगा परंतु समीक्षा का परिणाम प्रस्तुत नहीं किया जाता और केवल अनुपूरक बजट लाकर सरकार अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान लेती है ।

अध्यक्ष महोदय, बजट मैनुअल की कंडिका–36 के अनुसार अधिक अनुमान की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए । अस्थायी स्थापना व्ययों, आकस्मिक व्ययों आदि के अनुमान के मामले में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन तस्वीर इसके विपरीत दीखती है । बजट और अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार के द्वारा हर वर्ष अधिक अनुमान लगाया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, बजट मैनुअल की कंडिका–104 के अनुसार बचतों को वर्तमान वर्ष के 15 फरवरी तक अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए लेकिन हम सब जानते हैं कि हर वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में राशि सरेंडर होती है फलस्वरूप दर्जनों ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके कार्य का भुगतान नहीं हो पाता है और दायित्व सृजित हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, बजट मैनुअल की कंडिका–115 के (क) में है अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक उपबंध और (घ) में है लगातार बचत । इनसे बचना है परन्तु इन सारे ही बिंदुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मैंने जब देखा तो पाया कि बजट में अधिक निकासी की गयी राशियों को एक दर्जन से ज्यादा विभागों में घटाया गया है । इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार विधान मंडल की स्वीकृति ले परंतु बजट और अनुपूरक बजट बनाने के समय बजट मैनुअल का कड़ाई से पालन किया जाय और बजट आकलन की निरंतर समीक्षा कर अधिक धनराशि न ले ताकि योजनाओं के लिये पैसे की कमी न हो । महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद ।

टर्न–17/संगीता/24.03.2025

अध्यक्ष : श्री विनय कुमार चौधरी, 5 मिनट में खत्म करिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उनकी कृपा से मैं इस सदन का सदस्य बन सका हूं और अपनी बेनीपुर की जनता के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया । मैं इस गरिमामयी सदन में बिहार में विनियोग की स्थिति पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह विषय न केवल बिहार की आर्थिक उन्नति से जुड़ा है बल्कि यह तय करता है कि हमारा राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है या पिछड़ेपन की ओर

लौट रहा है । बिहार की जनता ने इस प्रदेश पर 2–2 अलग–अलग विचाराधाराओं वाले शासनकाल देखे हैं । एक लालू प्रसाद यादव का राज 1990 से 2005, जिसे जंगलराज, अराजकता, भ्रष्टाचार और निवेश के अभाव का काल माना जाता है । नीतीश कुमार का राज 2005 से वर्तमान तक जिसे सुशासन, आधारभूत संरचना के विकास और निवेश के बढ़ते अवसरों के रूप में देखा जाता है । आज मैं सदन में तथ्यात्मक और तुलनात्मक रूप से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार को पीछे ले जाने वाले कौन थे और बिहार को आगे ले जाने वाला कौन है, लालू राज चारा घोटाला से लेकर चरवाहा विद्यालय तक, चरवाहा विद्यालय पर ये लोग बहुत अपना पीठ ठोकते हैं । ये बता दें प्रतिपक्ष के नेता तो बड़ा रिसर्च करते हैं, बेचारा नौवीं फेल हैं उनको तो रिसर्च करने का अधिकार नहीं हैं लेकिन रिसर्च करके आते हैं तो कभी यह भी रिसर्च कर लें कि चरवाहा विद्यालय की क्या उपलब्धि रही है, इस पर भी जरा सा रिसर्च करके आकर के बता देते जनता को तो बड़ी कृपा उनकी होती । प्रतिपक्ष के नेता आज भी और उस दिन भी अपने भाषण में ड्रॉपआउट की उन्होंने बहुत चर्चा की है । ड्रॉपआउट की बहुत उनको चिन्ता रहती है, बेचारे इसलिए चिंतित रहते हैं कि ड्रॉपआउट के सबसे बड़े उदाहरण अगर कोई एक हो सकता है तो वे हैं और तब हैं जब वे बिहार जैसे राज्य के 2–2 मुख्यमंत्री के पुत्र होने का, माता–पिता जिनके हों, और वह व्यक्ति अगर ड्रॉपआउट किया हो और तब वह ड्रॉपआउट की चर्चा करते हैं, बड़ा ही दुःखद लगता है कि उनको तो ड्रॉपआउट पर चर्चा करना ही नहीं चाहिए । जो खुद ड्रॉपआउट किए हैं वे ड्रॉपआउट की बात करते रहते हैं और जनता बिहार की जानती है कि उनकी बातों को समझती है कि जो व्यक्ति खुद ड्रॉपआउट करता है वह हमको समझा रहा है तो कितना उनकी बात में दम होगा और दम का अर्थ यह होगा कि बाद में पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है ।

औद्योगिक निवेश– बिहार में निवेशकों की वही हालात थी जो किसी इज्जतदार आदमी को डकैतों के बीच फंसने पर होती थी । उद्योग–धंधे की बजाय अपहरण उद्योग, रंगदारी उद्योग और चारा उद्योग फल–फूल रहे थे । जो उद्योग थे वे भी बंद हो गए थे क्योंकि बिजली का हाल था कि एक बार आ जाए तो उसे देखने के लिए लोग त्यौहार जैसा माहौल बना दिया करते थे । यह स्थिति उनके शासनकाल में था ।

आधारभूत संरचना– सड़कों का आलम यह था कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो उसे ठीक करने के बजाय वहीं छोड़ देना बेहतर लोग समझते थे। गांव–गांव में पुलों की बात तो होती थी लेकिन पुल बनने से पहले ही ठेकेदार की जेब भर जाती थी और नदी अपनी जगह बनी रह जाती थी । शिक्षा और स्वास्थ्य की बात लोग करते हैं । रोजगार मिलेगा नहीं, उनके शासनकाल

का यही मूलमंत्र था कि रोजगार मिलेगा नहीं तो पढ़ाई करनी नहीं है और पढ़ाई तो नहीं होती थी । कक्षा में तो कम विद्यार्थी आते थे लेकिन रिजल्ट के समय में जो चोरी चलता था वह ऐतिहासिक रहता था । हम भी संयोग से इसी पेशा से आते थे, डर से इनविजिलेशन करते थे तो देखते रहते थे सब गुंडा सब आकर परीक्षा देता था और परीक्षा देकर चला जाता था, यह हाल उस समय के 90 से 2005 के शासनकाल की व्यवस्था थी।

(व्यवधान)

मैं तो उसका उदाहरण हूं । मैं स्वयं इनविजीलेटर रहता था तो उसका उदाहरण जब मैं बता रहा हूं कि...

अध्यक्ष : अब संक्षेप करिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : क्या स्थिति रहती थी तो सही नहीं तो गलत, गलत तो आपलोग बताते हैं ड्रॉपआउट, ड्रॉपआउट तो अपने किए थे सो न बतावें...

अध्यक्ष : विनय जी, संक्षेप करिए अब, संक्षेप करिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, अभी इन्होंने नेशनल क्राइम रिपोर्ट का ब्यूरो पर चर्चा करके गए हैं । 90 से 2005 के बीच में 73 हजार से फाजिल हत्या हुई थी...

(व्यवधान)

समीर भाई सुनिए न, 90 से 2005 के बीच में 73 हजार हत्या आपके शासनकाल में हुआ था और आप बोलते हैं मेरे शासनकाल में हुआ था । नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का रिपोर्ट है कि 2006 से 22 के बीच में मात्र 53 हजार हत्या हुई है । जानकारी तो ले लीजिए, वे अभी जानकारी देने चलते हैं वह भी सही नहीं देते हैं...

अध्यक्ष : विनय जी संक्षेप करिए, अब संक्षेप करिए ।

(व्यवधान)

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलिए, आप बोलिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जदयू का समय कितना है मालूम है न आपको ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, ये स्वास्थ्य की बात करते हैं । ये देखते नहीं हैं कि हमारे नीतीश बाबू के शासनकाल में हृदय में छेद के लिए जो काम हुआ है, कम से कम वह तो बोलिए न कि हृदय में छेद वाले जो बच्चे बिहार के हैं उनका इलाज मुफ्त में यहां से हवाई जहाज से लेकर के अहमदाबाद ले जाया जाता है और टोटल खर्चा बिहार सरकार वहन करके इलाज कराती है । क्या आपके विजन में था ? जिस विजन...

अध्यक्ष : समाप्त करिए अब ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, एक सेकेंड ।

अध्यक्ष : समाप्त करिए अब, अब हो गया ।

श्री विनय कुमार चौधरी : जिस विजन की बात उन्होंने कहा था कि आपके माता–पिता के कार्यकाल में क्या यह विजन नहीं आया था और आप विजन की बात करते हैं कि बिहार में हमारा विजन है, आपके पास कोई विजन नहीं है । नीतीश बाबू का विजन है और नीतीश बाबू के विजन को जनता जानती है, जनता समझती है, 2005 से लेकर लगातार उनको मौका देती है । अभी 4 उप चुनाव हुआ, आपके सीट थे, क्या स्थिति हुई यह भी नहीं समझ पाते हैं और बोलने से नहीं होता है जनता निर्णय लेती है । आपके जो राजा हैं वे कहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, जनता न बनायेगी मुख्यमंत्री या नहीं बनायेगी । कम से कम अपने राजा को तो बता दीजिए कि जनता का शासन है राजतंत्र नहीं है जिसमें आपकी इच्छा हो गई, आपका पुत्र शासक हो जाए उससे नहीं होने वाला....

अध्यक्ष : समाप्त करिए अब ।

श्री विनय कुमार चौधरी : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री अजीत कुमार सिंह, अजीत जी 5 मिनट का समय आपके पास है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है । इसमें 3 लाख 21 हजार कुछ करोड़ रुपये की मांग की गई है जिसको 1 साल तक आप खर्च करेंगे । महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आप इतने पैसे खर्च कहां कर रहे हैं ? आप इन पैसों का कर क्या रहे हैं ? महोदय, इसी बिहार के अंदर रसोइया को मात्र 1650 रुपये दिए जा रहे हैं, 3 लाख कुछ करोड़ रूपये का बजट है आपका और आपके पास पैसा रसोइया को देने के लिए नहीं है । 50 रुपया प्रतिदिन जो मिनिमम वेज से कम है, आशा को आप पैसा नहीं देते हैं, आंगनबाड़ी सेविका को 7 हजार रुपया देते हैं, सहायिका को 4 हजार देते हैं,

वृद्धा, विधवा, विकलांग को पेंशन 400 रुपये देते हैं आखिर आपने ये जो पैसा लिया, इसको आप खर्च किसके लिए कर रहे हैं, कहां जा रहा है पैसा ? बिहार के गरीबों का मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है । बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, जिसमें रिपोर्ट आया कि बिहार में साढ़े 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6 हजार रुपये से कम है और 20 वर्षों से शासन चला रहे हैं । क्या इस आइने में आपको मौजूदा बिहार की तस्वीर नहीं दिख रही है ? कितने फर्जीवाड़े, कितने फर्जी आंकड़ें आप बिहार के सामने प्रस्तुत करेंगे । आपने तय किया कि सबको हम 2–2 लाख रुपया देंगे, आपने 50 हजार रुपया की पहली किस्त सिर्फ 40 हजार लोगों को दिया, इस बार जो फॉर्म अप्लाई किया गया उसमें इतना कागज आपने मांग लिया कि गरीब लोग फॉर्म ही नहीं भर सके । आपने इतना ही पैसा दिया, आपके पास इतना पैसा नहीं है, बड़ी–बड़ी बातें डींग हांकना तो महोदय, कोई इन लोगों से सीखे । क्या स्थिति है हेल्थ में ? हेल्थ में आप सफाई का काम करवाते हैं जीविका बहनों से, उनको मात्र 5 हजार रुपया महीना दे रहे हैं, कहां जा रहा है पैसा ? आप इतना पैसा खजाने का ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इस पैसे को आप किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं ? आप इन पैसों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में उड़ा रहे हैं, आउटसोर्सिंग के नाम पर आपकी कंपनियां, हमने सुना है कि कई मंत्री लोगों की कंपनी, एजेंसियां काम कर रही हैं, वह बिहार के पैसे को लूट रही है । आपका यह पैसा बागमती में बांध बनाकर लूटा रहे हैं, जिस बागमती के किनारे के किसानों ने लगातार वहां पर आंदोलन किया और कहा कि यहां पर बांध की जरूरत नहीं है डूब क्षेत्र में हजारों गांव जा रहे हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–18 / सुरज / 24.03.2025

(क्रमशः)

श्री अजीत कुमार सिंह : आज वह धरना दे रहे हैं । आज महानंदा के किनारे बसे हुये लोगों को इन बजट से, इन पैसों से आप उनकी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं । आप इस पैसे से अपने बुलडोजर में तेल डाल रहे हैं और वही बुलडोजर गरीबों के घरों पर चढ़ा रहे हैं, आप उनके घरों को तोड़ रहे हैं । आप इस पैसे का इस्तेमाल बिहार के गरीबों को बर्बाद करने, उनकी जिंदगी को तहस–नहस करने में कर रहे हैं ।

महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग का कई हजार करोड़ का टेंडर निकला है लेकिन 14 हजार ठेकेदार हैं पूरे बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के आप ने उनको बेरोजगार करने का काम किया । आपने इतना बड़ा पैकेज बनाया है,

जिसमें बिहार का कोई ठेकेदार आ ही नहीं सकता । सारे गुजराती ठेकेदारों को बिहार के बजट का पैसा आप देने का काम कर रहे हैं । बिहार का पैसा आखिर आप लेकर करना क्या चाहते हैं ? आपने पलायन रोकने का काम नहीं किया, आपने बेरोजगारी को खत्म करने का काम नहीं किया । आज पूरा बिहार पलायन का केन्द्र बना हुआ है । हम सब जानते हैं, हमने कोरोना काल में पैदल लौटते हुये मजदूरों को देखा है । किस तरीके से पलायन करके हमारे मजदूर बाहर काम करने के लिये जाते हैं । आपने किसानों के लिये कुछ विशेष नहीं किया....

अध्यक्ष : संक्षिप्त कीजिये, एक मिनट और है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, पी0टी0 टीचर में मात्र 08 हजार रुपया सैलरी सरकार दे रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस पैसे का क्या कर रहे हैं ? क्या आपने सारा पैसा अडानी को दे दिया स्मार्ट मीटर लगाने के लिये ? जो स्मार्ट मीटर गरीबों का खून चूस रहा है, जिस स्मार्ट मीटर की जद में बिजली विभाग के बड़े–बड़े अधिकारी संजीव हंस आज जेल की सजा काट रहे हैं लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गयी । महोदय, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं आज बिहार की हालत बहुत खराब है...

अध्यक्ष : समाप्त करिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, एक शेर सुन लीजिये । एक सेकेण्ड का शेर है, इतना तो अधिकार कम से कम बनता है...

अध्यक्ष : आप भी शेर कहने लगे ।

श्री अजीत कुमार सिंह : बिहार के मौजूदा हालात पर जो घटनाएं बिहार के अंदर घट रही है और जो चुप्पी छायी हुई है उस पर एक शेर है महोदय कि :

लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा

उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत

झुका के सर सभी शाहपरस्त बोल उठे

हुजूर का शौक सलामत रहे ।

धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, दो मिनट में अपनी बात खत्म करिये ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद । हम अपने क्षेत्र सिकंदरा के लोगों को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हमें यहां भेजा है और हम

विनियोग विधेयक के पक्ष में, समर्थन में बोलने के लिये हैं । हम वैसे क्षेत्र से आते हैं, जो उग्रवाद प्रभावित रहा है । उग्रवाद प्रभावित रहने के कारण वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारा क्षेत्र बारिश कम होने के कारण रेन शैडो एरिया में पड़ता है । रेन शैडो एरिया में पड़ने के कारण वहां जो भी डैम है वह सूखा पड़ा हुआ है । लोग पानी के लिये मशक्कत कर रहे हैं, जानवर को पानी नहीं मिल रहा है, पशु–पक्षी बिलबिलाने लगे हैं । हम चाहते हैं कि रेन शैडो एरिया रहने के कारण वहां पानी की माकूल व्यवस्था की जानी चाहिये और जब तक शिक्षा नहीं रहेगी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे इसलिये हम चाहते हैं, हमारा तीन प्रखंड है, तीन प्रखंड में एक प्रखंड में भी डिग्री कॉलेज नहीं है । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की भी स्थापना हो । साथ ही साथ, यह भी कहना चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुल है, जनजाति बहुल है, पिछड़ा और अति पिछड़ा बहुल है । इसलिये हम यह मांग करते हैं कि वहां भीमराव अंबेदकर आवासीय उच्च विद्यालय भी बनना चाहिये और पानी के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में माकूल काम हुआ है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में विकास का काम किये हैं चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, नगर का क्षेत्र हो । लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे भूमिहीन लोगों को पर्चा मिला है चाहे वह पर्चा परवाना के रूप में हो, भूदान के रूप में हो उन लोगों को शिविर लगाकर, विशेष व्यवस्था कर जिनको जमीन का पर्चा मिला है उनको पर्चा का जमीन दिलवाने का काम करें...

अध्यक्ष : समाप्त करिये ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार । एक मिनट का समय है अजय जी ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं दो–तीन बातें कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि विनियोग विधेयक पारित कराना चाहते हैं पैसे निकालने के लिये । लेकिन उन पैसों का क्या होगा ? जिस पैसे से आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिये, विनय भाई चले गये । वह बोल रहे थे कि ड्रॉप आउट क्यों बिहार के अंदर है तो उसके कारण तेजस्वी यादव हैं । मैं उनको कह रहा हूं कि उसके लिये आपकी नीतियां जिम्मेदार हैं । आपने सभी पंचायत के अंदर उत्क्रमित मध्य विद्यालय को, माध्यमिक और फिर वहां प्लस टू की पढ़ाई शुरू कर दिया और हर ब्लॉक में मान लिया जाए कि विभूतिपुर के अंदर 29 पंचायत है और डिग्री कॉलेज एक है । क्या 29 प्लस टू के बच्चों का नामांकन एक डिग्री विद्यालय में

हो सकता है ? अगर नहीं होगा तो ड्रॉप रेट होना तय है । इसका जवाब तो विनय जी चले गये, मैं चाहूंगा कि माननीय डिप्टी सी0एम0 साहब जरूर देंगे ।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ काम आपने किया है लेकिन उसमें आपने क्या किया है ? बिल्डिंग बनी है लेकिन डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर नहीं हैं तो ब्लॉक के अंदर नहीं है, पंचायतों में नहीं हैं और वहां से जब रेफर करके भेजता है पी0एम0सी0एच0 के अंदर, आई0जी0एम0एस0 के अंदर क्या हालात होती है । मैं सभी विधायकों से कहना चाहता हूं ठंडे दिल से अपने सीने पर हाथ रखकर बोलिये...

अध्यक्ष : समाप्त करिये अब ।

श्री अजय कुमार : जब 12 बजे रात में आपके फोन की घंटी बजती है और आपके क्षेत्र के लोग वहां पर एक बेड के लिये आपसे अपील करते हैं और आप अपील करने की बात सुनकर जब स्वास्थ्य मंत्री को फोन लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उस समय बेबस हो जाते हैं ।

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपया देकर करना क्या चाहते हैं ? माननीय मंत्री जी जरा सा उन वृद्ध लोगों पर रहम खाइये नहीं तो उनकी आह जो निकलेगी, 400 रुपया में चाय नहीं पी सकता है एक महीना । आप उनकी आह में नहीं बच पायेंगे, कोई नहीं बचा पायेगा । आखिरी तौर पर मैं एक शब्द कह करके...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री अजय कुमार : आपनी बात खत्म कर रहा हूं । आउटसोर्सिंग से जो हॉस्पीटलों में गार्ड को आपने सभी जगह बहाल किया था । माननीय अध्यक्ष जी आप ही के साथ हम गये थे दरभंगा, डी0एम0सी0एच0 का दौरा करने के लिये गये थे । गार्ड कलप–कलप कर कह रहे थे कि हमारे नाम पर 24000 रुपया, 18000 रुपया निकाले जाते हैं...

अध्यक्ष : समाप्त करिये अब । श्री अखतरूल ईमान ।

श्री अजय कुमार : और हमको सिर्फ 7000 रुपया दिया जाता है । इन सारी चीजों को हम समझते हैं कि आप ठीक करिये वरना कुछ मिलेगा नहीं...

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, बजट का साईज बढ़ता गया लेकिन अकलियतों की महरूमी रही है । मैं चंद सिर्फ इशारे करना चाहता हूं । अकलियतों के मसाल को नजरअंदाज किया गया है, कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, घेराबंदी नहीं हो रही है, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन आज तक बहाल नहीं किया जा सका, मुसलमानों

को नौकरियों से महरूम रखा गया है । 01 लाख 95 हजार नौकरी जाति आधारित गणना रिपोर्ट के मुताबिक महरूम है और इस वक्त वक्फ बिल की एक नंगी तलवार मुसलमानों पर लटक रही है बल्कि देश के दस्तूर पर, हिंदु–मुस्लिम एकता पर और उस तलवार में क्या नीतीश जी भी हाथ लगायेंगे, क्या उस तलवार में हमारे मांझी जी भी हाथ लगायेंगे, क्या चिराग जी भी ? यह भी एक सवाल है । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर होता है माइनॉरिटी के मसाल का वकील होता है लेकिन ये कब्रिस्तान का कब्जा नहीं हटा सकते हैं, स्कॉलरशिप नहीं दिला सकते हैं...

अध्यक्ष : आप तो लगा कि कोई शेर कहेंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : आखिर क्या कर सकते हैं ये ? मैं कहना चाहता हूं इनके लिये

यह कुर्सी है तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं है

कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते ।

एक वजीर है और...

अध्यक्ष : समाप्त करिये, अब हो गया ।

श्री अखतरूल ईमान : कोई समस्या हल नहीं कर पाता है । थोड़ा तवज्जो दिलवाइये, महोदय।

अध्यक्ष : श्री राज कुमार सिंह । 05 मिनट का समय है राज कुमार जी ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद । एक बार पुनः बोलने का मौका मिला इसके लिये अपनी सरकार का धन्यवाद देता हूं । आज इस बजट पर आज हमलोग पास करने जा रहे हैं और सभी लोगों की इच्छा है कि यह बजट पास हो। कुछ आंकड़े जब मैं सुन रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष को तो उन्होंने कुछ आंकड़ें दिये, बताये कि 1990 से लेकर 2005 तक भी बजट के आकार में लगभग 08 गुणा की वृद्धि हुई और अभी जो हुई 2005 से लेकर 2025 तक लगभग साढ़े 14 गुणा की वृद्धि हुई है, बजट के आकार में । लेकिन 08 गुणा की वृद्धि भी कम वृद्धि नहीं मानी जा सकती है । लेकिन वह वृद्धि गयी कहां ? 08 गुणा की वृद्धि तो हुई, अगर उनका आंकड़ा सही है लेकिन वह वृद्धि बिहार के विकास में कहीं पर भी दिखी नहीं । वह वृद्धि अगर कहीं पर हुई तो पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा कि बिहार में घोटालों के आकार में बहुत बड़ी वृद्धि हुई और एक से एक घोटाले हुये और बजट का आकार लगातार 1990 से लेकर 2005 तक वह बढ़ायी गयी, घोटालों के आकार को बढ़ाने के लिये ।

अध्यक्ष महोदय, समय भी कम ही है और आज चरागों की और दीयों की भी काफी बात हुई तो एकाध चराग पर मैं भी कह देना चाहता हूं कि :

दीये जला के वह बाम–व–दर में रखते हैं

एक हम हैं जिसे रह गुजर में रखते हैं

समंदरों को मालूम है हमारा मिजाज

हम तो अपना पहला कदम ही भंवर में रखते हैं ।

हमने इस भंवर से बिहार को बाहर निकाला है । माननीय नीतीश कुमार जी का दूरदर्शी नेतृत्व सबका साथ – सबका विकास का संकल्प । माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ–सबका प्रयास–सबका विश्वास ।

(क्रमशः)

टर्न–19/राहुल/24.03.2025

श्री राज कुमार सिंह : (क्रमशः) ये दोनों ही मिलकर एक समृद्ध और सशक्त बिहार के निर्माण में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे । 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट है और यह विभिन्न विभागों को आवंटित है । शिक्षा को 60 हजार करोड़ से अधिक आवंटन जो दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, जो प्रगति हो रही है वह हम सब लोग जानते हैं और अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं । स्वास्थ्य के क्षेत्र की प्रगति को कौन नहीं आज देख रहा है, आज सब लोग मानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल प्रगति हुई है और बिहार विश्व का कम से कम एशिया का इतना बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा अस्पताल बनाने वाला राज्य, विश्व में शायद दूसरा स्थान होगा हमारा तो हम लोगों ने बजट का जो आकार बढ़ाया उसमें बिहार की प्रगति को आगे बढ़ाने का काम किया है और यह इस आकार को सार्थकता प्रदान किया है । एक चीज और भी है, अगर आप देखेंगे कि अभी अजीत भाई कह रहे थे कि बजट निश्चित रूप से पास होना चाहिए लेकिन फिजिकल डिसिप्लेन भी उसमें होना चाहिए तो मैं यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ 2024–25 में जो हमारी राजस्व बचत थी वह 1121 करोड़ से थोड़ी अधिक थी और 8 गुणा बढ़ाकर इस बार 2025–26 में 8831 करोड़ बचत हुई है और यह बचत फिजिकल डेफिसेट का जो नॉर्म है कि सकल घरेलू उत्पाद का जो राजकोषीय घाटा है वह 3 प्रतिशत के अंदर ही रहना चाहिए । उसमें भी हम कामयाब हुए हैं तो हमने फिजिकल डेफिसेट को भी...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री राज कुमार सिंह : यह किया है और अंत में मैं अपने क्षेत्र की एक–दो बातें जरूर कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे 30–40 सेकेंड दी जायं । आज माननीय उपमुख्यमंत्री द्वय भी बैठे हुए हैं, हमारे नेता भी सुन रहे होंगे मैं एक आग्रह जरूर करूंगा, इसी सत्र में उठा भी है कि जिस तरीके से ई0डब्लू0एस0 को आरक्षण देना केन्द्र सरकार का एक बड़ा ही अच्छा कदम है, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि इसको थोड़ा और समावेशी और इसको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए ई0डब्लू0एस0 के छात्रों को भी उनकी आयु सीमा में छूट भी दी जाय और यू0पी0एस0सी0 की परीक्षा में जैसे अन्य आरक्षित वर्ग को 6 की जगह 9 चांस दिये गये हैं, इनके भी परीक्षा देने की सीमा को बढ़ाया जाय।

अध्यक्ष : श्री जनक सिंह ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको बड़ा अच्छा लगेगा अंत में एक शायरी से ही बंद कर रहा हूं कि :

वो समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं,
हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं,
जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं,
वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं । बहुत–बहुत

धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : जनक जी 6 मिनट में अपनी बात समाप्त करिये । सरकार का भी उत्तर होगा।

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने विनियोग विधेयक, सरकार के वित्तीय वर्ष के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए संचित निधि से धन निकालने का अधिकार देने वाला विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया । अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकतंत्र की एक खुबसूरती है कि उसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको सरल बनाने के लिए तरह–तरह की व्यवस्थाएं की गयी हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रतिपक्ष भी सरकार का अंग होता है लेकिन इस विनियोग विधेयक पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से अपनी बातों को सदन में रखा है वह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है । जो हमारे गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ लोग राजद के पक्ष में, हम तो कहेंगे आप उन्हें सिखाइये कि जीवन में बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का, यह भारत की अपनी परंपरा है लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष में जो श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं जिस प्रकार से आप वार करते हैं, हे ईश्वर इन्हें बचायें । इन्होंने जो बात रखी है आज के विनियोग विधेयक पर आये हैं मैं बहुत खुश हूं कि आप आये हैं आपने इसी सरकार में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जनक जी, इधर देख कर बोलिये ।

श्री जनक सिंह : नीतीश जी की सरकार में, आप सुनिये इसी सरकार ने 17 महीने थे और आप अपने मन–मस्तिष्क को स्थिर करके सोचियेगा कि हम 17 महीने में इस राज्य के लिए क्या–क्या किये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इधर देखकर बोलिये, इधर ।

श्री जनक सिंह : अभी 1990 से 2005 तक का जो इनका बजट का आकार रहा है 23,855 करोड़ और नेता प्रतिपक्ष हमारा 2005 से लेकर आज तक का बजट है 3 लाख 16 हजार 895 करोड़ का । आप कहां से आंकड़ा लेते हो और दूसरी बात कि जी0डी0पी0 जो 3.19 इनकी है और हमारी कितनी है 12.64 प्रतिशत । यह आंकड़ा बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा हूं और जिस तरह से आंकड़े पेश कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय इनके समय 8000 रुपये थी और आज 66 हजार 336 रुपये है । यह कौन बोल रहा है । इसलिए बिजली की उपलब्धता 22 प्रतिशत आपके समय थी 15 वर्ष के शासनकाल में और आज हमारे यहां 100 परसेंट है और आपने कहा है कि पलायन के विषय में तो मैं कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता का विश्वास जीता है । इसीलिए किसी ने कहा है कि जनता में मेरा विश्वास बढ़ा है, यह चमत्कार केवल विश्वास का ही हो सकता है जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है और इनका विश्वास क्या है धोखे से जीता गया विश्वास जब टूटता है ये 15 वर्ष जनता ने इन पर विश्वास किया लेकिन उसको इन्होंने धोखा दिया और जब टूटता है तो सबकुछ खत्म हो जाता है । अब जनता आपको नकार दी है, आप किसी तरह से, किसी प्रकार का गलत आंकड़ा देंगे जनता आपको मानने वाली नहीं है । इसलिए आयेगी जरूर चिट्ठी सम्राट जी, वित्त मंत्री जी आपके नाम, किसी के टेटियाने से और इधर–उधर बोलने से कुछ होने वाला नहीं है । तिजोरी है, चाबी मिलेगी आपके गलत आंकड़े देने से कुछ होने वाला नहीं है । इसलिए मैं अपने से बड़े भईया अवध बिहारी चौधरी जी से कहूंगा कि अपने नेता प्रतिपक्ष को कम से कम उठने का, बोलने का, चलने का तो सिखाइये...

(व्यवधान)

मेरी भी उम्र, मेरी भी उम्र की आधी उम्र का नहीं होगा...

अध्यक्ष : जनक जी अब संक्षेप करिये ।

श्री जनक सिंह : मुझे 1973 की याद आती है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जनक जी संक्षेप करिये । सरकार का उत्तर होगा ।

श्री जनक सिंह : जब इनके पिताजी, लालू जी को मैंने अपने कॉलेज लाइफ में जूता पॉलिस करा करके, कपड़े खरीदकर दिया और यह किस तरह से हमारे नेताओं के विरोध में बोलता है इसलिए सिखाइये ललित भाई, उठने का, चलने का । इसलिए आपके और इन्होंने...

अध्यक्ष : समाप्त करिये । सरकार को जवाब देना है ।

श्री जनक सिंह : इन्होंने एक बात कही है, पलायन की बात की है तो मैं अंत में एक बात कहूंगा कि कन्हैया को मरने के डर से भेज दिया देवकी ने गोकुल में और बिना दिये यशोदा की माता । यह क्यों हुआ...

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । प्लीज । समाप्त करिये ।

श्री जनक सिंह : बिहार की, आखिर हमारी जनता क्यों गयी, इन्हीं लोगों के 15 वर्ष के अत्याचार के कारण हमारी बिहार की जनता...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025 के...

श्री जनक सिंह : भारत के कोने–कोने में गयी । इसलिए...

अध्यक्ष : बैठिये अब । स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय,...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : हो गया, बैठ जाइये ।

टर्न–20 / मुकुल / 24.03.2025

सरकार का उत्तर

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आपलोग बस खाली बैठे रहियेगा तो अच्छा लगेगा, जाइयेगा नहीं खाली । अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विनियोग संख्या–2 विधेयक, 2025 को स्वीकृति के लिए अध्यक्ष महोदय लगभग 10 माननीय सदस्यों ने अपने–अपने विचार रखे हैं और 28 तारीख से यह सदन चल रहा है, महामहिम राज्यपाल के संबोधन के बाद हमलोगों ने 3 मार्च को राज्य में 2025–26 के लिए वित्तीय बजट का उपस्थापन किया और आज हम विनियोग के तौर पर, एक तरह से चाबी लेने आपके बीच में आये हैं कि पूरा सदन की सहमति से चाबी मिले और बिहार के विकास की गति को हम आगे बढ़ाने का काम कर सकें । महोदय, आज बिहार में, देश में, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबका प्रयास और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प, न्याय के साथ विकास के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है, इसमें इस बजट की अहम भूमिका होने वाली है । अध्यक्ष जी, आपको याद होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब

पहली बार और आप तो उसके संयोजक ही रहें, 2004–05 का जो अंतिम बजट आया वह 23 हजार 885 करोड़ रुपया था और 2025–26 में जब 3 मार्च को हमने बजट पेश किया तो 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट हमलोगों ने प्रस्तुत किया । महोदय, हमारे भाई बता रहे थे और स्वाभाविक है, भाई को पूरा ज्ञान तो अभी बताना ही पड़ेगा कि चीजें क्या होती हैं और आपको बड़ा ही स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, यहां पर बैठे हैं विजेंद्र बाबू ये भी वित्त मंत्री के तौर पर रहे, उधर से भी आदरणीय सिद्दकी साहब भी वित्त मंत्री के तौर पर रहे लेकिन बिहार में पूरी तरह वित्तीय अनुशासन का काम, जो वित्तीय ढांचा है उसको सही रखने का काम किया गया और जहां 2024–25 में जो अभी बजट चल रहा है इसमें हमलोगों ने 1121 करोड़ रुपया राजस्व बचत का फैसला लेने का काम किया गया और इस बार यहां विजय चौधरी जी बैठे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं और इस बार तो हमलोगों ने और इससे बढ़कर 2025–26 के लिए राजस्व बचत का 8 हजार 831 करोड़ रुपया रखने का लक्ष्य रखा है, वित्तीय उल्लंघन कहां हो सकता है और मैं आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं कहां से हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री और हमारे विरोधी दल के नेता ने कहां से स्वरूप लाने का काम किया यह पता नहीं । महोदय, मैं बता रहा हूं और इनको जानना चाहिए, अच्छी बात है जानना चाहिए, आपको जानकार आश्चर्य होगा कि पिछले दो बजट में भी हमारे यहां 2022–23 में लगभग 98 परसेंट राशि हमने खर्च किया और पिछले वित्तीय वर्ष में भी 97 परसेंट राशि खर्च किया और जिस तारीख को मैं बजट ला रहा था, 3 मार्च को जब बजट ला रहा था तब का आंकड़ा मैं बता रहा हूं 84 परसेंट राशि खर्च कर चुके और पूरे विधान सभा को एकदम आश्वस्त करते हैं कि इस बजट में भी 98 से 99 परसेंट राशि बिहार सरकार खर्च करने का काम करेगी और इनको थोड़ा आईना दिखा देता हूं, भाई समान हैं, बहुत छोटे हैं, 2001–02 में क्या बजट की स्थिति थी क्या आपको पता है, पूरे बजट का मात्र 23 परसेंट राशि खर्च होती थी यही बिहार था और यह जानना चाहता हूं, देखिए सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, आपको एक–एक जानकारी देना पड़ेगा । सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, यह कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है यह सरकार की रिपोर्ट है और स्वाभाविक है जो लोग फर्जी होते हैं उनको फर्जी ही लगता है, अब उसमें हमको कुछ नहीं कहना है और यहां बड़ा स्पष्ट है आज बिहार की चर्चा पूरे देश में होती है और लीडर ऑफ अपॉजिशन ने पिछले दिनों भी कहा कि 2005 के पहले पी0एम0सी0एच0 था यह तो पूरा देश जानता है कि पी0एम0सी0एच0 था, कब बना था यह तो बताइये ।

(व्यवधान)

पी0एम0सी0एच0 मैंने बताया, मैं बता रहा हूं एकदम बताऊंगा, सुन तो लीजिए । मैं भी स्थिर होकर आपकी बातों को सुना है । पी0एम0सी0एच0 1925

में बना, दरभंगा डी0एम0सी0एच0 1946 में बना और नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना, जवाहर लाल नेहरू कॉलेज जो है एन0एम0सी0एच0 वह 1970 में बना, ए0एन0एम0सी0एच0 1979 बना और श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर 1979 बना । 1979 के बाद 2005 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, यही तो मैं कह रहा हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ, यही मैं कह रहा हूं और 2005 के बाद आपको जानकार आश्चर्य होगा बेतिया का मेडिकल कॉलेज 2008 में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया, पावापुरी का मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया, पटना में आई0जी0आई0एम0एस0 को मेडिकल कॉलेज का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में दिया । 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया । 2020 में मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया और ये आरोप लगाते हैं, मैं जातियों पर राजनीति नहीं करता हूं, एकदम स्पष्ट रहिये । नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं, इस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं ।

(व्यवधान)

और समझ लीजिए कल तक तो विचारधारा नहीं थी, कल तक मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं थी और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गये हैं, नागपुर गये हैं, अरे हम तो यह पूछना चाहते हैं आपके आदरणीय पिता जी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गये थे और जिस दिन मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आर0एस0एस0 के संघ नागपुर कार्यालय जाइयेगा उसी दिन आपकी किस्मत खुल जायेगी और वहां जाइयेगा, आपको दिखेगा, पहले दिखेगा......

(व्यवधान)

वही मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि जब आर0एस0एस0 के संघ कार्यालय जाइयेगा तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा तो घुसते के साथ ही आपको दिखेगा यादव निवास, आर0एस0एस0 कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है, सभी वर्गों की चिंता करता है और इसी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब तक स्वरूप में था साथियों, इसी प्रदेश में पूरे आप ही के समाज के लोग इस पार्टी को खड़ा किये हुए थे । यहां पर नंद किशोर जी बैठे हुए हैं लगातार आगे खड़ा करने का काम किये, लेकिन साथियों, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जो अपराधी हैं उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, एकदम स्पष्ट रहिये और आप देख रहे होंगे कल तक तो उससे पूछा जाता था, इन्क्वायरी की जाती थी और अब स्पष्ट है अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है अपराधी यदि कट्टा दिखायेगा, उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी, पुलिस

साफ–साफ काम कर रही है । इसलिए साथियों, अब बजट के अवसर पर, आप देख लीजिए, अब स्वाभाविक है ।

(व्यवधान)

अरे भाई, आप अपने नेता की ही बोली बोलिये न । लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, यहां रानी भी आईं, राजकुमार भी आयें, राजकुमारी भी आईं कौन रोक पाया । यही है लालू जी जो बोलते हैं वह कभी नहीं करते हैं साथियों ।

...क्रमशः...

टर्न–21 / यानपति / 24.03.2025

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यही मैं कह रहा हूं और आप कहते हैं चुनाव, 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में, कहे न, अभी नेता विरोधी दल कह रहे थे, अटल जी का सपना कैसे पूरा होगा, अकेले लड़े थे, चार आदमी पर टिक गए थे 2014 के चुनाव में, याद है न और आगे भी एकदम चैलेन्ज रहिए, एकदम 2025 का चुनाव होगा और यह कहते हैं, बार–बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि आप चुनाव जीतकर कैसे आये, यह तो जानिये 2010 का चुनाव हुआ, यहां बैठे हैं ललित जी, पूरा लालूजी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीतकर आया । इस गलतफहमी में कहां हैं, आपके वोट के जलवा को मैं जानता हूं, 1999 में लड़ा, कोई वोट आप नहीं दिलवा पाये। क्या है नेतागिरी, आप अपना वोट जब दिला ही नहीं सकते हैं, मैं जानता हूं, स्वाभाविक है, मैंने कहा विचारधारा, यह पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने विचारधारा दिया, राष्ट्र को खड़ा करने के लिए । इसलिए साथियो, मैं स्पष्ट तौर पर आपसे आग्रह करने आया हूं कि आज सदन में जो चिंता आई है और चिंता है कि हमलोगों को 2025 में कई चीजों का काम करना है, चाहे वह यह लोग बोलते थे अरहर दाल की खरीदारी नहीं होती है एम0एस0पी0 के माध्यम से, हमको मूंग दाल नहीं होता है, उड़द दाल की खरीदारी नहीं होती है, सब करने का हमलोगों ने निर्णय लिया है इस साल से, किसी कॉअपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से और कृषि विभाग के सहयोग से एन0सी0सी0 ऐप और नेफेट के माध्यम से एम0एस0पी0 के आधार पर हम अरहर दाल, मूंग दाल और उड़द दाल खरीदने का काम करेंगे । अभी साथियो, सब लोग चिंता कर रहे थे, कई साथियों को मैं देख रहा था, कह रहे थे कि हमारे यहां डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री

कॉलेज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 14 अभी स्वीकृत किया है और अभी निर्णय लिया गया है कि सभी लोगों की चिंता थी कि डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए । इस बार हमलोगों ने तय किया कि 350 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलने का काम करेंगे । यह स्पष्ट तौर पर और स्वाभाविक है और अभी चिंता कर रहे हैं कि नौकरी, नौकरी, नौकरी । हमलोगों ने तो सात निश्चय पार्ट–2 में जहां 1990 से लेकर 2005 तक इस प्रदेश में 94 हजार लोगों को सरकारी नौकरी मिली, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2020 तक साढ़े सात लाख लोगों को नौकरी दिया गया है और अब सात निश्चय पार्ट–2 में, अब देखिए इन लोगों की दो चीज है, यह लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, वह तो बेचारे एक ही थे, हम तो दो हैं हमलोग भी, जब तक नीतीश जी सहमत नहीं होंगे एक भी लोग को नौकरी नहीं दे सकते हैं । कहां गलतफहमी में हैं, इनको तो कोई पावर ही नहीं था, यह बेचारे पथ निर्माण मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थोड़े थे, वित्त मंत्री थोड़े थे, वित्त मंत्री के पास तो फाइल आता भी है इनके पास क्या जाता था । यह 4 साल से नौकरी बांट रहे हैं, जब 4 साल उम्र थी तब से जो घोटाला कर रहा है वह हमलोगों को राजा हरिश्चन्द्र की तरह प्रवचन दे रहा है, अब समझिए क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जो आदमी 4 वर्ष की उम्र से बिहार को लूटता हो वह आदमी राजा हरिश्चन्द्र बनकर हमलोगों को समझाने का काम कर रहा है । यह दुर्भाग्य है और कोई किसी संस्कृति का भी विरोध नहीं करता, हमने यह कहा है 1990 से लेकर 2005 तक लालूजी सिर्फ नाच देखते रह गए, बिहार का विकास अधूरा ही रह गया, यह बात थी । सोचिए...

(व्यवधान)

देखिए, मैं तो राजनीति में आया, मैं जब राजनीति में आया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह क्या कर रहे हैं ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : तो लालूजी के अत्याचार से आया हूं, कोई ऐसे नहीं आया और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा । ऐसे नहीं होगा, इस गलफहमी में मत रहिएगा और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा और 25 हजार रुपया, हमारा ढाई लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा, यह है सरकार आपकी । आपकी सरकार को झुकना पड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दंडित किया बिहार की सरकार को, तब झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था

और आगे भी करूंगा । और जितना आप लड़ियेगा, हमसे जितना लड़ियेगा उतना हारियेगा, कंफर्म रहिए । अभी तो आठ–आठ उम्मीदवार दिए थे न, क्या हाल की बिहार की जनता, 40 में 31 साफ कर दिया न...

(व्यवधान)

गलतफहमी में हैं आप बाबू, जब पूरा परिवार हार गया तब जीतकर आता हूं । गलतफहमी में आप हैं, जब आपका पूरा परिवार हार गया तब भी जीतकर आया हूं । सुनिये...

(व्यवधान)

यह पूरी जांच चल रही है, यह स्पष्ट है कि आज पूरे प्रदेश में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोल रहे थे तो आपको तो कभी नहीं रोका ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : हमलोग लगातार सब्जी उत्पादन केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : बिहार के विकास के लिए, एक घंटा बोलने के बाद भी इनको चैन नहीं है । देखिए, हमलोगों ने राज्य में, प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्या विवाह हेतु, कन्या विवाह मंडप की पूरी तरह व्यवस्था करने का काम किया है । इसी तरह अध्यक्ष महोदय, वेडिंग जोन पूरी तरह, वेडिंग जोन की पूरी व्यवस्था करने का काम किया है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : क्या है बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी ने हमपर आरोप लगाया कि चार साल की उम्र में हम घोटाला कर रहे थे, बोले हैं, ऑन रिकॉर्ड है...

अध्यक्ष : संक्षेप में बोलिए, सरकार का जवाब होने दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : चार साल की उम्र से हम घोटाला कर रहे हैं, उम्र मेरा 36 साल हो गया, 32 साल तक आपलोग कार्रवाई क्यों नहीं किए ।

अध्यक्ष : बैठिए, माननीय वित्त मंत्री जी बोलिए । सवाल–जवाब अब नहीं होगा ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, लालू जी का परिवार सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलता है, अब देखिए, उनका भी अनोखा खेल है, 1996 में चलिए, 1996 में किसकी सरकार थी, देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे और पहली बार चार सीट हुआ लालू प्रसाद जी का, 1996 में चार सीट हुआ जनता दल की सरकार थी और 1997 में जब जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड अलग हुआ तब भी देश में जब लालू जी जेल जा रहे थे तब भी जनता दल की ही सरकार थी तो फंसाने वाला कौन, फंसाने वाला कौन, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तेजस्वी जी, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आरोप लगाया जा सकता है । लोकतंत्र में आरोप लगाया जा सकता है लेकिन लोकतंत्र में प्रूफ करने का काम सी0बी0आई0 ने किया और सी0बी0आई0 उस समय की तत्कालीन सरकार के पास, जब देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी, ये लोग कहते हैं । अब सोचिए, बिहार में आज से सरकार चल रही है, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इन लोगों की चिंता है सिर्फ विक्टिम कार्ड कि हमलोगों को बी0जे0पी0 के लोगों ने फंसाया, बी0जे0पी0 है कहां, न तीन में न तेरह में, तुमको सजा तो कोर्ट ने दिया और यह पहला दुर्भाग्य होगा बिहार के लोकप्रिय सरकार के लिए कि कोई सीटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और सजा दिलाने का काम किया गया । विरोधी का काम है अपने मुद्दों को उठाना, आपने उठाया ।

(क्रमशः)

टर्न–22 / अंजली / 24.03.2025

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मेरा काम है जवाब देना और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो न्यायालय जाएंगे, हमपर कार्रवाई करा सकते हैं, हम कहां रोक रहे हैं ? हम यदि गलत बोलते हैं तो हमपर कार्रवाई कराइए लेकिन आप सोचिए न्यायालय ऐसे किसी को सजा नहीं करता है, पंजीकृत तौर पर किसी को अपराधी घोषित किया गया है वह लालू जी का परिवार है इसलिए साथियों,

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय...

अध्यक्ष : सरकार जवाब हो रहा है, जब आप बोल रहे थे तो आपको बोलने के लिए रोके थे, कभी नहीं रोके थे ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं स्पष्ट तौर पर अध्यक्ष जी, मैं 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा । मेरा मानना है बिहार के विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से हमलोगों ने बस स्टैंड निर्माण की चिंता की है और यहां पर उद्योग मंत्री जी हैं और आप सोचिए कि बिहार जैसे राज्य में जैसे ही एन0डी0ए0 की सरकार होती है और जैसे महागठबंधन की सरकार हुई, फर्क तभी दिखना शुरू हो गया और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ते रहे हैं और 2005 से लेकर 2020 तक लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम चल रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये । बैठिये । आप लोग बैठिये । बैठिये न आप । बैठे–बैठे बोलने पर कोई रिकॉर्ड हो रहा है क्या ? बैठिये । बोलने दीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : औद्योगिक विकास का काम उसी तरह ईंधन के ऊपर, उपयोग एवं प्रोत्साहन करके किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए, खाद प्रसंस्करण को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है । प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों को पूरा एक नीति बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, उद्योग के क्षेत्र में लगातार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शेखपुरा के जीर्णोद्धार का काम किया गया है, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पूसा में स्थापित करने का काम किया जा रहा है । उसी तरह हैदराबाद में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : बैंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, एन0सी0आर0 में, गुवाहाटी में, माइग्रेशन में, सूरत में, लुधियाना में, कोयम्बटूर और चेन्नई में माइग्रेशन कॉउन्सिल ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने का काम किया जा रहा है और हम जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, यहां आप जानिए कि लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया गया है और जिस तरह, पहले आप जानते हैं कि छात्रवृत्ति बहुत कम था, आज अल्पसंख्यक से सहित लेकर सभी, चाहे एस0सी0 वर्ग के लोग हों, एस0टी0 वर्ग के लोग हों, ओ0बी0सी0 वर्ग के लोग हों उसकी छात्रवृत्ति को बढ़ाने का काम किया जा रहा है । मेडिकल कॉलेज के सेक्टर में आप जैसा कि जानते हैं, मेडिकल कॉलेज का सेक्टर बढ़ाया गया है आगे भी इसको हम पी0पी0पी0 मोड पर और आगे के दिनों में मेडिकल कॉलेज

अनुमंडल अस्पताल पर एक रेफरल अस्पताल का निर्माण कार्य किया जाएगा और ये यदि बोल रहे हैं...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

महोदय, मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांत रहिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री :... मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी कि इन लोगों को जाना ही है क्योंकि ये लोग जवाब नहीं सुन सकते हैं । अब स्वाभाविक है, अब वे छोटे हैं तो हमलोग क्या कर सकते हैं ? हमारे कई सदस्यों को वे तुम–ताम कर रहे थे पिछले दिनों, एक भी सदस्य हमारे उनसे छोटा नहीं होंगे इसकी गारंटी है, तब भी शर्म नहीं लगता है, दुर्भाग्य है लोकतंत्र का, नेता विरोधी दल हो गए, बड़े बाप के बेटे हैं यही सोचकर सदन आते हैं । अध्यक्ष जी, आज मैं यही बताना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई, निजी क्षेत्र से, आपने देखा मेदांता को भी यहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन देकर वहां पूरा एक हॉस्पिटल खड़ा करने का काम किया और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई कि पूरे विश्व स्तर शंकरा नेत्रालय हॉस्पिटल बनाने के लिए भी बिहार सरकार ने एक रुपया पर उसको जमीन देने का काम किया है और आगे भी, अभी बोल रहे थे, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बेचारा बिना पढ़े आ जाते हैं हमलोग क्या करें अध्यक्ष जी । अब लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग उसी दिन 3 तारीख को ही मैंने घोषणा किया कि सरकार इसको इस वित्तीय वर्ष में इसको करने जा रही है लेकिन वे पढ़ते ही नहीं हैं बेचारे हम क्या करें ? अब सिर्फ उनको जो, ठीक कहा जनक जी ने जो लिखकर हाथ में दे देता है उसी को पढ़ने आ जाते हैं, लेकिन जानकारी रिसर्च तो क्या करेंगे लालू जी रिसर्च कर ही नहीं पाए, ये क्या करेंगे । लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की राजनीति के लिए कि ऐसे लोग भी विरोधी दल में बैठे हैं और लिटरेसी रेट के बारे में इन लोगों ने चर्चा की, गरीबी की रेट के लिए चर्चा करने का काम किया है और आप सोचिए यदि विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं हुआ तो जो बिहार खटारा था, जो वे बोलते हैं, जिसको उनके पिताजी और माताजी ने खटारा बनाया था उस बिहार को नीतीश कुमार जी ने 19 साल में जो 54 परसेंट गरीब थे उसको 33 परसेंट मतलब 21 परसेंट गरीबी घटाने का काम किया ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : हो जाएगा, खत्म कर देते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से सरकार के उत्तर तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है । बोलिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, एकदम स्पष्ट है कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और बजट के आकार की चर्चा इन्होंने की, इनको पता ही नहीं बजट में, किताब में हमलोगों ने स्पष्ट तौर पर बताया भी है कि देखिए रेवेन्यू, केंद्र सरकार से हमें रेवेन्यू लगभग 1 लाख 38 हजार करोड़ रुपया अगले वित्तीय वर्ष में हमको मिलने जा रहा है । उसी तरह केंद्र प्रायोजित योजना में लगभग 45 हजार करोड़ रुपया हमें प्राप्त होने जा रहा है । केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से हमें ग्रांट के तौर पर लगभग 9 हजार 204 करोड़ रुपया मतलब सिर्फ भारत सरकार के सहयोग के तौर पर 1 लाख 93 हजार 79 करोड़ रुपया सिर्फ भारत सरकार सहयोग करने जा रही है, जो मेरा हिस्सा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार जो बिहार, मैं कहता हूं कि 24 हजार करोड़ का भी बजट नहीं था, वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपना संसाधन लगभग 68 हजार करोड़ रुपया हमलोगों ने बढ़ाने का काम किया है और आगे भी इसको बढ़ाने का, जेनरेट करने का काम उद्योग के क्षेत्र में आदरणीय मंत्री जी हमारे काम कर रहे हैं, पूरी सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है और 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपया का पूरा हमलोग के साथ एम0ओ0यू0 साइन किया है और लगभग 70 हजार करोड़ को भी हमने सहमति भी देने का काम किया है लेकिन इन लोगों को विकास दिखेगा नहीं और दिखना भी नहीं चाहिए, इन लोगों को विकास दिख गया तो बिहार को लूट लेगा अध्यक्ष जी, यह भी बचा कर रखना पड़ेगा और इसको बचाने का भी काम बिहार की जनता और इस सत्ता पक्ष के लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन वही है एक तरफ कुशासन है और दूसरी तरफ सुशासन है, अब तय जनता को करना है कि 2025 में क्या फिर से एन0डी0ए0 को 225 सीट देकर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने काम करेगी, इसलिए ये लोग कहते हैं कर्ज, भारत सरकार हमें पूरे बिहार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहे वह नाबार्ड की योजना हो या भारत सरकार के द्वारा जो विदआउट इंट्रेस्ट लोन लिये जाते हैं, उसको भी ये लोग काउंट कर रहे हैं अब दुर्भाग्य है कि इन लोगों को पहले जानकारी कौन देता है ये अब खोजना पड़ेगा कि ये जो जानकारी है ये पता करना पड़ेगा और पूरी तरह बिहार के विकास के लिए हमलोग प्रतिबद्ध हैं और पूरी तरह हमलोग बड़े गर्व के साथ, मैं तो सबलोगों के साथ काम किया हूं लालू जी के साथ काम किया कभी विकास की बात नहीं, और नीतीश कुमार जी के साथ काम किया तो सुबह से शाम फोन और रात को

भी फोन करके कहते हैं कि इस फाइल को देखते रहिए सिर्फ विकास की ही चिंता करते हैं, कभी कोई दूसरी बात ही नहीं । कोई दूसरी बातों की चिंता ही नहीं करते और सिर्फ ये कहते हैं कि काम करते रहो और ये लोग कहते हैं कास्ट सेंसेस, कास्ट सेंसेस, दिया क्या था, ये तो बताओ ?

(क्रमशः)

टर्न–23 / पुलकित / 24.03.2025

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को जनसंख्या के आधार पर कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाली जात है इसको सत्ता में बैठना चाहिए और चार साल इन्होंने जब देखा कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ जब ये अन्याय करने लगे तो नीतीश कुमार जी ने साथ छोड़ा और समता पार्टी का निर्माण किया । आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ते जा रहे हैं और आप सोचिये वर्ष 2005 में इनकी सरकार बनती है उसके पहले कोई आरक्षण दिया था क्या? चाहे लालू जी का राज हो, राबड़ी जी का राज हो, पंचायती राज का चुनाव होता था, नगर निकाय का चुनाव होता था, एक प्रतिशत न दलितों को आरक्षण, न अति पिछड़ों को आरक्षण और न किसी वर्ग को आरक्षण दिया जाता था । लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने 50 परसेंट महिलाओं को इन्होंने आरक्षण दिया और एस0सी0 / एस0टी0 वर्ग को आरक्षण दिया, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सरकारी नौकरियों में तो 35 प्रतिशत आरक्षण दिया ही, आज महिलाएं सिर्फ नेता के तौर पर जिला परिषद् और नगर निकाय में, आपको जानकार आश्चर्य होगा अध्यक्ष जी, आज महिलाएं 50 परसेंट जीतकर नहीं आई हैं, ये 60 परसेंट महिलाएं चुनाव जीतकर आने का काम की है । इसलिए ये लोग कहते हैं कि हमको भारत सरकार सहयोग नहीं करती । यहां बैठे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी और जब एन0डी0ए0 की सरकार बनी थी वर्ष 1998 में तब से लेकर वर्ष 2004 तक ये माननीय मंत्री के तौर पर भारत सरकार में काम किए और आप याद कीजिए अटल जी ने जब बंटवारा हुआ तो 4 हजार करोड़ रुपया करके चार साल राशि देने का काम किया लेकिन तब की तत्कालीन सरकार ने एक रुपया खर्च नहीं किया । जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनकर आये और आप पथ निर्माण विभाग के मंत्री बनकर आये तो रोड के सेक्टर में और बिजली के सेक्टर में आपने खर्च करने काम किया । आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हो ? कौन खर्च करेगा ? मैकेनिज्म तुम्हारे पास, मुख्यमंत्री तुम, पैसा खर्च कौन करेगा ? अपनी माता का, पिता का पाप छुपा नहीं पाओगे, यह मैं स्पष्ट बोलता हूं । आपके पिता

जी ने ही कहा है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, यह लोकतंत्र है यहां कभी राजा पैदा नहीं होगा ।

इसलिए अब पैकेज के तौर पर मैं बताना चाहता हूं । वर्ष 2015 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 01 लाख 25 हजार करोड़ रुपया बिहार को पैकेज के तौर पर दिया और तब आपने देखा है वर्ष 2024 में अभी पिछले वित्तीय वर्ष में कई हमारे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे बनाने के लिए । चार–चार ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे बनाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया है, कई एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है । कई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए हमलोगों को सहयोग करने का काम किया है और जिस तरह मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नालंदा का गौरवशाली इतिहास लौटा । मोदी जी ने कहा है विक्रमशीला को भी पूरी तरह स्थापित करने का काम किया जाएगा । महोदय, लगातार पैकेज के तौर पर बिहार को स्थापित करने का काम किया जा रहा है । इसलिए अध्यक्ष जी, मैं यह जरूर आग्रह करूंगा कि हमारा जो बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025 है, इसकी स्वीकृति के लिए मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इसकी स्वीकृति देने का काम करे और आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे भी बिहार और ये बार–बार कहते हैं कि मैं 36 वर्ष का हूँ, ये 74 वर्ष के हैं । मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके पिता जी ने खटारा बिहार बनाया है, नीतीश कुमार जी ने आज मर्सिडीज चलने वाला बिहार बनाने का काम किया है ।

बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक– 24 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–30 (तीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक– 25 मार्च, 2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।